

नगर परिषद रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025 तक

भाग-एक

1. प्रारम्भिक

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन (एल0ए0) खण्ड-IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर पालिकाओं/नगर परिषद के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद रोहडू, जिला शिमला के लेखों का अंकेक्षण कार्य हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

- 1.1 अंकेक्षण अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025 के दौरान नगर परिषद रोहडू, जिला शिमला में निम्न अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी नियन्त्रक अधिकारी व आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे:-

(i) अध्यक्ष

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री चेतन अतरेटा चौहान	01.04.2023 से 11.06.2023
2	श्री अशोक चौहान	12.06.2023 से 31.03.2025

(ii) कार्यकारी अधिकारी एवं आहरण व संवितरण अधिकारी

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	डॉ० वरुण गुलाटी, तहसीलदार (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2023 से 06.08.2023
2	श्री पियूष चौहान, सचिव (अतिरिक्त प्रभार)	07.08.2023 से 27.11.2023
3	श्री सदिप कुमार, कार्यकारी अधिकारी	28.11.2023 से 14.03.2024
4	श्री पियूष चौहान, सचिव (अतिरिक्त प्रभार)	15.03.2024 से 05.01.2025
5	कुमारी प्रीतिमा रॉय, कार्यकारी अधिकारी	06.01.2025 से 31.03.2025

1.2 गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

नगर परिषद रोहडू, जिला शिमला के लेखों अवधि 04/2023 से 03/2025 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में (₹)
1	लगभग 15 वर्ष से 9 माह पूर्व प्राप्त सहायता अनुदान का उपयोग न करना	8.4	405.34
2	वर्ष 2024-25 का बजट प्राक्कलन अनुमोदित किये बिना अनियमित व्यय करना	9.2	271.05
3	विविध स्रोतों से अपेक्षित आय का वसूली हेतु शेष पाया जाना	12	386.87
4	सविदाकार द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में पीपीपी (PPP) मोड पर कार पार्किंग एवं कमर्शियल कॉम्प्लैक्स के निर्माण कार्य को दिनांक 31.03.2025 तक भी पूर्ण न करने के कारण परिषद द्वारा अनुबन्ध की शर्त संख्या 3.5 बी व सी के अनुसार न तो परफार्मेंस सिक्यूरिटी (Performance security) को जप्त करना और न ही दण्ड शुल्क की वसूली करना।	12.11	15.00 9.90
5	नगर परिषद द्वारा सक्षम अधिकारी व हि0प्र0 सरकार की स्वीकृति के बिना संस्था स्तर पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियुक्त करने के कारण उनके वेतन पर अनियमित भुगतान करना	13.1	12.43
6	प्लॉन फॉउंडेशन द्वारा वर्ष 2015-2016 से गृहकर की माँग व वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण/संरक्षण न करने के बावजूद भी प्लॉन फाउंडेशन को अनुचित/अनियमित भुगतान करना	14.1	25.13
7	MMSAGY के अन्तर्गत सफाई व्यवस्था पर दोहरा भुगतान करना	14.5	1.96
8	सम्पत्ति सर्वे के लिये प्लॉन फॉउंडेशन को दोहरा भुगतान करना	14.9	2.08
9	नगर परिषद द्वारा वैधानिक कटौतियों/सविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से काटे गए वस्तु एवं सेवाकर, बिक्री कर, आयकर, श्रमकर व रॉयल्टी को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना	15.1	15.58
10	पेशेवर संस्थाओं से उनके भुगतान बिलों से 194 J के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौती न करने के कारण विविध संस्थाओं को अधिक भुगतान करना	15.5	2.04
11	अनुमोदित ड्रॉइंग/डिजाइन तथा अन्य विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना निर्माण कार्यों का अनियमित आबंटन व निष्पादन करना	18	25.52
12	नगर परिषद के डम्पर प्लेसर को 20.12.2019 के उपरान्त अर्थात् क्रय करने के लगभग 4 वर्ष 3 माह पश्चात् से ही नगर परिषद परिक्षेत्र में निष्क्रिय/अनुपयोगी रखने के कारण वित्तीय हानि	23.1	11.38

1.3 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के लम्बित पैरों पर की गई कार्रवाई के अवलोकन/सत्यापन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "1" पर दर्शाई गई है। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः सुझाव दिया जाता है कि नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाये ताकि चौर लम्बित पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग-दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद रोहडू के लेखों अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025 तक का अंकेक्षण श्री सन्तोष कुमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा अवधि 28.08.2025 से 14.10.2025 तक नगर परिषद कार्यालय रोहडू में निष्पादित किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 01/2024 व 08/2024 तथा व्यय के लिए माह 03/2024 व 02/2025 के लेखों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

अस्वीकरण (Disclaimer) :- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद रोहडू द्वारा उपलब्ध करवाए गये अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना एवं अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा सूचना/अभिलेख के उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का दायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

3. अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद रोहडू के लेखों अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹30,000/- (तीस हजार मात्र) आंका गया, जिसे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-147 दिनांक 14.10.2025 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, ब्लॉक नं0 38, एस0डी0ए0 कॉम्प्लैक्स, कुसुम्पटी शिमला-171009 हि0प्र0 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहडू, जिला शिमला, हि.प्र. से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय विवरणियाँ

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 131 दिनांक 31.07.2025 व 05.09.2025 के सन्दर्भ में यथा परिशिष्ट-"2" अनुसार प्रस्तुत अन्तिम लेखों व तुलन पत्र के अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था स्तर पर नियमानुसार दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जिस कारण तुलन पत्र में Fixed Assets, Current Assets, Sundry

debtors/creditor, Loans and advances, Grant in Aid इत्यादि की सही स्थिति परिलक्षित नहीं हो रही थी तथा कुछ मदें परिलक्षित ही नहीं हो रही थी। (Balance sheet was not showing the true and fair picture of the Accounts of Municipal Council Rohru) जबकि नगर पालिका अधिनियम-1994 के अनुच्छेद 252 तथा नगर पालिका Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियाँ तैयार की जानी अपेक्षित थी :-

क्र० सं०	वित्तीय विवरणी	प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई
1	तुलन पत्र (Balance Sheet)	प्रस्तुत किया गया।
2	आय व्यय विवरणी (Income Expenditure Statement)	प्रस्तुत की गई।
3	नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)	प्रस्तुत की गई।
4	प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Statement)	प्रस्तुत की गई।
5	तलपट (Trial Balance)	प्रस्तुत नहीं किया गया।
6	लेखों पर टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	प्रस्तुत की गई।
7	वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial Performance Indicator))	प्रस्तुत नहीं की गई।

अंकेक्षण में प्रस्तुत तुलन पत्र के सन्दर्भ में निम्न टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं:-

- 4.1 (i) तुलन पत्र में वर्णित नगरपालिका सामान्य संचय (Municipal General Fund) ₹867.50 लाख के सन्दर्भ में कोई भी समर्थित अभिलेख प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2024-2025 के तुलन पत्र में दिनांक 31.03.2025 को यथा परिशिष्ट-“2” अनुसार संचय ₹86750379.01 को दायित्व पक्ष (liability) में दर्शाया गया था परन्तु वर्णित राशि के समर्थन में कोई भी अभिलेख/खाताबही/विवरणी को अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण तुलन पत्र में दर्शाई गई संचय की राशि उचित प्रतीत नहीं होती। उक्त कारणों से तुलन पत्र संस्था की सही स्थिति परिलक्षित नहीं कर रहा था। अतः सुझाव दिया जाता है कि तुलन पत्र में दर्शाई गई राशियों के समर्थन में आवश्यक अभिलेख को अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाये व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये।

(ii) चालू सम्पति शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त हेतु बकाया आय (Income Receivable) ₹386.87 लाख को तुलन पत्र में न दर्शाया जाना :-

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 12 तथा यथा परिशिष्ट-“8 व 9” अनुसार दिनांक 31.03.2025 को नगर परिषद की विविध स्रोतों से प्राप्त हेतु बकाया आय ₹3,86,86,978.00 बसूली हेतु शेष थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि प्राप्त हेतु बकाया आय को तुलन पत्र के सम्पति पक्ष में चालू सम्पति शीर्षक के अन्तर्गत नहीं दर्शाया गया था जिस कारण तुलन पत्र संस्था की सही स्थिति परिलक्षित नहीं कर रहे थे जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा तुलन पत्र संस्था की सही स्थिति परिलक्षित नहीं कर रहा था।

(iii) देय प्रतिभूति निधि (Security Refundable) ₹3.74 लाख को तुलन पत्र में न दर्शाया जाना:-

अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 31.03.2025 को यथा परिशिष्ट-“3” अनुसार देय प्रतिभूति निधि (Security Refundable) ₹374512.00 थी, जोकि संविदाकारों के भुगतान बिलों से काटकर उक्त निधि में जमा की गई थी परन्तु यह राशि तुलन पत्र में नहीं दर्शाई गई थी जिस कारण तुलन पत्र संस्था की सही स्थिति परिलक्षित नहीं कर रहा था।

(iv) उपयोग हेतु शेष अनुदान ₹752.86 लाख को तुलन पत्र में न दर्शाया जाना:-

यथा परिशिष्ट-“4” अनुसार नगर परिषद को विभिन्न वित्त-पोषित संस्थाओं तथा राज्य व केन्द्र सरकार से विभिन्न विकास कार्यों हेतु अनुदान के रूप में सहायता अनुदान प्राप्त हुई थी जिसमें से वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अन्त में सहायता अनुदान ₹75285990.71 उपयोग हेतु शेष थी परन्तु यह राशि तुलन पत्र में नहीं दर्शाई गई थी, जिस कारण तुलन पत्र संस्था की सही स्थिति परिलक्षित नहीं कर रहा था।

(v) अचल/स्थायी सम्पति का सही मूल्यांकन न करवाना

अंकेक्षण में पाया गया कि यथा परिशिष्ट-“2” अनुसार तुलन पत्र में कुल अचल/स्थायी सम्पति ₹594397.00 दर्शाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अचल सम्पति के समर्थन में कोई भी अभिलेख/रजिस्टर में दर्ज एवं सत्यापित प्रविष्टियाँ/खाताबही इत्यादि को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा वाउचर संख्या 33 दिनांक 26.03.2024 के अन्तर्गत Organic Waste Shredder Machine (SIDRA 250 KCG CAPACITY SHREDDER MACHINE) को ₹494989.00 में क्रय किया गया था तथा वाउचर संख्या 34 दिनांक 27.02.2024 के अन्तर्गत एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट्स (LED lights - 18- watt, 35 watt and other material within Municipal council limit Rohru) को ₹157200.00 में क्रय किया गया था परन्तु तुलन पत्र में अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई सम्पति को नहीं दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त नगर परिषद के पास भवन/रैहन बसेरा, पार्किंग स्थान, फर्नीचर, कम्प्यूटर, सामुदायिक भवन इत्यादि सम्पतियाँ भी थी जिन्हें नियमानुसार तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-108

दिनांक 31-07-2025 के सन्दर्भ में यथा परिशिष्ट-“5” पर प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर परिषद द्वारा 02 सितम्बर 2015 में तीन वाहनों को क्रय किया गया था जिसमें दो ट्रैक्टर (HP-10A-7904 & HP-10A-7905) को क्रमशः ₹6,25,000.00 तथा ₹7,25,000.00 में तथा एक डम्पर प्लेसर (HP-10A-7903) को ₹11,38,968.00 में क्रय किया गया था जिन्हें तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया था। उक्त से स्पष्ट है कि अचल सम्पत्ति के रूप में दर्शाई गई सम्पत्ति वास्तविक मूल्यांकन से बहुत कम थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्तर पर अचल सम्पत्ति उचित/वैध मूल्यांकन सुनिश्चित कर तदनुसार तुलन पत्र में दर्शाया जाये व समर्थन में आवश्यक अभिलेख/खाताबही/विवरणी को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि तुलन पत्र संस्था की सही स्थिति परिलक्षित कर सके।

नगर परिषद द्वारा आय-व्यय खाते के सन्दर्भ में अपेक्षित बही खाते (Ledger Accounts) अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जिससे यह भी प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा औपचारिकता मात्र के लिये अंतिम लेखों को तैयार किया गया था, जिस कारण तथ्यों के परस्पर मेल नहीं होने एवं समर्थित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण तुलन पत्र व आय-व्यय खाते में दर्शाई गई राशियों के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अध्याचना संख्या एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अंकेक्षण आपत्तियों/अनियमितताओं के सत्यापन उपरान्त तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि संस्था स्तर पर उचित जॉय उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। नगर परिषद द्वारा उक्त वर्णित वित्तीय विवरणियों को नियमानुसार तैयार न करने के कारण लेखों का सत्यापन नहीं किया जा सका, अंकेक्षण के दौरान केवल रोकड़ बही का सत्यापन अंकेक्षण दल द्वारा किया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि यथाशीघ्र लेखों का रख-रखाव दोहरा लेखा प्रणाली के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये ताकि तदनुसार अंतिम लेखों का संस्था के बही खातों (Ledger Accounts) से अंकेक्षण व सत्यापन को सुनिश्चित किया जा सके।

4.2 दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का उचित प्रकार से रख-रखाव न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत बहियों का रख-रखाव नहीं किया गया था जबकि निर्देशक, शहरी विकास विभाग हि0प्र0 के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III 3332-3379 Dt. 25.03.2009, UD -H(C)-15-49/2003-III 9337-9385 Dt. 07.09.2009 तथा पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-IV 5215-63 Dt. 19.07.2010 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख-रखाव करने के निर्देश दिए गए थे परन्तु संस्था स्तर पर लेखों का रख-रखाव दोहरी लेखा पद्धति के अनुसार उचित प्रकार से नहीं किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। संस्था द्वारा लेखों का नियमानुसार रख-रखाव नहीं करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान खातों के प्रारम्भिक शेष, प्राप्त आय, व्यय व अन्त

शेष की सत्यापना नहीं की जा सकी तथा ऐसे में लेखों में किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि संस्था स्तर पर उचित पड़ताल उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः सुझाव दिया जाता है कि यथाशीघ्र नियमानुसार लेखों का नियमानुसार संधारण/रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 वित्तीय स्थिति

5.1 सामान्य रोकड़ बही

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 131 दिनांक 31.07.2025 व 05.09.2025 के सन्दर्भ में यथा परिशिष्ट-“4” पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025 तक की वित्तीय का विवरण निम्न प्रकार से था:-

Financial Position of Municipal Council Rohru for the period 04-2023 to 03-2025							
Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During the year	Interest Received (Saving)	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	Own Sources	2197390.30	12981726.00	1741831.00	16920947.30	8205833.00	8715114.30
	Grant In Aid	49751074.71	74063629.00	0.00	123814703.71	58893084.00	64921619.71
	Total	51948465.01	87045355.00	1741831.00	140735651.01	67098917.00	73636734.01
2024-25	Own Sources	8715114.30	12255137.00	1928519.00	22898770.30	11127276.00	11771494.30
	Grant In Aid	64921619.71	28130831.00	0.00	93052450.71	17766460.00	75285990.71
	Total	73636734.01	40385968.00	1928519.00	115951221.01	28893736.00	87057485.01
Total as per General Cash Book as on 31.03.2025							87057485.01
Total as per Bank account as on 31.03.2025							87021421.01
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2025							36064.00
Bank Reconciliation statements as on 31.03.2025							
Total as per General Cash Book as on 31.03.2025							87057485.01
1) Less: Embezzlement prior to 31.03.2021 (During the year 1980-1985 the income was less deposited at bank).							-38712.00
2) HDFC Bank Ch. No. 000267 Dt. 03.02.2025 issued for Rs. 1120/- and cleared on 07-04-2025.							1120.00

3) HDFC Bank Ch. No. 000278 Dt. 13.03.2025 issued for Rs. 1120/- and cleared on 07-04-2025.	1120.00
4) HDFC Bank Ch. No. 000268 Dt. 15.02.2025 issued for Rs. 400/- and cleared on 21-04-2025.	400.00
5) HP State Co-op Bank Ch. No. 584856 Dt. 20.03.2025 issued for Rs. 3058/- but debited by the bank on dated 24-03-2025 for Rs. 3050/- which was rectified/debited by bank on 07-04-2025.	8.00
Total	-36064.00
Balance as per bank pass book as on 31-03-2025	87021421.01
Difference after addition and subtraction	0.00

5.2 नगर परिषद रोहडू के बचत बैंक खाते में जमा राशि का विवरण

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत सूचनानुसार दिनांक 31.03.2025 को बचत बैंक खातों में जमा राशि का विवरण यथा परिशिष्ट-“4.1” अनुसार निम्न प्रकार से था:-

Detail of Bank Accounts As on 31.03.2025	
HP state co-op bank a/c no. 43210165987	5664773.57
Punjab national bank a/c no. 4536000100010253	7406001.29
Punjab national bank a/c no. 4536000100139479	2087348.00
ICICI Bank A/c No. 373301000782	2480414.00
HDFC bank A/c 50100051618454	33985780.00
HDFC bank A/c 50100051659590	255680.15
HDFC bank A/c 50100525796405	2230.00
Axis bank A/c No.919010041623996	9965991.00
FDR HP state Co-Op. bank	1948914.00
FDR HP state Co-Op. bank	9843217.00
FDR HP state Co-Op. bank	3281072.00
FDR HP state Co-Op. bank	10100000.00
Total	87021421.01

5.3 बैंक समाधान विवरणी:- नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत सूचनानुसार दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी का विवरण यथा परिशिष्ट-“4” अनुसार निम्न प्रकार से था:-

Bank Reconciliation statements as on 31.03.2025	
Total as per General Cash Book as on 31.03.2025	87057485.01
1) Less: Embezzlement prior to 31.03.2021 (During the year 1980-1985 the income less deposited at bank)	-38712.00
2) HDFC Bank Ch. No. 000267 Dt. 03.02.2025 issued for ₹1120/- and cleared on 07-04-2025.	1120.00

3) HDFC Bank Ch. No. 000278 Dt. 13.03.2025 issued for ₹1120/- and cleared on 07-04-2025	1120.00
4) HDFC Bank Ch. No. 000268 Dt. 15.02.2025 issued for ₹400/- and cleared on 21-04-2025	400.00
5) HP State Co-op Bank Ch. No. 584856 Dt. 20.03.2025 issued for ₹3058/- but debited by the bank on dated 24-03-2025 for ₹3050/- which was rectified by bank on 07-04-2025	8.00
Total	-36064.00
Balance as per bank pass book as on 31-03-2025	87021421.01
Difference after addition and subtraction	0.00

बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं:-

5.4 रोकड़ बही व बैंक शेष में अन्तर ₹0.38 लाख का समाधान न करना

नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट-“4” अनुसार प्रस्तुत सूचना के अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 1980-85 के दौरान प्राप्त आय में से बैंक में ₹38712 को कम जमा किया गया था जिसका समाधान अंकेक्षण अवधि के अन्त भी नहीं किया गया था तथा यथावत दिनांक 31.03.2025 को समायोजन हेतु शेष थी, जोकि नियमों की प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर वित्तीय अनियमित है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2023 के पैरा संख्या: 5 (क) में भी यह प्रकरण संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई हेतु लाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था स्तर पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/ 2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः दिनांक 31.03.2025 तक समायोजन हेतु शेष ₹38712 का यथाशीघ्र मिलान किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करके सम्बन्धित उचित स्रोत से दण्ड भ्याज सहित राशि की वसूली कर परिषद निधि में जमा करवाना जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5.5 एकल नोडल बैंक खाता द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की वित्तीय स्थिति

अंकेक्षण अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025 के दौरान नगर परिषद रोहडू के एकल नोडल बैंक खाता के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना की (PMAY) की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से था।

Financial Year	Opening Balance (₹)	Receipts (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Closing Balance (₹)
2023-24	0	18,80,000.00	18,80,000.00	18,80,000.00	0
2024-25	0	6,30,000.00	6,30,000.00	6,30,000.00	0

6 सावधि जमा निवेश

नगर परिषद द्वारा अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश न करने के कारण ब्याज के रूप में अपेक्षित अतिरिक्त आय ₹39.26 लाख की वित्तीय हानि:-

नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट '4' पर प्रस्तुत सूचना अनुसार रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक/बैंक प्रमाण पत्र अनुसार नगर परिषद के विभिन्न बचत बैंक खातों में दिनांक 31.03.2025 को अन्त शेष ₹87057485.01 था तथा दिनांक 01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष ₹51948465.01 था जिससे स्पष्ट है कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि में बहुत बड़ी राशि को निष्प्रयोज्य रखा गया था। संस्था द्वारा यदि वर्णित अनुपयुक्त न्यूनतम शेष ₹51948465.01 में से 50 प्रतिशत ₹2,59,74,232.50 को भी अंकेक्षण अवधि में प्रचलित ब्याज दर 7.10 प्रतिशत से सावधि जमा में निवेश किया जाता तो संस्था को परिपक्वता पर ₹2,99,00,029.19 अर्थात् ब्याज के रूप में ₹39,25,796.67 की अतिरिक्त आय अपेक्षित थी परन्तु संस्था के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण ब्याज के रूप में अपेक्षित अतिरिक्त आय की हानि हुई थी। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-141 दिनांक 29.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः सुझाव दिया जाता है कि बचत बैंक खाते में अनुपयुक्त अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके व संस्था की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके।

7 पेंशन व ग्रेच्युटी निधि

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 131 दिनांक 31.07.2025 व 05.09.2025 के प्रत्युत्तर में अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई बैंक पास बुक, खाताबही व सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार दिनांक 31-03-2025 को नगर परिषद की पेंशन व ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विवरण परिशिष्ट-'4.1, 4.2' पर भी दिया गया है :-

Financial Position (Gratuity Fund) Of Municipal Council Rohru for the period 04-2023 to 03-2025					
Financial Year	Opening Balance	Receipt during the year	Total	Payment	Closing Balance
2023-24	2855498.00	395354.00	3250852.00	856440.00	2394412.00
2024-25	2394412.00	487486.00	2881898.00	0.00	2881898.00
Total as per Cash Book as on 31.03.2025					2881898.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2025 (Detail Given Below)					2881898.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2025					0.00
Detail of Bank Accounts As on 31.03.2025					1200997
FDR in HP Co-Op. Bank Rohru A/c 2315738					1008524
FDR in HP Co-Op. Bank Rohru A/c 2315737					672377.00
Total					2881898.00

Financial Position (Pension Fund) Of Municipal Council Rohru for the period 04-2023 to 03-2025					
Financial Year	Opening Balance	Receipt during the year	Total	Payment	Closing Balance
2023-24	4064523	912111	4976634	938416	4038218
2024-25	4038218	1126281	5164499	286692	4877807

Total as per Cash Book as on 31.03.2025	4877807.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)	629006.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2025	4248801.00
Detail of Bank Accounts As on 31.03.2025	
HP Co-Op. Bank A/c 43210121195	629006.00
FDR in HP Co-Op. Bank Rohru A/c 2728335	3069851.00
FDR in HP Co-Op. Bank Rohru A/c 22315536	1178950.00
Balance as per Bank account as on 31-03-2025	4877807.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2025	0.00

7.1 पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि में कम अंशदान जमा करना :-

H.P. Municipality Employees (Pension, Gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम 3(3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका द्वारा हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12% पेंशन तथा 6% ग्रेच्युटी का अभिदान पेंशन एवं उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु वाउचर संख्या: 01 दिनांक 01.11.2024, रोकड़ बही पृ.-116 तथा वाउचर संख्या: 03, दिनांक 03.02.2025 रोकड़ बही पृ.-166 के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा हि090 सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन)

नियम 2009 दिनांक 26.08.2009 द्वारा निर्धारित वेतनमान अनुसार पेंशन एवं ग्रेच्युटी 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी/उपदान को पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि में अंशदान जमा किया गया था जबकि निदेशक, हि0प्र0 शहरी विभाग के पत्र संख्या: UD-H(B)(10)-3/2002-IV-I-20604-64 दिनांक 23.10.2024 के अनुसार संशोधित वेतनमान नियम 2022 अधिसूचना संख्या: फिन(पी.आर.)-बी (7)-1/2021 दिनांक 03.01.2022 अनुसार पे-मैट्रिक्स लैबल के अधिकतम का 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान जमा किया जाना अपेक्षित था जिस कारण परिषद द्वारा नियमों के प्रतिकूल कम पेंशन तथा ग्रेच्युटी अंशदान को जमा किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परिषद द्वारा कम जमा पेंशन तथा ग्रेच्युटी अंशदान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि में कम अंशदान की प्रतिपूर्ति को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 अंशदायी पेंशन (एन.पी.एस.) निधि योजना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 131 दिनांक 31.07.2025 व 05.09.2025 के प्रत्युत्तर में यथा परिशिष्ट- "4.2, 4.3" पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01.04.2023 से 31.3.2025 की अंशदायी पेंशन (एन.पी.एस.) निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

Office of the Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)						
Financial Position of CPS/NPS(Employee and Employer Share) as per ledger, as on 31-03-2025						
Financial Year	Opening Balance	Contribution during the period		Total	Payment	Closing Balance
		CPS/NPS Employer/ Employee Share	Interest			
2023-24	4282968.00	0.00	121512.00	4404480.00	0.00	4404480.00
2024-25	4404480.00	0.00	125016.96	4529496.96	0.00	4529496.96
Closing Balance of CPS/NPS(Employee and Employer Share) as per ledger, as on 31-03-2025						
Sr No	Particular					Amount
1	Balance as per CPF(NPS) Ledger Account as on 31-03-2025					4529496.96
2	HP State Co-Op Bank Rohru, Distt. Shimla					4529496.96
3	Difference					0.00

Detail of closing balance of CPS (NPS) employee and Employer share in respect of employees of the Municipal Council Rohru, Distt. Shimla H.P., as on 31-03-2025						
S.N.	Name	Dsignation	Bank Name	Account No	Balance as on 31-03-25	Remarks
1	Sh. Sanjeev Kumar	Jr. Asstt.	HP State Co- Op Bank Rohru	43210132377	1311339.00	Ledger Page-83
2	Sh. Sunil Mehta	Jr. Engineer	...do...	43210132382	328439.00	Ledger Page-83
3	Sh. Raju Ram	Asst. Draft Man	...do...	43210132378	210419.00	Ledger Page-84
4	Sh. Kanshi Ram	Driver	...do...	43210132380	604990.00	Ledger Page-84
5	Sh. Anoop Kumar	Driver	...do...	43210132379	518934.00	Ledger Page-85
6	Sh. Shiv Charan	Safai Karamchari	...do...	43210132374	492165.00	Ledger Page-85
7	Sh. Mahender	Safai Karamchari	...do...	43210132376	411925.96	Ledger Page-86
8	Sh. Pradeep Kumar	Beldar	...do...	43210136922	172098.00	Ledger Page-86
9	Smt. Ram Kall	Safai Karamchari	...do...	43210133603	293026.00	Ledger Page-87
10	Sh. Videsh Kumar	Chowkidar	...do...	43210136923	186161.00	Ledger Page-87
Total					4529496.96	

7.3 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना अंशदायी पेंशन (एन.पी.एस.) कर्मचारियों के अंशदान को बंद करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान माह अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक एन.पी.एस. कर्मचारियों के अंशदान को बंद किया गया था, परन्तु इस सन्दर्भ में निदेशालय, शहरी विकास से अपेक्षित/आवश्यक स्वीकृति एवं सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिससे प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा संस्था स्तर पर ही एन.पी.एस. कर्मचारियों के अंशदान को बंद किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-141 दिनांक 29.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़ू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर उचित जॉच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से वर्णित अनियमितता को नियमित करवाया जाए अन्यथा संस्था स्तर पर कम जमा की गई राशि की गणना उपरान्त अपेक्षित अंशदान की प्रतिपूर्ति को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकंक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.4 सामान्य भविष्य निधि योजना

नगर परिषद द्वारा अंकंक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 131 दिनांक 31.07.2025 व 05.09.2025 के प्रत्युत्तर में यथा परिशिष्ट- "4.3, 4.4" पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01.04.2023 से 31.3.2025 की सामान्य भविष्य निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

Office of the Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)						
Financial Position of PPF/GPF as per ledger, as on 31-03-2025						
Financial Year	Opening Balance	Contribution during the period		Total	Payment	Closing Balance
		PPF/GPF Contribution	Interest			
2023-24	6219799.00	984000.00	420049.00	7623848.00	1362500.00	6261348.00
2024-25	6261348.00	869000.00	412095.00	7542443.00	1182920.00	6359523.00
Closing Balance of CPS/NPS(Employee and Employer Share) as per ledger, as on 31-03-2025						
Sr No	Particular					Amount
1	Balance as per PPF Ledger Account as on 31-03-2025					6359523.00
2	Balance as per Post Office Accounts					6359523.00
3	Difference					0.00

7.5 पेंशन व ग्रेच्युटी तथा अंशदायी पेंशन योजना निधि के लेखों का रख-रखाव नियमानुसार न करना

हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या: LSG-B(1)-1/79-III, दिनांक 25.04.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के कर्मचारियों को पेंशन के लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ-साथ इनका रख-रखाव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उप-नियम (3) में यह भी प्रावधित है कि नगरपालिकाएं कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पेंशन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करवाएगी परन्तु नगर परिषद के लेखों के अंकंक्षण में पाया गया कि उक्त वर्णित निधियों की रोकड़ बहियों का रख-रखाव ही नहीं किया गया था

तथा खाताबहियों का रख-रखाव निदेशालय, शहरी विकास की अपेक्षा नगर परिषद द्वारा स्वयं ही किया जा रहा था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब निमयानुसार लेखों का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके।

8 सहायता अनुदान

8.1 सहायता अनुदान ₹752.86 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 131 दिनांक 31.07.2025 व 05.09.2025 के प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "7" पर अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचनानुसार परिषद के विभिन्न बचत बैंक खातों में दिनांक 31.03.2025 को सहायता अनुदान ₹75285990.71 उपयोग हेतु शेष थी जिससे यह भी परिलक्षित होता है कि नगर परिषद द्वारा सहायता अनुदान का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं किया गया था, जिस कारण न केवल सहायतानुदान का अनावश्यक अवरोधन हुआ था बल्कि लाभार्थी जनता को भी अपेक्षित लाभ से वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि यथाशीघ्र अनुदान राशि को निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय कर दिया जायेगा व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि अनुपयुक्त अनुदान राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक पग उठाए जाये ताकि लाभार्थी जनता को विकासात्मक गतिविधियों का लाभ प्राप्त हो सके।

8.2 सहायता अनुदान से व्यय ₹66.38 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट "7" पर अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त सहायतानुदान से ₹6638386.00 का व्यय किया गया था परन्तु सहायतानुदान जारीकर्ता संस्थाओं को नियमानुसार अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रेषित नहीं किया गया था जोकि हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 157 के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद

द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि सम्बन्धित संस्थाओं को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिये जायेंगे व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.3 सहायता अनुदान ₹12.15 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि यथा परिशिष्ट '7' अनुसार नगर परिषद को अंकेक्षण अवधि के दौरान ऑनलाईन ₹1214645.00 की अनुदान राशियाँ प्राप्त हुई थी जिनके स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी की ऑनलाईन प्राप्त राशि वास्तव में सहायता अनुदान राशि से ही सम्बन्धित थी अथवा नहीं तथा सहायता अनुदान जारीकर्ता संस्था द्वारा किस उद्देश्य हेतु अनुदान राशियों को जारी किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः सहायता अनुदान राशियों के स्वीकृति पत्रों को सहायतानुदान जारीकर्ता संस्था से प्राप्त कर अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8.4 लगभग 15 वर्ष से 9 माह पूर्व प्राप्त सहायता अनुदान ₹405.34 लाख का उपयोग न करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 131 दिनांक 31.07.2025 व 05.09.2025 के प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत सूचना के अंकेक्षण में पाया गया कि यथा परिशिष्ट '7' अनुसार परिषद द्वारा लगभग 15 वर्ष से 9 माह वर्ष पूर्व प्राप्त सहायता अनुदान ₹4,05,34,404.00 को निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय नहीं किया गया था जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि नगर परिषद द्वारा सहायता अनुदान का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं किया गया था जिस कारण न केवल सहायतानुदान का अनावश्यक अवरोधन हुआ था बल्कि लाभार्थी जनता को भी अपेक्षित लाभ से वंचित होना पड़ा जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	सहायता अनुदान जारी कर्ता संस्था एवं उद्देश्य	सहायता अनुदान प्राप्ति वर्ष/ तिथि व राशि (₹)	अंकेक्षण अवधि तक प्रयुक्त अनुदान (₹)	उपयोग हेतु शेष अनुदान (₹)
1	Distt. TDO शिमला से पार्किंग निर्माण हेतु सहायता अनुदान प्राप्त हुई थी।	सहायता अनुदान ₹17,59,484 दिनांक 21.12.2011 को पार्किंग निर्माण हेतु प्राप्त हुई थी।	कोई भी व्यय नहीं किया गया था।	पार्किंग निर्माण हेतु प्राप्त सहायता अनुदान ₹17,59,484 का उपयोग लगभग 14 से 15 वर्ष उपरान्त भी नहीं किया गया था। (परिशिष्ट '7')
2	Director, UD (RGURF) शिमला से कार पार्किंग निर्माण हेतु सहायता अनुदान प्राप्त हुई थी।	सहायता अनुदान ₹29,86,950 दिनांक 20.04.2011 को कार पार्किंग निर्माण हेतु प्राप्त हुई थी।	कोई भी व्यय नहीं किया गया था।	पार्किंग निर्माण हेतु प्राप्त सहायता अनुदान ₹29,86,950 का उपयोग लगभग 14 से 15 वर्ष उपरान्त भी नहीं किया गया था। (परिशिष्ट '7')
3	BDO Rohru, शिमला से पार्किंग निर्माण हेतु सहायता अनुदान दिनांक 23.03.2023 को प्राप्त हुई थी।	सहायता अनुदान ₹5,00,000 दिनांक 23.03.2023 को पार्किंग निर्माण हेतु प्राप्त हुई थी।	कोई भी व्यय नहीं किया गया था।	पार्किंग निर्माण हेतु प्राप्त सहायता अनुदान ₹5,00,000 का उपयोग लगभग दो वर्ष उपरान्त भी नहीं किया गया था। (परिशिष्ट '7')
4	DC Office शिमला से राम लीला ग्राउंड की रिपेयर/विस्तार हेतु सहायता अनुदान दिनांक 04.11.2023 को प्राप्त हुई थी।	सहायता अनुदान ₹13,00,000 दिनांक 04.11.2023 को ग्राउंड की रिपेयर/विस्तार हेतु प्राप्त हुई थी।	दिनांक 04.11.2023 को प्राप्त सहायता अनुदान ₹13,00,000 में से मात्र ₹152163 को व्यय किया गया था।	सहायता अनुदान जोकि दिनांक 31.03.2025 को ब्याज सहित ₹13,02,191 थी, जिसका उपयोग लगभग 15 से 16 माह उपरान्त भी नहीं किया गया था। (परिशिष्ट '7')
5	Director, UD शिमला से 15 th CFC (Tied and Untied) के अन्तर्गत प्राप्त सहायता	15 th CFC के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान (Received from 5-8-2022 to 6-4-2024) Year 2022-23=14909318	वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान	सहायता अनुदान जोकि दिनांक 31.03.2025 को ब्याज सहित ₹33985780 थी, जिसका उपयोग लगभग 9 से 32 माह उपरान्त भी

अनुदान। (Note:As per the recommendation of the Fifteenth Finance Commission (FC-XV) the award period is 2021-22 to 2025-26, but the huge amount was unutilized)	Year 2023-24-12735706 Year 2024-25-6801878 Total = 34446902	₹34446902 में से मात्र ₹461122 को व्यय किया गया था।	नहीं किया गया था। (परिशिष्ट '7')
लगभग 15 वर्ष से 9 माह पूर्व प्राप्त सहायतानुदान की व्यय हेतु शेष राशि			₹4,05,34,404.00

नगर परिषद द्वारा यथासमय अनुदान राशियों का उपयोग नहीं करने के कारण एक ओर निधि का अनावश्यक अवरोधन हुआ था वहीं दूसरी ओर लाभार्थी जनता को भी अपेक्षित लाभ से वंचित होना पड़ा जोकि संस्था की लचर कार्य प्रणाली व अकुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित दस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि अनुपयुक्त अनुदान राशि को नियमानुसार यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय कर दिया जायेगा व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया दिया जायेगा। अतः वर्णित सहायतानुदान को यथाशीघ्र नियमानुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा सहायता अनुदान जारीकर्ता संस्था को ब्याज सहित राशि को प्रत्यर्पित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.5 सहायता अनुदान रजिस्टर (Grant in Aid Register) का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2025 के अन्त तक सहायता अनुदान रजिस्टर (Grant in Aid Register) का नियमानुसार अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात् शीर्षवार अनुदान राशि के प्रारम्भिक शेष, प्राप्त राशि, अनुदान प्रयोजन, व्यय की गई राशि तथा अन्तशेष का नियमानुसार विवरण नहीं दर्शाया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में नियमानुसार अनुदान से किए गए व्यय व तदनुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की सत्यापना/पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जबकि नियमानुसार निम्न प्रपत्र अनुसार सहायता अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित था:-

1	2	3	4	5
Opening Balance of Grant in Aid (If Any)	Date of receipt of Grant in Aid	Letter No. and Date	Grant in Aid Issuing Authority/Institutions	Purpose for which GIA Received
6	7	8	9	10
Time period of	Amount of Grant	Total of Column No. 1	Amount of	Vr. No. and

utilisatinn of GIA (if any)	in Aid received	and 7	Expenditure	Date
11	12	13	14	15
Purpose for which GIA utilised.	Closing Balance of GIA.	Whether Utilization certificate issued or Not.	Utilization No. and Date	Remarks

अंकेक्षण अध्यायना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संस्था स्तर पर अपेक्षित अभिलेखों का नियमानुसार रख-रखाव न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार अनुरक्षण व अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 बजट

9.1 वर्ष 2023-24 का बजट प्राक्कलन लगभग पाँच माह विलम्ब से अनुमोदित करवाना तथा अनुमोदित व्यय से ₹669.12 लाख का कम व्यय करना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 249 (1 व 2) में प्रावधित है कि नगर पालिका/परिषद का बजट प्राक्कलन एक फरवरी से 10 मार्च के बीच की अवधि में नगर परिषद सदन के पटल पर रखे जाने के पश्चात् जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा। इसी प्रकार नियम 249(5) में प्रावधित है कि यदि नगर परिषद सदन उपरोक्त वर्णित तिथियों के बीच बजट प्रस्तावों को अपनी सहमति नहीं देता है तो कार्यकारी अधिकारी द्वारा सदन की सहमति के बिना ही जिलाधीश के माध्यम से समय पर बजट को अनुमोदन हेतु निदेशक, शहरी विकास को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट निदेशालय, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा पत्र संख्या: No. UD-H(C)(1)-35/2011-15710-11 दिनांक 24.08.2023 द्वारा लगभग पाँच माह पश्चात् अनुमोदित किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने कारण अनियमित है क्योंकि लगभग पाँच माह उपरान्त बजट अनुमोदित करवाने से बजट को तैयार करने का उद्देश्य/महत्व निरर्थक हो जाता है तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 249 (1 व 2) तथा 249(5) के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त कारणों से संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में आय एवं व्यय को बजट के अनुसार केन्द्रित नहीं किया गया था तथा अनुमोदित बजट से ₹6,69,11,888.00 का कम व्यय किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से था।

YEAR	Income		Expenditure	
	Approved Estimated Budget	Actual Receipt during the Year	Approved Estimated Budget	Actual Expenditure
2023-24	51930500.00	88787186.00	89630805.00	22718917.00
Less expenditure than approved budget				66911888.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि भविष्य में नियमानुसार यथासमय बजट को तैयार करके आय-व्यय को सुनिश्चित किया जायेगा। अतः वर्णित अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा प्रकरण संस्थाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ नियमानुसार बजट के आधार पर आय-व्यय को सुनिश्चित करने हेतु लाया जाता है ताकि बजट के अनुसार आय-व्यय को नियंत्रित किया जा सके।

9.2 वर्ष 2024-25 का बजट प्राक्कलन अनुमोदित किये बिना ₹271.05 लाख का अनियमित व्यय करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट अनुमोदित किये बिना ₹27105070.00 का व्यय किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 249(1 व 2) तथा 249(5) के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिस कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में आय एवं व्यय को बजट के अनुसार केन्द्रित नहीं किया गया था तथा ₹27105070.00 का अनुचित/अनियमित व्यय किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से था।

YEAR	Income		Expenditure	
	Approved Estimated Budget	Actual Receipt during the Year	Approved Estimated Budget	Actual Expenditure
2024-25	Budget not approved	42314487.00	Budget not approved	27105070.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि भविष्य में नियमानुसार यथासमय बजट को तैयार/पारित करके तदनुसार आय-व्यय को सुनिश्चित किया जायेगा। अतः वर्णित अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा प्रकरण संस्थाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ नियमानुसार पारित बजट

के आधार पर आय-व्यय को सुनिश्चित करने हेतु लाया जाता है ताकि बजट के अनुसार आय-व्यय को नियंत्रित किया जा सके।

10 नगर परिषद के गत तीन वर्षों के आय व व्यय का विवरण

नगर परिषद के गत तीन वर्षों के आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से था:-

Financial Position of Municipal Council Rohru, Distt. Shimla							
Year	Name of head	Opening balance (₹)	Receipt during the year (₹)	Interest received (saving) (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Closing balance (₹)
2020-21	Own Sources & Grant In Aid	34765431.23	31238885.00	942376.26	66946692.49	30361849.04	36584843.45
2021-22	Own Sources	830553.64	5831817.00	1141142.00	7803512.64	7325585.76	477926.88
	Grant In Aid	35754289.81	22743806.00	0.00	58498095.81	22205172.72	36292923.09
	Total	36584843.45	28575623.00	1141142.00	66301608.45	29530758.48	36770849.97
2022-23	Own Sources	477926.88	4281958.14	2401227.00	7161112.02	4963721.72	2197390.30
	Grant In Aid	36292923.09	30628725.00	0.00	66921648.09	17170573.38	49751074.71
	Total	36770849.97	34910683.14	2401227.00	74082760.11	22134295.10	51948465.01

11.1 ₹21000/- की राशि को विलम्ब से जमा करना

नगर परिषद द्वारा यूजर चार्जिज डी-2-डी गार्बेज कलेक्शन रसीद के अन्तर्गत प्राप्त आय को रसीद बुक फॉर्म जी-8 व रोकड बही में विलम्ब से दर्ज किया गया था तथा तदनुसार बैंक खाते में भी राशि को विलम्ब से जमा करवाया गया था, जबकि नियमानुसार प्राप्त रोकड, चैक, ड्राफ्ट इत्यादि को उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस को बिना किसी विलम्ब के रोकड बही व बैंक खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹2,10,000 को अनियमित रूप से हस्तगत रखकर विलम्ब से बैंक खाते में जमा करवाया गया था, जोकि हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 3 व 10 के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अंकेक्षण के दौरान चयनित प्रकरणों में विलम्ब से बैंक में जमा की गई कुछ प्राप्तियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	यूजर चार्जिज डी 2 डी गार्बेज कलेक्शन रसीद बुक संख्या/रसीद संख्या व तिथि	फॉर्म जी-8 /रसीद बुक संख्या/ रसीद संख्या व तिथि	आय का विवरण	राशि	रोकड बही में जमा की तिथि	बैंक में जमा की तिथि	विलम्ब दिनों में
1	241/23401 to 23500 Dt. 01-07-24 to 5-7-24	181/18015/23-07-2024	Door to Door Garbage Collection	11900.00	23-07-2024	24-07-2024	19 to 23 days
2	242/23501 to	181/18015/23-07-	Door to Door	11900.00	23-07-2024	24-07-2024	19 to 21

	23600 Dt. 03-07-24 to 5-7-24	2024	Garbage Collection				days
3	243/23601 to 23700 Dt. 06-07-24 to 10-7-24	181/18015/23-07-2024	Door to Door Garbage Collection	11900.00	23-07-2024	24-07-2024	14 to 18 days
4	244/23701 to 23800 Dt. 06-07-24 to 11-7-24	181/18015/23-07-2024	Door to Door Garbage Collection	11900.00	23-07-2024	24-07-2024	13 to 18 days
5	245/23801 to 23900 Dt. 08-07-24 to 11-7-24	181/18016/ 23-07-2024	Door to Door Garbage Collection	12900.00	23-07-2024	24-07-2024	13 to 16 days
6	246/23901 to 24000 Dt. 11-07-24 to 13-7-24	181/18016/ 23-07-2024	Door to Door Garbage Collection	12900.00	23-07-2024	24-07-2024	11 to 13 days
7	247/24001 to 24100 Dt. 11-07-24 to 16-8-24	182/18151/ 21-08-2024	Door to Door Garbage Collection	11400.00	22-08-2024	22-08-2024	13 to 41 days
8	248/24101 to 24200 Dt. 15-07-24 to 22-7-24	182/18151/ 21-08-2024	Door to Door Garbage Collection	11150.00	22-08-2024	22-08-2024	30 to 37 days
9	249/24201 to 24300 Dt. 24-07-24 to 25-7-24	182/18151/ 21-08-2024	Door to Door Garbage Collection	10300.00	22-08-2024	22-08-2024	27 to 28 days
10	250/24301 to 24400 Dt. 24-07-24 to 29-7-24	182/18151/ 21-08-2024	Door to Door Garbage Collection	11150.00	22-08-2024	22-08-2024	23 to 28 days
11	251/24401 to 24500 Dt. 24-07-24 to 31-7-24	182/18151/ 21-08-2024	Door to Door Garbage Collection	11550.00	22-08-2024	22-08-2024	21 to 28 days
12	252/24500 to 24600 Dt. 25-07-24 to 16-8-24	182/18152/ 22-08-2024	Door to Door Garbage Collection	10700.00	22-08-2024	22-08-2024	5 to 27 days
13	253/24601 to 24700 Dt. 27-07-24 to 30-8-24	182/18152/ 22-08-2024	Door to Door Garbage Collection	16400.00	22-08-2024	22-08-2024	22 to 25 days
14	254/24701 to 24800 Dt. 30-07-24 to 31-07-24	182/18152/ 22-08-2024	Door to Door Garbage Collection	12000.00	22-08-2024	22-08-2024	21 to 22 days
15	190/18301 to 18400 Dt. 12-01-24	174/17301/ 29-01-2024	Door to Door Garbage Collection	8050.00	31-01-2024	31-01-2024	11 to 19 days

	to 19-01-24						
16	191/18401 to 18500 Dt. 16-01-24 to 16-01-24	174/17301/ 29- 01-2024	Door to Door Garbage Collection	10300.00	31-01-2024	31-01-2024	14 days
17	192/18501 to 18600 Dt. 17-01-24 to 18-01-24	174/17301/ 29- 01-2024	Door to Door Garbage Collection	12100.00	31-01-2024	31-01-2024	12 to 13 days
18	193/18601 to 18700 Dt. 18-01-24 to 20-01-24	174/17301/ 29- 01-2024	Door to Door Garbage Collection	11500.00	31-01-2024	31-01-2024	10 to 12 days
Total				210000.00			

11.2 यूजर चार्जिज डी-2-डी गार्बेज कलेक्शन रसीद से प्राप्त आय में से ₹200 को रोकड़ बही तथा बैंक खाते में कम दर्ज करना।

अंकेक्षण के दौरान चयनित प्रकरणों में पाया गया कि संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार यूजर चार्जिज डी-2-डी गार्बेज कलेक्शन रसीद से प्राप्त आय ₹200 को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया था और न ही बैंक खाते में जमा किया गया था, जोकि हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 3 व 10 के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Statement Showing the detail of Door to Door garbage Collection fee recorded less in G/8 & Cash book during the period 4/2019 to 3/2023							
क्र. सं.	यूजर चार्जिज डी-2-डी गार्बेज कलेक्शन (फॉर्म आर-6) रसीद बुक संख्या/ तिथि	फॉर्म जी-8 /रसीद संख्या व तिथि	रोकड़ बही में दर्ज करने की तिथि व पृष्ठ संख्या	डी-2-डी रसीद बुक अनुसार प्राप्त राशि	रोकड़ बही में दर्ज राशि	रोकड़ बही व बैंक में कम जमा राशि (₹)	अभ्युक्ति
1	244/23701 to 23800 Dt. 06-07-24 to 11-7-24	181/18015/ 23-07-2024	23-07-2024 Page-46	14050	14000	50	Under receipt No. 23730 Rs. 150 were received but while totaling Rs. 100 were added
2	245/23801 to 23900 Dt. 08-07-24 to 11-7-24	181/18016/ 23-07-2024	23-07-2024 Page-46	12950	12900	50	Under receipt No. 23821 Rs. 150 were received but while totaling Rs. 100 were added
3	252/24501 to 24600 Dt. 25-07-24 to 16-8-24	182/18152/ 22-08-2024	22-08-2024 Page-68	10700	10800	100	Under receipt No. 24582 Rs. 200 were received but while totaling Rs. 100 were added
Total of amount less entered in Cash Book & GR-8						200.00	

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके

प्रत्युत्तर में परिषद द्वारा रसीद संख्या 197/196333 दिनांक 30.09.2025 के अन्तर्गत ₹200 की वसूली कर दी गई थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं से पूर्णतया परिहार किया जाना सुनिश्चित किया जाये व नियमानुसार रोकड बही का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके।

12 विविध स्रोतों से अपेक्षित आय ₹386.87 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण अध्याचना संख्या एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 131 दिनांक 31.07.2025 व 05.09.2025 के प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत आय से सम्बन्धित अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के अन्त में ₹3,86,86,978.00 की आय वसूली हेतु शेष थी परन्तु नगर परिषद द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 258 के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि संस्था की लघु कार्य प्रणाली को दर्शाता है तथा निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय आदेश संख्या यूडी-एच(सी) (1)-1/86-विविध-2553 -2607 दिनांक 12.02.2018 द्वारा करों/शुल्कों की शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने बारे जारी दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 86, 87 व 89 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार बकाया आय की वसूली हेतु तुरन्त ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण अवधि के अन्त में वसूली हेतु बकाया राशि का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से था :-

Sr. No.	Particular of Income Outstanding as on 31-03-2025	Amount	Remarks
1	Outstanding amount of Shop Rent	1719796.00	परिशिष्ट "8 "
2	Outstanding amount of House Tax	21065838.00	परिशिष्ट "8 "
3	Door to Door Garbage Collection.	9609500.00	परिशिष्ट "8 "
5	Sanitation Fee	3639990.00	परिशिष्ट "8 "
6	Outstanding amount of Mobile tower fee	177501.00	परिशिष्ट "8 "
7	Outstanding amount of Buy back plastic policy	247275.00	As per Para "12.12"
8	Outstanding income of slauthter House	276270.00	परिशिष्ट "9 "
9	Outstanding amount of Parking fee	1950808.00	परिशिष्ट "9 "
Total outstanding income as on 31-03-2025		₹38686978.00	

12.1 गृहकर की वसूली हेतु दर्शाई गई बकाया आय ₹210.65 लाख की जाँच हेतु अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करना

हि0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1994 (The Himachal Pradesh Municipal Act, 1994) की धारा 65 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले भवनों तथा जमीन पर गृह कर अधिरोपित करने का प्रावधान है परन्तु नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट-8 पर प्रस्तुत सूचनानुसार दिनांक 31.03.2025 तक गृहकर ₹2,10,65,838.00 वसूली हेतु शेष था परन्तु परिषद द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत तथ्यों/ऑकड़ों की सत्यपना/पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि नगर परिषद द्वारा न तो नियमानुसार मौग व प्राप्ति रजिस्टर का संधारण किया गया था और न ही इस सम्बन्ध में अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जोकि नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः गृह कर की वसूली हेतु शेष दर्शाई राशि के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार न करने व अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा प्रकरण संस्थास्तर पर उचित जाँच/छानबीन हेतु लाया जाता है एवं किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.2 धीर लम्बित गृहकर ₹35.71 लाख की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि यथा परिशिष्ट "10" अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक कुल 1806 गृहकरदाताओं में से केवल 34 गृहकरदाताओं से गृहकर ₹35,70,716.55 वसूली हेतु शेष थी जोकि कुल बकाया गृहकर ₹2,10,65,838.00 का 16.95% था तथा लगभग 12 से 15 वर्षों से वसूली हेतु लम्बित थी जोकि संस्था की लचर कार्य प्रणाली को दर्शाता है जिससे नगर परिषद को ब्याज के रूप में अपेक्षित अतिरिक्त आय की भी निरन्तर हानि हो रही थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2023 के पैरा संख्या: 12 (क) में भी धीर लम्बित प्राप्तियों/आय की वसूली न करने बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था स्तर पर लम्बित आय की वसूली हेतु कोई भी गम्भीर प्रयास नहीं किये गये थे जोकि संस्था की लचर कार्य प्रणाली को दर्शाता है। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त

नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित गृहकर की बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई को अमल लाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.3 चौर लम्बित दुकानों के किराये ₹14.56 लाख की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि यथा परिशिष्ट "11" अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक कुल 107 दुकानों में से केवल 25 दुकानों से ₹14,56,984.00 किराये की राशि वसूली हेतु शेष थी जोकि कुल बकाया राशि ₹17,19,796.00 का 84.72% था तथा गत कई वर्षों से वसूली हेतु लम्बित थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2023 के पैरा संख्या: 13 (क) में भी लम्बित राशियों की वसूली न करने बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था स्तर इन लम्बित राशियों की वसूली हेतु कोई भी प्रयास नहीं किये गये थे जोकि संस्था की लघु कार्य प्रणाली को दर्शाता है जिससे नगर परिषद को ब्याज के रूप में अपेक्षित अतिरिक्त आय की भी निरन्तर हानि हो रही थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/ रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई को अमल में लाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.4 अनुबन्ध प्रपत्र की शर्तों के अनुसार किराये में वृद्धि न करने के कारण किराये ₹1.03 लाख की कम माँग व वसूली करना

नगर परिषद के दुकानों से सम्बन्धित अनुबन्ध प्रपत्र, किराये के रजिस्टर का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण में पाया गया कि यथा परिशिष्ट "12" अनुसार वर्णित दुकानों के किराये में अनुबन्ध प्रपत्र की शर्त संख्या: 5 व 6 के अनुसार वृद्धि नहीं की गई थी, फलस्वरूप घयनित प्रकरणों में कुल 107 दुकानों में से केवल 18 दुकानों के किराये ₹103058.00 की कम माँग व वसूली की गई थी जिस कारण संस्था को प्रतिवर्ष कम किराये की माँग व वसूली करने के कारण वित्तीय हानि हो रही थी वहीं दूसरी ओर किराये के रजिस्टर में दुकानों के किराये के प्रतिमाह किराये की राशि (Monthly amount of rent for the year) कम परिलक्षित हो रही थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Municipal Council Rohru, Audit Period 04-2023 to 03-2025										
Rent Demand and Collection for FY 2024-25										
As per condition No. 5 Or 6. 'That the monthly rent will be enhanced @3% per annum on first day of April every following year'.										
Sr. No.	Name	Shop No	Date of Agreement	Rent Reg. Page	Date of Allotment	Rent P.M as per Rent Register as on 31-03-2025	Rent due on the 1 st of every year	Difference	Nos of Month	Less demand and Collection
1	Sagar	1	25-03-2021	52	01-04-2021	5000	5,000	0		0.00
					01-04-2022	5000	5,150	150	12	1800.00
					01-04-2023	5000	5,305	305	12	3660.00
					01-04-2024	5000	5,464	464	12	5568.00
2	Sanjeev Singh	2	25-03-2021	52	01-04-2021	5000	5,000	0		0.00
					01-04-2022	5000	5,150	150	12	1800.00
					01-04-2023	5000	5,305	305	12	3660.00
					01-04-2024	5000	5,464	464	12	5568.00
3	Ravi Kumar	3	25-03-2021	52	01-04-2021	5000	5,000	0		0.00
					01-04-2022	5000	5,150	150	12	1800.00
					01-04-2023	5000	5,305	305	12	3660.00
					01-04-2024	5000	5,464	464	12	5568.00
4	Banti Devi	4	25-03-2021	52	01-04-2021	5000	5,000	0		0.00
					01-04-2022	5000	5,150	150	12	1800.00
					01-04-2023	5000	5,305	305	12	3660.00
					01-04-2024	5000	5,464	464	12	5568.00
5	Sunder Singh	5	25-03-2021	52	01-04-2021	5000	5,000	0		0.00
					01-04-2022	5000	5,150	150	12	1800.00
					01-04-2023	5000	5,305	305	12	3660.00
					01-04-2024	5000	5,464	464	12	5568.00
6	Vanita	6	25-03-2021	52	01-04-2021	5000	5,000	0		0.00
					01-04-2022	5000	5,150	150	12	1800.00
					01-04-2023	5000	5,305	305	12	3660.00
					01-04-2024	5000	5,464	464	12	5568.00
7	Jognath	7	25-03-2021	52	01-04-2021	5000	5,000	0		0.00
					01-04-2022	5000	5,150	150	12	1800.00
					01-04-2023	5000	5,305	305	12	3660.00
					01-04-2024	5000	5,464	464	12	5568.00
8	Uma Sharma	25	04-03-2023	54	01-04-2023	3900	3,900	0		0.00
					01-03-2024	3900	4,017	117	12	1404.00
					01-03-2025	3900	4,138	238	1	238.00
9	Chhodar Mal	40	01-05-2023	56	01-05-2023	960	960	0		0.00

					01-05-2024	960	989	29	11	319.00
10	Dhani Ram	56	03-04-2023	57	03-04-2023	3000	3,000	0		0.00
					01-04-2024	3000	3,090	90	12	1080.00
11	Amrita Verma	66	26-10-2022	58	01-11-2022	5760	5760	0	12	0.00
					01-11-2023	5760	5,933	173	12	2076.00
					01-11-2024	5760	6,111	351	12	4212.00
12	Naruttam Lal	73	08-05-2023	59	08-05-2023	840	840	0		0.00
					01-05-2024	840	865	25	11	275.00
13	Daya Ram	74	24-03-2022	59	01-04-2022	1700	1700	0		0.00
					01-04-2023	1700	1,751	51	12	612.00
					01-04-2024	1700	1,804	104	12	1248.00
14	Saradara Singh	88	01-04-2022	61	01-04-2022	1500	1500	0		0.00
					01-04-2023	1500	1,545	45	12	540.00
					01-04-2024	1500	1,591	91	12	1092.00
15	Vinod Kumar	93	15-03-2022	61	01-04-2022	2030	2030	0		0.00
					01-04-2023	2030	2091	61	12	732.00
					01-04-2024	2030	2,154	124	12	1488.00
16	Naresh	95	15-02-2022	62	01-03-2022	2500	2500	0		0.00
					01-03-2023	2500	2,575	75	12	900.00
					01-03-2024	2500	2,652	152	12	1824.00
					01-03-2025	2500	2,732	232	1	232.00
17	Bhakti Chauhan	96	15-02-2022	62	01-03-2022	2500	2500	0		0.00
					01-03-2023	2500	2,575	75	12	900.00
					01-03-2024	2500	2,652	152	12	1824.00
					01-03-2025	2500	2,732	232	1	232.00
18	Basant Lal	99	05-02-2022	62	05-02-2022	3630	3630	0		0.00
					01-02-2023	3630	3,739	109	12	1308.00
					01-02-2024	3630	3,851	221	12	2652.00
					01-02-2025	3630	3,967	337	2	674.00
Total										103058.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: संख्या नं० ५०/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार दुकानों के किराये से सम्बन्धित रजिस्टर/अभिलेखों का रख-रखाव

व तदनुसार बकाया राशियों की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई को अमल में लाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.5 अनुबन्ध प्रपत्र की शर्तों के प्रतिकूल विलम्ब से किराये की अदायगी करने के कारण किरायेदारों से दण्ड ब्याज ₹2.17 लाख की कम मॉग व वसूली करना

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 131 दिनांक 31.07.2025 व 05.09.2025 के प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/दुकानों से सम्बन्धित अनुबन्ध प्रपत्र तथा किराये के रजिस्टर का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण में पाया गया कि यथा परिशिष्ट "13" अनुसार किरायेदारों द्वारा विलम्ब से किराये का भुगतान किया गया था परन्तु परिषद द्वारा अनुबन्ध प्रपत्र की शर्त संख्या 3, 11 व 14 के अनुसार 12% दण्ड ब्याज सहित किराये की मॉग व वसूली नहीं की गई थी जिस कारण धनित प्रकरणों में कुल 107 दुकानों में से केवल 14 दुकानों से किराये ₹2,17,443.00 की कम मॉग व वसूली की गई थी जिससे एक ओर संस्था को प्रतिवर्ष कम किराये की मॉग व वसूली करने के कारण वित्तीय हानि हो रही थी वहीं दूसरी ओर (Amount of recoverable at the end of the year) किराये के रजिस्टर में वसूली हेतु शेष राशि कम परिलक्षित हो रही थी, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Municipal Council Rohru, Audit Period 04-2023 to 03-2025										
Rent Demand and Collection for FY 2024-25										
As per condition No. 3, 11, 14. 'If the tenant fails to deposit the said rent by prescribed date mentioned above he shall have to pay interest @ 12% p.a. on the amount of rent which is due that date'.										
Sr. No.	Name	Shop No	Rent P.M	Financial Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Penal Interest 12%	Outstanding Balance Upto March 24
1	Luxmi Chand	10	660	2023-24	13080	7,920	21,000	0	2520.00	23,520
			660	2024-25	23,520	7,920	31,440	0	3773.00	35,213
2	The Tehsil Rohru Co-op	13-16	2640	2023-24	47520	31,680	79,200	0	9504.00	88,704
	Union Rohru		2640	2024-25	88,704	31,680	1,20,384	0	14446.00	1,34,830
3	Rakesh Kumar	27	5500	2023-24	99000	66,000	1,65,000	0	19800.00	1,84,800
			5500	2024-25	1,84,800	66,000	2,50,800	0	30096.00	2,80,896
4	Prem Lal	42	660	2023-24	64965	7,920	72,885	0	8746.00	81,631
			660	2024-25	81,631	7,920	89,551	0	10746.00	1,00,297
5	Karam Dass	45	660	2023-24	15480	7,920	23,400	0	2808.00	26,208
			660	2024-25	26,208	7,920	34,128	0	4095.00	38,223
6	Roshan Lal	47	660	2023-24	17280	7,920	25,200	0	3024.00	28,224

			660	2024-25	28,224	7,920	36,144	0	4337.00	40,481
7	Sita Ram	54	660	2023-24	15480	7,920	23,400	0	2808.00	26,208
			660	2024-25	26,208	7,920	34,128	0	4095.00	38,223
8	Narender Singh	57	660	2023-24	23880	7,920	31,800	0	3816.00	35,616
			660	2024-25	35,616	7,920	43,536	0	5224.00	48,760
9	Jagdish Singh	61	1293	2023-24	76149	15,516	91,665	0	11000.00	1,02,665
			1293	2024-25	1,02,665	15,516	1,18,181	0	14182.00	1,32,363
10	Kashmari Lal	89	660	2023-24	46080	7,920	54,000	0	6480.00	60,480
			660	2024-25	60,480	7,920	68,400	0	8208.00	76,608
11	Ghansu Ram	91	1331	2023-24	18634	15,972	34,606	0	4153.00	38,759
			1331	2024-25	38,759	15,972	54,731	0	6568.00	61,299
12	The B.E.E.O. Rohru	94	660	2023-24	15480	7,920	23,400	0	2808.00	26,208
			660	2024-25	26,208	7,920	34,128	0	4095.00	38,223
13	Subhash Chand	100	1815	2023-24	34320	21,780	56,100	0	6732.00	62,832
			1815	2024-25	62,832	21,780	84,612	0	10153.00	94,765
14	The I Co-op Union	103	1500	2023-24	25500	18,000	43,500	0	5220.00	48,720
			1500	2024-25	48,720	18,000	66,720	0	8006.00	74,726
Total					13,47,423	4,64,616	18,12,039	0	217443.00	20,29,482

अंकेक्षण अध्यायना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार किराये से सम्बन्धित रजिस्टर/अभिलेखों का रखरखाव व तदनुसार माँग व वसूली को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.6 दुकानों के किरायेदारों से अनुबन्ध का नवीनीकरण न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि यथा परिशिष्ट "14" अनुसार नगर परिषद द्वारा निम्न किरायेदारों से वर्ष 2016 के उपरान्त अनुबन्ध प्रपत्रों का नवीनीकरण नहीं किया गया था जोकि वर्ष 2021 में नवीनीकृत किये जाने अपेक्षित थे। यद्यपि नगर परिषद द्वारा अक्टूबर 2021 को समस्त दुकानों के किराये में वृद्धि की गई थी परन्तु 107 दुकानों में से 26 दुकानों के अनुबन्ध प्रपत्रों का नवीनीकरण नहीं किया गया था जोकि नियमों के

प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है जिस कारण किसी प्रकार के वैधानिक विवाद की स्थिति में अपेक्षित तथ्यों/अभिलेख न होने के कारण वित्तीय हानि की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि कुछ दुकानों से किराये की वसूली लगभग 12 माह से 118 माह से लम्बित थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से था:-

Statement showing the detail of shops having the shop agreement not renewed since 2016						
Sr. No.	Name	Shop No	Rent P.M	Outstanding Balance Upto March 24	Agreement renewed upto	Rent recoverable for (Period in month)
1	Luxmi Chand	10	660	21,000.00	Court Case	32
2	Parkash Chand	11	660	7,920.00	2,016	12
3	Sia Ram	17	660	19,800.00	2016	30
4	Yashwant Singh	18	660	0.00	2016	0
5	Dhirju Ram	19	660	19,800.00	2016	30
6	Prakash Sood	22	660	16,200.00	2016	25
7	Rakesh Kumar	27	5500	1,65,000.00	Court Case	30
8	Geeta Ram	28	660	0.00	2016	0
9	Mohinder Singh	31	660	0.00	2016	0
10	Prem Lal	42	660	72,885.00	2016	110
11	Dhani Ram	43	660	0.00	2016	0
12	Karam Dass	45	660	23,400.00	2016	35
13	Roshan Lal	47	660	25,200.00	2016	38
14	Sarwan Singh	48	660	19,800.00	2016	30
15	Sita Ram	54	660	23,400.00	Court Case	35
16	Kurpu Ram	55	660	52,200.00	Court Case	79
17	Narender Singh	57	660	31,800.00	2016	48
18	Sita Ram	60	1100	2,200.00	2016	2
19	Jagdish Singh	61	1293	91,665.00	Court Case	71
20	Subedar Singh	70	660	97,400.00	Court Case	148
21	Gulam Mohamed	82	1320	0.00	2016	0
22	Jiwa Ram	86	880	33,600.00	2016	38
23	Kashmari Lal	89	660	54,000.00	Court Case	82
24	Rulda Ram	90	660	0.00	2016	0
25	The B.E.E.O. Rohru	94	660	23,400.00	2016	35
26	Subhash Chand	100	1815	56,100.00	Court Case	31
Total				₹8,56,770.00		

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2023 के पैरा संख्या: 13 (घ) में भी यह प्रकरण संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई हेतु लाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था स्तर पर नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई को अमल में नहीं लाया गया था। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि दुकानों के अनुबन्ध व किराये का नवीनीकरण करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब दुकानों के अनुबन्ध एवं नवीनीकरण हेतु नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.7 सफाई शुल्क की बकाया राशि ₹36.40 लाख की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट '8' के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.03.2021 को वसूली हेतु शेष दर्शाई गई सफाई शुल्क की राशि ₹36,39,990.00 दिनांक 31.03.2025 को भी यथावत वसूली हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 12 (ग) में भी सफाई शुल्क की बकाया राशि की वसूली न करने बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था स्तर पर राशि की वसूली हेतु कोई भी गम्भीर प्रयास नहीं किये गये थे। नगर परिषद द्वारा 31.03.2021 के बाद सफाई शुल्क से सम्बन्धित अभिलेखों को अद्यतन (Update) नहीं किया गया था और आगामी वर्षों के लिये सफाई शुल्क की माँग व वसूली को भी शून्य दर्शाया गया था। नगर परिषद द्वारा न तो सफाई शुल्क के करारोपण के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख/सूचना को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही अभिलेखों का नियमानुसार रख-रखाव/संवारण करने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि वर्णित अनियमितता की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई को अमल में लाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.8 स्लॉटर हाउस (Slaughter House) शुल्क ₹2.76 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा (स्लॉटर हाउस रजिस्टर अनुसार) यथा परिशिष्ट '9' के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अगस्त 2023 तक प्रति बकरा ₹10 की दर से स्लॉटर हाउस (Slaughter House) शुल्क की वसूली की गई थी परन्तु तत्पश्चात् सितम्बर 2023 से मार्च 2025 तक

स्लॉटर हाउस (Slaughter House) शुल्क की कोई भी वसूली नहीं की गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिस कारण दिनांक 31.03.2025 तक स्लॉटर हाउस (Slaughter House) शुल्क की कुल बकाया आय ₹2,76,270.00 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Financial Year	Total No. of slaughters during the month as per register	Rate for recovery per slaughters	Recoverable amount (₹)	Register Page No.
1	2022-23	7900.00	10.00	79000.00	Not mentioned
2	2023-24	10046.00	10.00	100460.00	
3	2023-24	9681.00	10.00	96810.00	
Total		₹27627.00	10.00	₹276270.00	

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 15 में भी स्लॉटर हाउस शुल्क की बकाया राशि की नियमानुसार वसूली न करने बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था स्तर पर राशि की वसूली हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किये गये थे। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-141 दिनांक 29.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि वर्णित अनियमितता की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई को अमल में लाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.9 मोबाइल टॉवर शुल्क की बकाया राशि ₹1.78 लाख की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.03.2021 तक मोबाइल टॉवर शुल्क ₹1,77,501.00 वसूली हेतु शेष थी जिसकी अंकेक्षण अवधि के अन्त तक भी वसूली नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 17 में भी मोबाइल टावर शुल्क की बकाया राशि की शीघ्र वसूली न करने बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था स्तर पर राशि की वसूली हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किये गये थे। उक्त के सन्दर्भ में H0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या: DIT, F05(23)/1/2017-IT SECTION G0 HP दिनांक 09.02.2021 के पैरा-5 सी के अन्तर्गत मोबाइल टॉवर शुल्क को समाप्त किये जाने के दृष्टिगत गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिनांक 31.03.2023 तक वर्णित मोबाइल टावर शुल्क की बकाया राशि में वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी वृद्धि नहीं हुई थी जिस कारण अंकेक्षण अवधि के अन्त में वसूली हेतु बकाया राशि यथा परिशिष्ट '8' अनुसार यथावत ₹1,77,501.00 थी। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद

द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि सम्बन्धित विभाग/संस्था से पत्राचार के माध्यम से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके तदानुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.10 नीलामी के वाहन पार्किंग स्थलों से पार्किंग शुल्क विलम्ब से प्राप्त होने के कारण सविदाकारों को दण्ड शुल्क ₹2.48 लाख की छूट प्रदान करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके-एसओ/स्टेट ऑडिट/2024-47 तथा एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-13 दिनांक 07.05.2024 तथा 14-01-2025 के सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत सूचना के अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 31.3.2025 तक यथा परिशिष्ट '9.1' अनुसार सविदाकारों द्वारा पार्किंग शुल्क का भुगतान देय तिथि के पश्चात् विलम्ब से किया गया था जिसके लिये नियमानुसार दण्ड शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु नगर परिषद द्वारा ₹2,47,900.00 की माँग व वसूली नहीं की गई थी। यद्यपि अंकेक्षण के दौरान कार पार्किंग नीलामी हेतु निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार अन्तर्शेष की गणना दण्ड शुल्क सहित कर दी गई थी।

अंकेक्षण में पाया गया की सविदाकारों द्वारा नियमानुसार देय राशि को निर्धारित तिथियों को जमा नहीं किया गया था और कुछ सविदाकारों द्वारा बिना किसी सूचना के निविदा को समय से पूर्व ही बंद किया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार सविदाकारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई थी अर्थात् परिषद द्वारा न ही नियमानुसार प्रतिभूति राशि को जमा किया गया था तथा न ही दण्ड शुल्क की माँग व वसूली की गई थी जोकि नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है जिससे यह भी प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा सविदाकारों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया था। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि अधिकतर प्रकरणों में नीलामी की अवधि 01.02.2024 से 31.01.2025 थी परन्तु परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के अन्त तक न तो अनुबन्ध अवधि को समाप्त किया गया था और नही अनुबन्ध का नवीनीकरण किया गया था अर्थात् अनुबन्ध की अवधि के पश्चात् भी नीलामी में आर्बिट्रल दुकानों को यथावत ही चलाया गया था जोकि नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संस्था स्तर पर सविदाकारों को अनियमित छूट प्रदान करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये वर्णित अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा

सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली कर नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

- 12.11 सविदाकार द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में पीपीपी (PPP) मोड पर कार पार्किंग एवं कमर्शियल कॉम्प्लैक्स के निर्माण कार्य को दिनांक 31.03.2025 तक भी पूर्ण न करने के कारण परिषद द्वारा अनुबन्ध की शर्त संख्या: 3.5 बी व सी के अनुसार न तो परफार्मेंस सिक्यूरिटी (Performance security) ₹15.00 लाख को जब्त करना और न ही दण्ड शुल्क ₹9.90 लाख की वसूली करना।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 131 दिनांक 31.07.2025 व 05.09.2025 के प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में पीपीपी मोड के आधार पर कार पार्किंग एवं कमर्शियल कॉम्प्लैक्स का निर्माण कार्य HPID Shimla के माध्यम से M/S Shikru Maharaj Builders Private Ltd. को दिनांक 06.06.2016 को आबंटित किया गया था। उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु नगर परिषद तथा M/S Shikru Maharaj Builders Private Ltd. के मध्य कन्सेशन एग्रीमेंट (Concession Agreement) हस्ताक्षरित किया गया था जिसके प्रथम पैरा के अनुसार निर्माण कार्य का आबंटन 06.06.2016 को किया गया था तथा पैरा 1.1 (xxvi) के अनुसार इसके निर्माण कार्य को कम्प्लाइन्स की तिथि (The date of completion of the construction period which shall be at the expiry of a period of 15 months from the date of Compliance) से 15 माह में पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में नगर परिषद द्वारा कार्यालय पत्र संख्या: MCR(Car-Parking.)/2017-460-64 दिनांक 01.09.2020 के अन्तर्गत M/S Shikru Maharaj Builders Private Ltd. को सूचित किया गया था कि कम्प्लाइन्स सर्टिफिकेट दिनांक 20.07.2019 को जारी किया जा चुका है परन्तु दिनांक 01.09.2020 तक लगभग एक वर्ष उपरान्त भी निर्माण कार्य को आरम्भ न करने के कारणों का स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया था अन्यथा कन्सेशन एग्रीमेंट को रद्द करने बारे भी वर्णित किया गया था।

यद्यपि विशेष सचिव, शहरी विकास विभाग हि.प्र. के पत्र संख्या: UD-F(5)-4/2021 दिनांक 29.07.2021 द्वारा सविदाकार को इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिये 10 माह की समय वृद्धि को स्वीकृत किया गया था जिस कारण सविदाकार द्वारा कम्प्लाइन्स सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि दिनांक 20.07.2019 से यह निर्माण कार्य दिनांक 19.08.2021 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था परन्तु सविदाकार द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक भी निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया गया था। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सविदाकार द्वारा निर्माण कार्य के आबंटन की तिथि 06.06.2016 से कम्प्लाइन्स सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि दिनांक 20.07.2019 तक लगभग एक माह तीन वर्ष का अतिरिक्त समय भी उपयोग किया गया था।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-131 दिनांक 05-09-2025 द्वारा अपेक्षित सूचनाओं जैसे निर्माण कार्य पूर्ण करने सम्बन्धी अभिलेख/प्रमाण पत्र, कन्सेशन एग्रीमेंट के पैरा 3.5 (b) के अनुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे एवं विलम्ब से निर्माण कार्य के निष्पादन के सम्बन्ध में अपेक्षित समय वृद्धि के लिये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत

करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था जिस कारण उक्त तथ्यों की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी तथा संविदाकार द्वारा देय वार्षिक कन्सेशन शुल्क की तिथि का निर्धारण भी नहीं किया जा सका। यद्यपि संविदाकार द्वारा दिनांक 01.01.2024 से वार्षिक कन्सेशन शुल्क ₹9,00,000 की अदायगी तिमाही वार ₹2,25,000 को अदा किया जा रहा था परन्तु संविदाकार द्वारा किस आधार पर माह जनवरी 2024 से वार्षिक कन्सेशन शुल्क को अदा किया जा रहा था इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त से यह स्पष्ट है कि संस्था द्वारा न तो दिनांक 31.03.2025 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र जारी किया गया था और न ही संविदाकार को दिनांक 31.03.2025 तक अपेक्षित समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2023 के पैरा संख्या: 16 में भी यह प्रकरण संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई हेतु लाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्थास्तर पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी।

उक्त के दृष्टिगत निर्माण कार्य को अत्यधिक विलम्ब से पूर्ण न करने के कारण कन्सेशन एग्रीमेन्ट के पैरा 3.5 (b) के अनुसार कार्रवाई को अमल में लाया जाना अपेक्षित था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि In the event that the construction completion date is not achieved for any reason other than Force Majeure or reasons attributable to the Concessioneing Authority or Any competent Authority, the Concessionaire shall, pay to the Concessioneing Authority damages for delay debond the Construction Completion date to the extent of 0.05% of the constrection Performance Security per day for every day of delay.

3.5 (c) In the event that construction completion date does not occur within 120 days from the construction completion date as envisaged in sub clause (a) above, (i.e. 15 months) the Concessioneing Authority shall be entitled to invoke the construction performance security and to terminate this agreement.

उक्त के दृष्टिगत संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य को अत्यधिक विलम्ब से भी पूर्ण न करने के कारण परिषद द्वारा परफार्मेंस सिक्यूरिटी (Performance security) को जब्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु नगर परिषद द्वारा न तो परफार्मेंस सिक्यूरिटी (Performance security) ₹15,00,000.00 को जब्त किया गया था और न ही दण्ड शुल्क ₹9,90,000.00 की वसूली की गई थी जोकि संस्था की संदिग्ध कार्य प्रणाली को दर्शाता है तथा नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Sr. No.	Particular	Agreement clause	Amount
1	Performance security deposited	Concession Agreement Page-7	₹15,00,000.00
2	Penal Provision	Para: 3.5 (b) 0.05% of the constrection Performance Security	750 per day
3	Delay in days	Delay in days (20-08-2021 to 31-03-2025)=1320 days x Penal Provision per day 750=9,90,000.00	₹9,90,000

4	Concession period	Para: 3.1.1, Concession for a period of 40 years, commencing from the compliance date.	
5	Annual Concession Fee	Para: 5.1 (b): The annual concession fee ₹ 900000 per annum payable to the Concessioneing Authority. (The work completion certificate was not produced to audit. Hence, accertainment of concession fee date could not be determined).	

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न० ५०/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संस्था स्तर पर सविदाकारों को अनियमित छूट प्रदान करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये वर्णित अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.12 नॉन रिसाईकल और सिंगल यूज प्लास्टिक योजना के अन्तर्गत किए गए भुगतान ₹2.47 लाख की प्रतिपूर्ति हेतु शहरी विकास विभाग के माध्यम से दावा प्रस्तुत न करना।

हि०प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या: एसटीई-एफ (4)-1/2017 दिनांक 1.10.2019 द्वारा (Buy back of Non-recycle and single use plastic policy) नॉन रिसाईकल और सिंगल यूज प्लास्टिक योजना प्रारम्भ की गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत नगर परिषद द्वारा अवधि 01.09.2020 से 13.07.2022 तक (As per Purchase register Page-1 to 5) कुल 3297.00 किलो ग्राम नॉन रिसाईकल और सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद की गई थी जिसके भुगतान के लिए उपरोक्त अधिसूचना में निर्धारित दर ₹75 प्रति किलो ग्राम की दर से ₹247275.00 का भुगतान किया गया था। उक्त अधिसूचना के पैरा संख्या 9-आई (9 i) के परिशिष्ट-एफ के अनुसार नगर परिषद द्वारा उपरोक्त योजना के अन्तर्गत भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु दावा/प्रकरण निदेशक शहरी विकास कार्यालय के माध्यम से पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित था परन्तु नगर परिषद द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक 31.03.2025 तक इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जोकि नगर परिषद की लचर कार्यप्रणाली को दर्शाता है। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न० ५०/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः सुझाव दिया जाता है कि यथाशीघ्र शहरी

विकास विभाग के माध्यम से वर्णित राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति को सुनिश्चित किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये व कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12.13 यूजर चार्जिज डी-2-डी गार्बेज कलेक्शन से सम्बन्धित अभिलेख का नियमानुसार संधारण न करना

नगर परिषद द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के प्रावधानानुसार अधिसूचना संख्या: MCR/SBM/door to door bye laws/2024/107-10 दिनांक 17.01.2024 के अन्तर्गत डोर टू-डोर-कूड़ा उठाने/सफाई व्यवस्था हेतु उप-नियम लागू किये गये थे तथा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नं 1 से 7 के लगभग 1806 हाउसहोल्ड्स/परिवार की उचित सफाई व्यवस्था हेतु डी-2-डी गार्बेज कलेक्शन (Door to door garbage collection charges) की सफाई व्यवस्था का कार्य शुरू किया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा परिवार वार लेखों का उचित रख-रखाव नहीं किया गया है और न ही वर्षवार अपेक्षित रजिस्टर का संधारण किया गया था जिस कारण डी-2-डी गार्बेज कलेक्शन का वर्षवार प्रारम्भिक शेष, माँग, प्राप्ति व अन्तःशेष से सम्बन्धित तथ्यों की सत्यता की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। यद्यपि आय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह 01/2024 तथा 08/2024 के दौरान जारी की गई रसीदों से प्राप्त आय को रोकड बही तथा बैंक खाते में जमा करवाया गया था। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न० प०/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि अपेक्षित अभिलेख का नियमानुसार संधारण कर कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित अभिलेखों का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये तथा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाई को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.14 बिजली उपकर की वसूली बारे

(क) हि०प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या: LSG(B)(1)-9/94, दिनांक 08.11.1999, LSG(B)(1)-9/94 दिनांक 01.12.1999 एवं हि०प्र० म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर उपयोग की गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर परिषद को अदा किया जाना प्रावधित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद को अंकेक्षण अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025 तक यथा परिशिष्ट '8' अनुसार कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा अपेक्षित रजिस्टर व अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया था जिस कारण वर्षवार खपत की गई बिजली, प्राप्त आय व प्राप्ति हेतु शेष आय से सम्बन्धित तथ्यों की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अध्याचना संख्या:

एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या न० ५०/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त व सम्बन्धित विभाग से पत्राचार करके तदानुसार राशि की वसूली व लेखों का संधारण करके अद्यतन स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग से यदि कोई देय राशि शेष हो तो उसकी वसूली करने के अतिरिक्त आवश्यक अभिलेख का संधारण करके अंकेक्षण में आवश्यक पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12.15 शराब शुल्क की वसूली बारे

हि०प्र० सरकार शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या: ULB-HC(9)-28/96 दिनांक 01.11.1999 तथा U.L.B.-HI(9)-28/96-1 दिनांक 01.12.1999 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर बेची गई शराब की बोतलों पर एक रुपया प्रति बोतल की दर से आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा मदिरा उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर परिषद को अदा किया जाना प्रावधित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद को अंकेक्षण अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025 तक यथा परिशिष्ट '15' अनुसार कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा परिषद परिक्षेत्र में वर्षवार विक्रय की गई मदिरा की बोतलों की संख्या कितनी थी, कितनी राशि प्राप्ति हुई व कितनी राशि प्राप्ति हेतु शेष थी इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण नहीं किया गया था जिस कारण अंकेक्षण में अपेक्षित तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न० ५०/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त व सम्बन्धित विभाग से पत्राचार कर तदानुसार राशि की वसूली व लेखों का संधारण करके अद्यतन स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग से यदि कोई देय राशि शेष हो तो उसकी वसूली करने के अतिरिक्त आवश्यक अभिलेख का संधारण करके अंकेक्षण में आवश्यक पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13 स्थापना व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएँ (Establishment)

13.1 नगर परिषद द्वारा सक्षम अधिकारी व हि०प्र० सरकार की स्वीकृति के बिना संस्था स्तर पर नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर ₹12.43 लाख का अनियमित भुगतान करना

अंकेक्षण में व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित माहों के व्यय बिल/वाउचर की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संस्था स्तर पर ही दैनिक वेतन के आधार 5 कर्मचारियों

नियुक्त/तैनात किया गया था जिनको मासिक आधार पर नियमित रूप से परिषद निधि से ₹12,42,825.00 का भुगतान किया गया था, जबकि संयुक्त सचिव (वित्त एवं व्यय) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: Fin-1-C(14)-1/83 दिनांक 08.07.1998, प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: Fin-F-(A)-(11)-11/2004 दिनांक 17.09.2008 विशेष सचिव (वित्त एवं व्यय) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: Fin-F-(A)-(11)11/2004 दिनांक 21.11.2011, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: Fin-F-(B)-1-6/2022 दिनांक 17.06.2022 में स्पष्ट/निर्देशित किया गया है कि 'It is reiterated that no new post is created or no vacant post is filled up through direct recruitment by any mode in any Government Department/Organization except with the prior concurrence of Finance Department and subsequently, approval of Council of Minister(s)' अर्थात् वित्त विभाग की स्वीकृति एवं मंत्रीमण्डल के अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार एवं किसी भी माध्यम से कोई भी भर्ती/नियुक्ति न करने बारे निर्देशित किया गया है इसके अतिरिक्त अतिरिक्त सचिव, शहरी विकास हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: LSG. 12-25/94 दिनांक 27.06.2000 के पैरा 2 में भी स्पष्ट/निर्देशित किया गया है कि 'In order to avoid engagement of Safai Karamchahi in future, it is requested that the sanitation work may be given on contract by the concerned Urban Local Bodies.' परन्तु नगर परिषद द्वारा 1 दिसम्बर 2014 से 10 सफाई कर्मचारियों को नियमों के प्रतिकूल नियमित रूप से तैनात किया गया था जिसमें से वर्तमान में तैनात 5 कर्मचारियों के वेतन पर चयनित प्रकरणों में निम्नविवरणानुसार ₹12,42,825.00 का व्यय किया गया था परन्तु संस्था द्वारा इस सन्दर्भ में न हो नियमानुसार वित्त विभाग एवं हि0प्र0 सरकार से अपेक्षित स्वीकृति एवं अनुमोदन को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही बजट में अपेक्षित प्रावधान किया गया था जोकि नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में निकट भविष्य में संस्था पर इन कर्मचारियों के नियमितकरण के फलस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय दायित्व की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है—

Details of the employees appointed without the creation or sanction of posts at the level of MC Rates for which the sanction of Finance Deptt. and approval of the Cabinet was not obtained.										
Sl. No.	Name & designation of employee	Date of appointment	Detail of appointment	Salary paid for the days during the year 2023-24 as per letter No. MCR/Establishments/ Daily wages/ 2024/036 dated 04-09-2024	Wages Rate per day	Amount	No of paid days during the FY 2024-25	Wages Rate per day	Amount	G2 Total
1	Sh. Gaurav Kumar, Safai Staff	1.12.2014	Engaged on a daily wages basis for sanitation work as per resolution no. 719 dated 21.11.2014.	283.00	375	106875.00	254	400	101600.00	208475.00
2	Sh. Chetu Safai Staff	1.12.2014	—do—	348.00	375	130500.00	326	400	130400.00	260900.00

3	Sh. Jeevan Saffai Staff	1.12.2014	—40—	350.00	375	131250.00	316	400	126400.00	257850.00
4	Sh. Arun Kumar Saffai Staff	1.12.2014	—40—	364.00	375	136500.00	341	400	136400.00	272900.00
5	Sh. Akshay Saffai Staff	1.12.2014	—40—	314.00	375	118500.00	311	400	124400.00	242900.00
Total						625625.00			619200.00	1242825.00

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2023 के पैरा संख्या: 19 (ख) में भी यह प्रकरण संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई हेतु लाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था स्तर पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/ 2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः सक्षम अधिकारी एवं हि0प्र0 सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था स्तर पर ही सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अनियमित व्यय के नियमितिकरण को सुनिश्चित किया जाये अन्यथा वर्णित दिशा-निर्देशानुसार नियमानुसार कार्रवाई के अतिरिक्त इस प्रकार के समस्त प्रकरणों की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त राशि की गणना करके सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि भविष्य में संस्था पर इन कर्मचारियों के नियमितिकरण के फलस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय दायित्व की संभावना को नकारा जा सके।

13.2 अधिसूचना संख्या: दिनांक 06.11.2009 के दृष्टिगत श्री कांशी राम, चालक का वेतनमान मूल वेतन तथा ग्रेड-पे (BP+GP) से अधिक निर्धारित करना

अंकेक्षण में प्रस्तुत श्री कांशी राम, चालक की सेवा पंजिका की जाँच में पाया गया कि श्री कांशी राम, चालक की नियुक्ति सेवा पंजिका के पृ-1 के अनुसार 29.07.2010 को हुई थी तथा उनका वेतन निर्धारण वेतनमान 5910-20200+2000GP के अनुसार किया गया था परन्तु उनका आरम्भिक वेतन निर्धारण मूल वेतन तथा ग्रेड-पे 5910+2000GP=₹7910 के स्थान पर Initial Start प्रदान कर 6240+2000 GP =₹8240 पर किया गया था जिस कारण आरम्भिक वेतन निर्धारण ₹330 से अधिक किया गया था जबकि विशेष सचिव (वित्त) हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: As per the Point-3 of letter No. FIN-(PR)B(7)-1/2009 dated 6th November, 2009 के क्रम-3 में स्पष्ट किया गया था कि-

Point: 3	Clarification
Certain categories of employees were allowed higher initial start in the pre-revised pay scales. In case of appointments made on or after 1.1.2006, how will their pay be fixed in the revised pay structure? For example a Government employee was appointed on 1.7.2007 in the pre-revised scale of pay of Rs. 3120-5160 (with initial start of Rs. 3220). How his pay will be fixed in the revised pay structure	Explanation 2 appended to Rule 5 provides that a person appointed to a post on or after the First day of January, 2006 cannot exercise In option and he shall be allowed pay only revised pay structure. Clause (h) of Rul.-3 says that the 'Revised pay structure' in relation to any pre-revised scale specified in column 3 of the Schedule appended to the Rules means, the pay band and grade pay, as specified against that pre-revised pay scale in column 6 and 7 of the Schedule. Thus a Government employee appointed after 1.1.2006 in the pre-revised pay Rs. 3120-5160 (with initial start of scale of Rs. 3220) shall be fixed in the revised pay structure and will get initial pay of Rs. 7810 as specified at Sl. No.4, Column 8 of the Schedule. Similar formulation may be followed in respect of other categories allowed higher initial pay in the pre revised pay scale

उक्त के दृष्टिगत संस्था द्वारा संशोधित वेतनमान नियम 2009 के अन्तर्गत 29.07.2010 से अधिक वेतन निर्धारण करने के कारण तदनुसार संशोधित वेतनमान 2022 की अधिसूचना संख्या फिन(पी.आर.)-बी (7)-1/2021 दिनांक 03.01.2022 के दृष्टिगत दिनांक 01.01.2018 को भी पूर्व में निर्धारित अधिक वेतन के आधार पर ही वेतन निर्धारण किया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Name of Employee	Designation	Date of Joining/Regular	Date of Birth	Pay Admissible	Pay Fixed	Difference on the date of Joining
1	Sh. Kanshi Ram	Driver	27-05-2015 (F/N) SBP-1	26-04-1969	5910+2000GP = ₹7910	6240+2000 GP = ₹8240	₹330

अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 40/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित भुगतान की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा संस्थास्तर पर प्रकरण की पूर्ण जाँच/छानबीन उपरान्त प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से आवश्यक स्पष्टिकरण प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये तथा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की

बसूली उपरान्त तदनुसार वेतन निर्धारण को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अतः प्रकरण संस्थाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई हेतु लाया जाता है ताकि परिषद निधि से किसी प्रकार के अनियमित भुगतान की संभावना को नकारा जा सके।

13.3 FIR No. 117/24 दिनांक 02.08.2024 के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई न करना

अंकेक्षण में प्रस्तुत श्री अनूप कुमार, चालक की सेवा पंजिका व निजी नस्ति पृ०-39 की जाँच में पाया गया कि स्वच्छता पर्यवेक्षक (Sanitary Supervisor) द्वारा दिनांक 02-08-2024 को सूचित किया गया था कि श्री अनूप कुमार, चालक दिनांक 02-08-2024 को दोपहर बाद से कार्यालय को सूचित किये बिना अनुपस्थित रहा जिसके क्रम में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहडू द्वारा पत्र संख्या: M.C./RHU/2024-925-26 दिनांक 03.08.2024 के अन्तर्गत वर्णित अनुपस्थिति बारे दो दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। उक्त प्रकरण के सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन हाउस अधिकारी (SHO, Police Station Rohru), पुलिस थाना रोहडू जिला शिमला द्वारा नगर परिषद को सूचित किया गया था कि 'That a case FIR No. 117/24 dated 02-08-2024 U/S 21, 25, 29 of ND&PS Act has been registered against Anoop Kumar as mentioned above in this Police Station, who is employee of MC Rohru and presently working as tractor driver under your control, He has been arrested in the said case on 02-08-2024 (Personal File page-42)' जिसके क्रम में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहडू द्वारा पत्र संख्या: MC/RHU/2024-1014 दिनांक 31.08.2024 के अन्तर्गत श्री अनूप कुमार को आगामी आदेशों तक निलम्बित किया गया था कि 'Where as Sh. Anoop Kumar S/o Lt. Sh. Kehar Singh Driver M.C. Rohru was arrested on dated 02-08-2024 by the Police Station Rohru in connection with the case F.I.R. No. 117/24 dated 02-08-2024 U/s 21, 25, 29 of ND&PS Act and remained under detention till 30-08-2024 (i.e about 29 days detention). And where as Sh. Anoop Kumar remained under detention exceeding 48 hours.

Now, therefore said Sh. Anoop Kumar is deemed to have been placed under suspension w.e.f. 02-08-2024 i.e. from the date of detention in terms of sub-rule-(2) of Rule -10 of the CCS (CCA) Rule 1965 and shall remain under-suspension till further order (Personal File page-43).

अर्थात् श्री अनूप कुमार को 29 दिनों के जेलबन्द के कारण आगामी आदेशों तक निलम्बित किया गया था तथा निदेशालय, शहरी विकास विभाग, हि०प्र० द्वारा पत्र संख्या: UD-H(A)(1)-6/94 -14046 दिनांक 04-09-2024 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था कि 'Refer to your letter No. N.P./P.Rohru/2024-949 dated, 07-08-2024, In this context, it is informed that the category of Driver exists in Municipal Cadre and respective municipality is the appointing/disciplinary authority in respect of the categories existing in municipal cadres. You are therefore, requested to take appropriate action in the matter, under the CCS(CCA) Rules, 1965 at the committee level'. परन्तु नगर परिषद द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई थी अपितु नगर परिषद रोहडू द्वारा प्रस्ताव संख्या: 252, निजी नस्ति पृ०-141-142, दिनांक 12.11.2024 के अन्तर्गत बिना तथ्यों एवं स्पष्टीकरण के निलम्बन को

रद्द करने बारे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया जिसके क्रम में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहडू द्वारा कार्यालय आदेश संख्या: MC/RHU/2024-1328 दिनांक 12.11.2024 के अन्तर्गत निलम्बन को रद्द किया गया था कि 'The house of the Municipal Council dated 12-11-2024 in its entirety and it was decided that the suspension of Sh. Anoop Kumar, Driver be revoked as it will not prejudice the investigation being carried out by the investigating authority. Now, therefore the undersigned in exercise of the power conferred by Sub-rule(5)(c) of Rule 10 of CCS (CCA) Rule, 1965 hereby revokes the said order of suspension with immediate effect without prejudice to the case pending against him (Personal File page-44, 45). उक्त कर्मचारी को कार्यालय को सूचित किये बिना ड्यूटी से अनुपस्थिति रहने के लिये कार्यालय ज्ञापन संख्या: M.C./RHU/2024-925-26 दिनांक 03.08.2024 द्वारा दो दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु श्री अनूप कुमार द्वारा कोई भी तथ्य नगर परिषद को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त Bail application U/S 483 of BNNS in FIR No. 117/2024 दिनांक 29.08.2024 के पैरा 7 में स्पष्ट किया गया था कि घटसारी स्थान (जोकि नगर परिषद से लगभग 3 से 4 कि०मी० दूर है), के समीप नाके/जॉंच के दौरान श्री अनूप कुमार को अन्य एक युवक के साथ Alto 800 Car HP 06B-1034 में 15.15 ग्राम हेरोईन सहित पाया गया (Personal File page-46, 49) जिस कारण श्री अनूप कुमार को लगभग 29 दिनों तक जेलबन्द रखा गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर बिना किसी नियमानुसार कार्रवाई एवं तथ्यों की पुष्टि के निलम्बन के आदेश को रद्द किया गया था जबकि यथा शहरी विकास के निर्देशानुसार CCS (CCA) Rule, 1965 के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित थी :-

[Rule 10(2) of the CCS (CCA) Rules, 1965] Circumstances under which a government servant shall be deemed to have been placed under suspension [Deemed Suspension]

(a) If the Government servant is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding 48 hours; (As Sh. Anoop Kumar remained in detention from 02-08-2024 to 29-08-2024)

इसके अतिरिक्त Para 12 of F.No.11012/6/2007-Estt (A-III) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training Establishment A-III Desk Dated: 21st July, 2016 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विविध निर्णयों को निर्दिष्ट करते हुये स्पष्ट किया गया है कि:-

12.(iv) Documents and other evidence must be examined to see whether any misconduct, including favour, harassment, negligence or violation of rules/instructions has been committed. If there is a prima facie evidence of misconduct, charge sheet under the appropriate rule must be issued.

(v) Court judgements should be promptly acted upon:

(a) in cases of conviction action is to be taken under Rule 19(i) of the CCS (CCA) Rules, 1965;

(c) an acquittal on technical grounds or where a benefit of doubt has been given to the accused will have no effect on a penalty imposed under CCS (CCA) Rules, 1965.

उक्त प्रकरण के सन्दर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक परिषद द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अध्यापना

संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-141 दिनोंक 29.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र अंकेक्षण अध्यायना संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनोंक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितताओं का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा संस्था स्तर पर प्रकरण की पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13.4 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में ₹6,589.00 का अनियमित/अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार नगर परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (Medical Claims Bill) को प्रस्तुत न करके अनियमित रूप से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान प्राप्त किया गया था जिस कारण परिषद निधि से कुल ₹6589.31 का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

अधिकारी / कर्मचारी का नाम व पदनाम	व्यय वातवर संख्या, रोकट बंदी पृष्ठ संख्या व तिथि	बिल / कैश नैर्मी संख्या व तिथि	औषधि / टैस्ट का नाम	दावे की राशि (₹)	देय राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)	Remarks
Sh. Vijay Kumar, Safai Karamcha ri	Vr. No. P-9 dt. 02-09- 2024.	Bill No. 8452, dt. 20-05- 2024	Tab Btogerie BR- 600	885	00	885	Pain Killer/ reliever. Hence not admissible.
			Tab CC Plus	375	00	375	Multivitamin/Suppleme nt. Hence not admissible
		Bill No. 8485, dt. 04-06- 2024	Tab Btogerie BR- 600	885	00	885	Pain Killer/ reliever. Hence not admissible.
			Tab CC Plus	375	00	375	Multivitamin/Suppleme nt. Hence not admissible
		Bill No. 8496, dt. 11-06- 2024	Tab CC Plus	375	00	375	Multivitamin/Suppleme nt. Hence not admissible
		Bill No. 8450, dt. 20-05- 2024	Invictus Gel	260	00	260	Not admissible
Total				₹3155		₹3155	
Sh. Sunil Mehta, JE	Vr. No. P- 11 dt. 02- 09-2024.	Bill No. 027491, dt. 01-08-2024	Heirglow Plus	219	00	219	Nutritional/ Health Supplement. Hence not admissible
	Vr. No. P- 11 dt. 02- 09-2024.	Bill No. 027490, dt. 01-08-2024	Heirglow Plus	1095	00	1095	
				Tripmax Forte	258	00	258
Total				₹1572		₹1572	
Sh. Rakesh	Vr. No. P-8	Bill No.	Zenvit 4G Cap	807.75	00	807.75	Multivitamin/Suppleme

Kumar, Safai Karamchhari	dt. 03-02-2025.	01202, dt. 04-01-2025					nt. Hence not admissible
			Allium Gel	516.06	00	516.06	Not admissible
		Bill No. 06104, dt. 19-11-2024	Zenvit 4G Cap	538.50	00	538.50	Multivitamin/Supplement. Hence not admissible
Total				₹1862.31		₹1862.31	
G/Total				₹6589.31		₹6589.31	

वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 के अन्तर्गत वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़ू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि अनियमित/अधिक भुगतान की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अधिक/अनियमित भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13.5 नियमों के प्रतिकूल स्थानांतरण अनुदान (Transfer Grant) तथा यात्रा भत्ते (TA) के रूप में ₹7,197 का अधिक भुगतान करना

वाचकर संख्या: 28 दिनांक 19.12.2023 के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा श्री संदीप कुमार, कार्यकारी अधिकारी के नगर परिषद ऊना से नगर परिषद रोहड़ू को स्थानान्तरण की एवज में स्थानान्तरण अनुदान (Transfer Grant) ₹9850 का भुगतान किया गया था जोकि हि0प्र0 सरकार के ज्ञापन संख्या: O.M. No. Fin I-B (7)-14/98 Dt. 02-06-2006 तथा O.M. No. Fin-C-B (7)-14/98 Dt. 08-12-1998 के अनुसार देय अनुदान से अधिक था जिस कारण नगर परिषद द्वारा स्थानान्तरण अनुदान (Transfer Grant) ₹7197 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Name and Designation	Transferred from	Bill No.	Vr. No.	Transfer Grant Paid	Transfer Grant Due	Excess Amount Paid
EO Sh. Sandeep Kumar	Municipal Council Una to Municipal Council Rohroo. Distance 276 Kms	GR. No. 11160 Dt. 23-11-2023	28/ Dt. 19-12-2023	9850	As per O.M. No. Fin I-B (7)-14/98 Dt. 02-06-2006 =600	₹7197
	Carriage				As per O.M. No. Fin-C-B (7)-14/98 Dt. 08-12-1998 =1449.00 (276 Kms x @ 5.25 P/Kms)	
	Travelling Allowance				As per O.M. No. Fin-(C)-B(7)-14/1998 Dated 08-12-1998 =604.00 (276 Kms x @ 2.19 P/Kms)	
Total				₹9850	₹2653	

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि अंकेक्षण के दौरान पाये गये अधिक/अनियमित भुगतान की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः नियमों के प्रतिकूल स्थानान्तरण अनुदान (Transfer Grant) व यात्रा भत्ता दावे का अनियमित भुगतान करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली कर नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13.6 यात्रा भत्ते के रूप में ₹6,837.00 का अधिक भुगतान करना

प्रधान, सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या: फिन-(सी)-बी(7)-14/1998 दिनांक 8.12.1998, 2.6.2006 व फिन (सी)-बी(7)-1/2009 दिनांक 20.4.2012 तथा 19.6.2012 के अन्तर्गत प्रवास के दौरान यात्रा में व्यतीत समय हेतु विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पात्रता के आधार पर श्रेणी वार दैनिक एवं यात्रा भत्ते की दरें निर्धारित की गई हैं। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न प्रवास/यात्रा भत्ता सम्बन्धित बिलों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रवास के दौरान यात्रा में व्यतीत समय हेतु उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अन्तर्गत निर्धारित दरों के आधार पर दैनिक व यात्रा भत्ते का दावा प्रस्तुत न करने के कारण नगर परिषद निधि से ₹6837.00 का अनियमित भुगतान प्राप्त किया गया था, जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा वर्णित राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

अधिकारी / कर्मचारी का नाम/पद नाम/घेड पे	रोकड़ बही / प्रमाणक संख्या / दिनांक	यात्रा की तिथि / दूरी	स्टेशन / प्रस्थान का समय	स्टेशन / पहुंचने का समय	किये गये यात्रा भत्ते का भुगतान ₹	किये गये दैनिक भत्ते का भुगतान ₹	देय दैनिक / यात्रा भत्ता ₹	अधिक भुगतान ₹	टिप्पणी
Sh. Anil Gautam SDO, GP 5400	27/ Dt. 20-03-2025, CBP-188	27-02-2025 97 Kms	Rampur Bushahr 7:00 AM	MC Rohru 27-02-2025 4PM	840	0	TA= 97x2.19=212	628.00	TA claim restricted as per shortest route.
					DA fro 27-02-25	210	126x30%=38 59x70%=41 =79	131.00	DA restricted upto ¾, due the halt at hotel.
		Halt at Rohru 27-02-2025 and 28-02-2025			Hotel rent	1568x2= 3136	450x2= 900	2236.00	Hotel rent restricted as per entitlement
		Daily for 28-02-2025				210	210	00.00	
		1-03-2025 97 Kms	MC Rohru 1:00 PM	Rampur Bushahr 10:00 PM	840	840	TA= 97x2.19=212 126x30%=38 59x70%=41 =79	628.00	
					DA fro 27-02-25	210		131.00	
Total								3754.00	

Sh. Sandeep Kumar, EO MC Rohru.	Vr. No. 27 Dt. 23-01-2024, CBP 154	28-12-2023 124 Kms	Rohru 11:00 AM	Shimla 3:00 pm	272 By Bus	160	160x70%=112 72x30%=22 =134	592	Rs 26.00 Excess amount of DA was paid (Total amount paid 592)
		Halt at Shimla 28-12-2023 and 29-12-2023						160.00	
		30-12-2023 124 Kms	Shimla 8:00 Am	Rohru 11:00 AM	272 By Bus	Nil	600 Hotel rent	871	(Total amount paid 871)
Sanction of competent authority regarding purpose of journey was shown to audit and also the tour programme was not approved by the competent authority. Hence total amount paid during journey Rs. 1463 was not justified.									
Total amount paid was not justified.								₹1463.00	₹1463.00
Kanika, President of House of thread (SHG), Vr No 26 Dt. 15-02-2025, CBP-174, (i) Journey Rohru to Shimla on 4-2-2025 & return on 6-2-2025. Note:- Time of Journey was not mentioned, Kms were not Mentioned and Tour Programme was not approved. The purpose of Journey was not mentioned and sanction of tour was not obtained. Hence, TA claim was not justified.								540.00	Total amount of TA was not justified.
Kritika, Secretary of House of thread (SHG), Vr No 26 Dt. 15-02-2025, CBP-174, (i) Journey Rohru to Shimla on 4-2-2025 & return on 6-2-2025. Note:- Time of Journey was not mentioned, Kms were not Mentioned and Tour Programme was not approved. The purpose of Journey was not mentioned and sanction of tour was not obtained. Hence, TA claim was not justified.								540.00	Total amount of TA was not justified.
Anita, Member of House of thread (SHG), Vr No 26 Dt. 15-02-2025, CBP-174, (i) Journey Rohru to Shimla on 4-2-2025 & return on 6-2-2025. Note:- Time of Journey was not mentioned, Kms were not Mentioned and Tour Programme was not approved. The purpose of Journey was not mentioned and sanction of tour was not obtained. Hence, TA claim was not justified.								540.00	Total amount of TA was not justified.
G/Total of excess payments.								₹6837.00	

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम में नियमानुसार अपेक्षित यात्रा शुरू करने का समय, तय की गई दूरी व यात्रा से वापसी की तिथि, यात्रा हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति तथा यात्रा का उद्देश्य इत्यादि को नहीं दर्शाया गया था व नियमानुसार वास्तविक यात्रा कार्यक्रम को भी अनुमोदित नहीं किया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार वास्तविक यात्रा कार्यक्रम में अपेक्षित विवरण दर्शाया जाए व अनुमोदित वास्तविक यात्रा कार्यक्रम के अनुसार ही यात्रा भता व दैनिक भता बिल को भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 ५0/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमित/अधिक भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13.7 कर्मचारियों के अवकाश खातों को पूर्ण न करना।

केन्द्रीय अवकाश सेवा नियम 1972 के नियम 26(1)(a)(i) व 27 के प्रावधानानुसार एक पूर्ण कलैण्डर मास के सेवाकाल उपरान्त 2.5 दिन के अर्जित अवकाश व 1.66 दिन के अर्धवैतन अवकाश का क्रेडिट/जमा प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी व प्रथम जुलाई को अर्थात् एक वर्ष में दो बार अग्रिम क्रेडिट देते हुए पूर्ण किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न प्रकरणों में कर्मचारियों के अवकाश खातों को नियमानुसार पूर्ण नहीं किया गया था तथा सेवापंजिका में वास्तविक अवकाश के स्थान पर अधिक अर्जित अवकाश व अर्धवैतनिक अवकाश के शेष को दर्शाया गया था तथा अवकाश खातों को सक्षम अधिकारी से नियमानुसार सत्यापित भी नहीं करवाया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होन के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Municipal Council Rohru, Audit Period 04-2023 to 03-2025									
Sr. No.	Name of Employee	Designation	Date of Birth	Date of Joining	EL Balance as per SB	Leave Balance as on	Balance as per SB	Actual Balance as per Audit	Excess Credit Given
1	Sh. Yoginder Singh	Safai Karamchhari	28-10-1968	01-02-2001	NA, Page No. not mentioned	up to 30-06-2025	HPL 500	460	40
2	Sh. Sunil Kumar	Junior Engineer	19-09-1985	1-7-2015 (A/N)	Page No. not mentioned	up to 30-06-2025	EL 229	227	2
					Page No. not mentioned	up to 30-06-2025	EL 160	158	2
3	Sh. Rakesh	Safai Karamchhari	08-10-1976	01-01-2003	Page No. not mentioned	up to 30-06-2025	EL 277	250	27

अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में परिषद द्वारा पत्र संख्या न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़ू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः कर्मचारियों के अवकाश खातों को समय-समय पर अद्यतन नहीं करने व सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाने के अतिरिक्त वास्तविक शेष से अधिक शेष दर्शाये जाने बारे नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13.8 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करना।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों व वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 7.14 एवं 7.15 के प्रावधानानुसार सेवा पंजीकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित आवश्यक प्रविष्टियाँ/विवरण दर्ज करके सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव

नियमानुसार नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में कर्मचारियों को देय वेतन व अन्य अदायगियों की सत्यापना सम्भव नहीं हो पाती, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Record not found in (Office record) Service Book or Personal file of the Employees

1. Nomination not attached. (Under the provisions of CCS Pension Rule 1972, Rule 53(1))
2. Detail of family/dependent not attached (Under the provisions of CCS Pension Rule 1972, Rule 54(12)).
3. Option for medical re-imbursement (As per the instruction of the Commissioner and Secretary (Health) to the Govt. of H.P. letter No. HFW-B(A)12-9/79 dated 21-06-1996)
4. HRA declaration/certificate not obtained (As per the instruction of the Joint Secretary (Finance) to the Govt. of H.P. letter No. Fin IB (7)1/12 dated 28-02-2012).
5. Assests and Liability return not obtained. (As per the instruction of the Personnel Deptt. Govt. of H.P. letter No. Per(A-B)-A(3)6/2012 dated 13-09-2012 & 14-07-2021 and Under the provisions of Sub-Rule (i) of Rule 18 of the Central Civil Service (Conduct) Rule, 1964,

अंकेक्षण अध्याचना संख्या एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-141 दिनांक 29.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या न0 40/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितताओं का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब अपेक्षित अभिलेख व औपचारिकताओं को पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 व्यव सम्बन्धी अनियमितताएँ

14.1 प्लॉन फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2015-2016 से गृहकर की माँग व वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण/संरक्षण न करने के बावजूद भी प्लॉन फाउंडेशन को ₹25.13 लाख का अनुचित/अनियमित भुगतान करना

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 131 दिनांक 31.07.2025 व 05.09.2025 के प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत सूचना के अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2015-2016 से प्लॉन फाउंडेशन को (Plan Fondation, Fondation for participatory learning & Action Network) सॉफ्टवेयर के माध्यम से गृहकर की माँग व वसूली तथा सम्बन्धित अभिलेख के संधारण का कार्य सौंपा गया था। नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में प्रस्ताव संख्या: 749, दिनांक 18.05.2015, पृ-4 तथा प्रस्ताव संख्या: 1011 दिनांक 12 जनवरी 2018, पृ-57 के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा प्लॉन फाउंडेशन को प्राप्त गृह कर का 12 प्रतिशत अदा किया जाना भी प्रस्तावित था जिसमें Collection of tax which includes, tax invoice generation, Delivery to property owner, Collection of tax, Entry of Collection in software, notice to the defaulters, with one professional person in the office for one

year with all hardware i.e. printer, internet Software and laptop. तदनुसार गृह कर से सम्बन्धित मॉग व वसूली इत्यादि का कार्य प्लान फाउंडेशन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया था तथा प्राप्त/संग्रहित गृह कर की राशि का 12 प्रतिशत प्लान फाउंडेशन को अदा किया गया था जिस कारण अंकेक्षण अवधि के अन्त तक प्लान फाउंडेशन को लगभग ₹25,13,375.16 का भुगतान किया गया था परन्तु अंकेक्षण अवधि के अन्त तक नगर परिषद द्वारा वर्षवार गृह कर से सम्बन्धित मॉग व प्राप्ति तथा वसूली हेतु शेष राशि से सम्बन्धित अभिलेखों की अद्यतन रिपोर्ट को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था। गृह कर के सम्बन्ध में किये गये भुगतान में निम्न अनियमितताएँ पाई गई—

1. प्लान फाउंडेशन द्वारा गृह कर से सम्बन्धित अभिलेखों का नियमानुसार रख-रखाव लगभग 10 से 11 वर्षों से नहीं किया गया था।
2. नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट—“16” पर प्रस्तुत सूचनानुसार गृह कर ₹2,10,65,838.00 वसूली हेतु शेष था जिससे स्पष्ट है कि प्लान फाउंडेशन द्वारा गृह कर की नियमानुसार वसूली नहीं गई थी और न ही समय-समय पर notice to the defaulters को जारी किया गया था जिस कारण दिनांक 31.03.2025 को गृह कर की बहुत बड़ी राशि वसूली हेतु शेष थी।
3. प्लान फाउंडेशन द्वारा Entry of Collection in software को नियमानुसार नहीं किया गया था जिस कारण गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख लगभग 10 से 11 वर्ष उपरान्त भी अपूर्ण थे।
4. गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख की हार्ड कॉपी को संरक्षित नहीं किया गया था और न ही सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया गया था।
5. प्लान फाउंडेशन (Plan Foundation) द्वारा गृह कर से सम्बन्धित अभिलेखों की अद्यतन रिपोर्ट को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त गृह कर ₹69,90,272.00 के 12 प्रतिशत ₹8,38,832.64 पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवाकर ₹1,50,989.88 का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।
7. नगर परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार प्लान फाउंडेशन (Plan Foundation) द्वारा One professional person in the office for one year with all hardware i.e. printer, internet Software and laptop की तैनाती नहीं की गई थी जिस कारण गृह कर से सम्बन्धित अभिलेखों का नियमानुसार अनुरक्षण/संभारण नहीं किया गया था तथा अंकेक्षण में भी अपेक्षित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उपरोक्त कारणों से नगर परिषद द्वारा वर्ष 2015-2016 से 2024-25 तक Plan Foundation को किया गया ₹25,13,375.16 का भुगतान तर्कसंगत/न्यायोचित प्रतीत नहीं होता एवं परिषद निधि से किये गये निष्फल/अनुचित व्यय को दर्शाता है। उक्त व्यय के सन्दर्भ में न तो परिषद द्वारा निदेशालय, शहरी विकास से प्राप्त स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 249 (1 व 2) के प्रावधानानुसार वर्षवार अनुमोदित बजट में Plan Foundation को अदायगी के

सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान (Budgetary Provision) को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा न तो Plan Foundation, Foundation for participatory learning & Action Network के साथ किये गये अनुबन्ध (Agreement and terms and conditions) को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही Plan Foundation के कार्यक्षेत्र एवं नियम व शर्तों (Scope of work and term and condition) को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिस कारण तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी जोकि नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 40/अंकेक्षण/रोहड़ू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः गृह कर की वसूली हेतु शेष दर्शाई राशि के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार न करने व अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा प्रकरण संस्थाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ तथ्यों की संस्थास्तर पर उचित जाँच/छानबीन हेतु लाया जाता है तथा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अनियमित भुगतान की वसूली को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14.2 गृह कर संग्रहित करने के प्रतिफल प्लॉन फॉउन्डेशन को ₹9.90 लाख तथा विभिन्न स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को ₹1.33 का दोहरा भुगतान करना

नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या: 1011 दिनांक 12 जनवरी 2018, पृ-57 के अन्तर्गत प्लॉन फॉउन्डेशन को प्राप्त गृह कर का 12 प्रतिशत अदा किया गया था जिसमें Collection of tax which includes, tax invoice generation, Delivery to property owner, Collection of tax, Entry of Collection in software, notice to the defaulters, with one professional person in the office for one year with all hardware i.e. printer, internet Software and laptop. जिस कारण अंकेक्षण अवधि के अन्त तक प्लॉन फॉउन्डेशन को यथा परिशिष्ट-“16” अनुसार लगभग ₹9,89,822.52 का भुगतान किया गया था परन्तु अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विभिन्न स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को गृह कर एकत्रित करने का कार्य सौंपा गया था जिसके लिये स्वयं सहायता समूहों को एकत्रित राशि के 10 प्रतिशत का भुगतान भी किया गया था। अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को लगभग ₹1,32,595.00 का भुगतान किया गया था जोकि एक ही कार्य लिये नगर परिषद द्वारा किये गये दोहरे भुगतान को दर्शाता है तथा नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Purpose of Expenditure	Name of Party	Vr No./ Cash Book Page No.	Amount paid	Remarks
Account Maintenance of House Tax of MC Rohru. (Amount paid during 2023-24 and 2024-25)	Plan Foundation Foundation for Participatory Learning & Action Network.	Eg. Vr No. 16 Dt. 06-03-2024 , Vr. No. 16, Dt. 17-08-2023 CBP-82 and Vr. No. 29 Dt. 22-02-2025 CBP-175	989822.52 Payment during 2023-24 and 2024-25)	989822.52
1. Total Amount paid to Plan Foundation for Collection of House tax etc.				989822.52
Collection of House Tax	Shree Sai Self Help Group	Self Help Group House Tax Collection Register Page-7, Dated 13-02-2023	10% of House tax collected 361500.00	36150.00
Collection of House Tax	Shree Ram Self Help Group	Self Help Group House Tax Collection Register Page-8, Dated	10% of House tax collected 218000.00	21800.00
Collection of House Tax	To various SHG,s	Self Help Group House Tax Collection Register Page-9, Dated 13-02-2023	10% of House tax collected 213400.00	21340.00
Collection of House Tax	To various SHG,s	Self Help Group House Tax Collection Register Page-10, Dated 13-02-2023	10% of House tax collected 157950.00	15795.00
Collection of House Tax	To various SHG,s	Self Help Group House Tax Collection Register Page-11, Dated 13-02-2023	10% of House tax collected 375100.00	37510.00
2. Total Amount paid to Various Self Help Groups for Collection of House tax etc.				132595.00

अंकेक्षण अध्यायचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जायेगा व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः गृह कर को संग्रहित करने के प्रतिफल/एवज में प्लान फाउंडेशन को ₹989822.52 लाख तथा विभिन्न स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को ₹1,32,595.00 का दोहरा भुगतान करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये एक ही कार्य हेतु किये गये स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को ₹132595.00 के दोहरे भुगतान की वसूली को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त प्रकरण विभागाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ तथ्यों की संस्था स्तर पर उचित जाँच/छानबीन उपरान्त

नियमानुसार कार्रवाई हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके।

14.3 प्लॉन फाउंडेशन को गृह कर की प्राप्त राशि के 12 प्रतिशत पर वस्तु एवं सेवाकर 18 प्रतिशत ₹1.51 लाख का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान करना

अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2015-2016 से प्लॉन फाउंडेशन को (Plan Fondation, Fondation for participatory learning & Action Network) सॉफ्टवेयर के माध्यम से गृहकर की माँग व वसूली तथा सम्बन्धित अभिलेख के संधारण का कार्य सौंपा गया था। नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में प्रस्ताव संख्या 749, दिनांक 18.05.2015, पृ-4 व प्रस्ताव संख्या 1011 दिनांक 12 जनवरी 2018, पृ-57 के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा प्लॉन फाउंडेशन को प्राप्त गृह कर का 12 प्रतिशत अदा किया जाना प्रस्तावित था जिसमें Collection of tax which includes, tax invoice generation, Delivery to property owner, Collection of tax, Entry of Collection in software, notice to the defaulters, with one professional person in the office for one year with all hardware i.e. printer, internet Software and laptop. परन्तु परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट-16 अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त गृह कर ₹69,90,272.00 के 12 प्रतिशत ₹8,38,832.64 पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवाकर ₹1,50,989.88 का अतिरिक्त भुगतान किया गया था जोकि नियमानुसार प्रतीत नहीं होता तथा संस्थास्तर पर किये गये अनियमित एवं अधिक भुगतान को इंगित करता है जबकि नियमानुसार परिषद द्वारा संवैधानिक कटौतियों जैसे आयकर व वस्तु एवं सेवाकर की कटौती के उपरान्त सम्बन्धित पक्षकार को भुगतान किया जाना अपेक्षित था। उक्त के सन्दर्भ में परिषद द्वारा न तो Plan Fondation, Fondation for participatory learning & Action Network के साथ किये गये अनुबन्ध (Agreement and terms and conditions) को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही Plan Fondation के कार्यक्षेत्र एवं नियम व शर्तों (Scope of work and term and condition) को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिस कारण तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। उपरोक्त व्यय के सन्दर्भ में न तो परिषद द्वारा निदेशालय, शहरी विकास से प्राप्त स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 249 (1 व 2) के प्राधानानुसार वर्षवार अनुमोदित बजट में Plan Fondation को अदायगी के सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान (Budgetary Provision) को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जोकि नियमों के अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वर्णित अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित

स्त्रोत से कर परिषद निधि में जमा करवाया जाये। इसके अतिरिक्त प्रकरण संस्थाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ तथ्यों की संस्थास्तर पर उचित जाँच/छानबीन हेतु लाया जाता है तथा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जा सके।

- 14.4 नगर परिषद क्षेत्र में कार पार्किंग एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु (Submitting the monthly progress report of Car Parking cum Commercial Complex at Rohru under PPP Mode) स्वैच्छिक अभियन्ता (Independent Engineer) की सेवाओं को आउटसोर्स करने के कारण नगर परिषद निधि से ₹8.00 लाख का अनुधित भुगतान करना

उप-सचिव, शहरी विकास विभाग, हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: UD-A-(3)5/2007 दिनांक 10.03.2010 के पैरा 7 (i) में स्पष्ट किया गया है कि Preliminary surveys, plans, specifications and estimates for works shall be prepared by the Municipal Engineer, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पार्किंग निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु (Submitting the monthly progress report of car parking Cum Commercial Complex under PPP Mode) स्वैच्छिक अभियन्ता (Independent Engineer) की सेवाओं को आउटसोर्स किया गया था जिसके लिये अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹8,00,000.00 का भुगतान किया गया था जबकि नगर परिषद में कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के पद क्रियाशील थे जिस कारण वर्णित व्यय नियमों के प्रतिकूल होने के कारण न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

इसके अतिरिक्त नगर परिषद ने पीपीपी मोड के आधार पर पार्किंग/कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य HPID Shimla के माध्यम से M/S Shikru Maharaj Builders Private Ltd. को दिनांक 06.06.2016 को आबंटित किया गया था तथा कन्सेशन अग्रीमेंट के Clause 1.1 (xxvi) के अनुसार निर्माण कार्य को कम्प्लाइन्स की तिथि (The date of completion of the construction period which shall be at the expiry of a period of 15 months from the date of Compliance) से 15 माह में पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में नगर परिषद द्वारा कार्यालय पत्र संख्या: MCR(Car-Parking)/2017-460-64 दिनांक 01.09.2020 के अन्तर्गत M/S Shikru Maharaj Builders Private Ltd. को सूचित किया गया था कि कम्प्लाइन्स सर्टिफिकेट दिनांक 20.07.2019 को जारी किया गया था एवं तदनुसार निर्माण कार्य को 19.10.2020 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। यद्यपि विशेष सचिव, शहरी विकास विभाग हि.प्र. के पत्र संख्या: UD-F(5)-4/2021 दिनांक 29.07.2021 द्वारा संविदाकार को इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिये 10 माह की समय वृद्धि को स्वीकृत किया गया था जिस कारण संविदाकार द्वारा कम्प्लाइन्स सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि दिनांक 20.07.2019 से यह निर्माण कार्य दिनांक 19.08.2021 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था, परन्तु संस्था द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक निर्माण कार्य पूर्ण करने सम्बन्धी अभिलेख/प्रमाण पत्र को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण निर्माण कार्य पूर्ण होने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अवधि में चयनित प्रकरणों में स्वैच्छिक अभियन्ता (Independent Engineer) की सेवाओं हेतु किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से था।

Statement showing the detail of payment made to Independent Engineer for Submitting the monthly progress report of car parking under PPP Mode.			
Purpose of Expenditure	Name of Party	Vr No./ Cash Book Page No.	Amount paid (₹)
Submitting the monthly progress report of car parking for the period 01-01-2024 to 31-08-2024 i.e. 40000 for 8 Months	Sh. Vivek Atreja, Independent Engineer.	Vr. No. 19/1-6-2023, CBP-52	1,60,000.00
		Vr. No. 31/20-9-2023, CBP-105	1,20,000.00
		Vr. No. 35/28-2-2024, CBP-168	2,00,000.00
		Vr. No. 32/24-02-2025, CBP-176	3,20,000.00
		Total	8,00,000.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनुधित भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14.5 MMSAGY के अन्तर्गत सफाई व्यवस्था पर ₹1.96 लाख का दोहरा भुगतान करना

MMSAGY योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय के चयनित प्रकरणों के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा MMSAGY योजना के अन्तर्गत सफाई व्यवस्था/नालियों की सफाई इत्यादि का कार्य निष्पादित किया गया था जिस कारण MMSAGY योजना पर वर्ष 2023-2024 तथा 2024-2025 के दौरान यथा परिशिष्ट-17 अनुसार ₹1,95,900.00 का व्यय किया गया था जबकि नगर परिषद द्वारा 2023-2024 तथा 2024-2025 के लिये निम्न विवरणानुसार सफाई व्यवस्था हेतु सविदाकारों को पूर्व में ही निविदा को आबंटित किया गया था। उक्त सफाई अनुबन्ध की क्रमशः शर्त संख्या 6.3, 6.2 व 6.12, 6.10 में स्पष्ट किया गया था कि Condition No. 6 Other terms & Conditions) 6.3,6.2 'The work will include Door-to Door collection of garbage, segregation, cleaning and sweeping of roads, street, drains lanes and nallahs including cutting of grass, bushes, within MC Area and disposal of garbage as and when required'. And Condition No. 6.12, 6.10 'The second party shall provide any other services not specifically mentioned above but is required to keep the service area clean which shall have to be provided by the service provider without any reservation and at no extra cost'.) इसके अतिरिक्त नगर परिषद में 7 नियमित सफाई कर्मचारी व 5 दैनिक वेतन के आधार पर तैनात सफाई कर्मचारी अर्थात् नगर परिषद के 12 अतिरिक्त कर्मचारी भी कार्यरत थे जिससे स्पष्ट है कि नगर परिषद द्वारा एक ही कार्य के लिये दोहरा

भुगतान करके सफाई संविदाकारों को अप्रत्यक्ष लाभ पहुँचाया गया था तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। अंकेक्षण अवधि में घयनित प्रकरणों के दौरान पाये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से था।

Sr. No.	Name of Person Smt./Miss/Sh.	Vr. No./Date	Work Done	Amount paid (₹)
1	Samila	24/10-06-2024	Sanitation Work as mention in payment voucher, because the pupose/work done was not mentioned in the computerized print of work report.	43875.00
2	Chhavi Lal			
3	Usha Devi			
4	Monu			
5	Muskan	Vr. No. 14 Dt. 04-02-2025	Cleaning of Drains	9200.00
6	Aman	Vr. No. 21 Dt. 10-02-2025	Construction and Maintenance of Material recovery facility.	12000.00
7	Aman	Vr. No. 19 Dt. 13-03-2025	Construction and Maintenance of Material recovery facility.	9200.00
8	Sahiku		Creation of secondary storage spaces	9600.00
9	Ritu	Vr. No. 09 Dt. 05-04-2024	Cleaning of Drains	9375.00
10	Ritu	Vr. No. 16 Dt. 05-01-2024	Cleaning of Drains	10500.00
12	Ritu	Vr. No. 26 Dt. 18-12-2023	Cleaning of Drains	9750.00
14	Brjesh Kumar	Vr. No. 24 Dt. 10-09-2024	Transportation of waste to processing unit	6000.00
15	Monu		Cleaning of Drains	7600.00
16	Smila		Sanitation Work as mention in payment voucher, because the pupose/work done was not mentioned in the computerized print of work report.	4800.00
17	Usha Devi			12000.00
18	Ritu	Vr. No. 25 Dt.	Cleaning of Drains	10000.00
19	Muskan	21-10-2024	Cleaning of Drains	10000.00
20	Usha Devi	Vr. No. 37 Dt. 30-10-2024	Sanitation Work	12000.00
21	Muskan		Cleaning of Drains	10000.00
22	Ritu		Cleaning of Drains	10000.00
Total				₹195900.00

उक्त से प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा सफाई व्यवस्था पर दोहरा व्यय किया था जोकि हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 10 के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के

सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमित भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली कर नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14.6 दण्ड शुल्क के रूप में सहायक आयुक्त भविष्य निधि शिमला को ₹0.75 लाख का अनुचित भुगतान करना

वाउचर संख्या: 17 दिनांक 11.11.2024, रोकड बही पृ-123 के अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा सहायक आयुक्त, भविष्य निधि कार्यालय शिमला में समय पर कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान (ई. पी.एफ., EPF) जमा न करने के लिये ब्याज सहित दण्ड शुल्क (Amount of Damage+Interest) ₹74,772 का भुगतान किया गया था। सहायक आयुक्त भविष्य निधि शिमला द्वारा पत्र संख्या: RO/HP/SML/Damages/ HPSML.1562648000 /1377 दिनांक 18.10.2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया था कि नगर परिषद द्वारा अवधि 17.09.2019 से 12.04.2024 के दौरान कुछ अदायगियों का भुगतान निर्धारित तिथि के बाद किया गया था जिस कारण नगर परिषद द्वारा निधि से ब्याज सहित दण्ड शुल्क ₹74,772 का अनुचित भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Letter Issued by	Letter Issued to	Bill No.	Vr. No.	Amount Paid	Remarks
Assistant P.F. Commissioner, The Authority u/s 14B of the EPF & MP Act, 1952.	Municipal Council Rohru, Shimla-171207	Letter No. RO/HP/SML/Damages/HPSML.1562648000/1377, Dt. 18-10-2024	17/ Dt. 11-11-2024, CBP-123	74772	The remittances of the EPF of certain payments during 17-09-2019 to 12-04-2024 were made after the respective due dates. Hence, the total amount by way of penalty and
Total (P.F. Code No. HPSML.1562648000, for determination of damages dues.)				₹74772	the amount of interest on such belated payments were charged on MC Rohru.

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि अंकेक्षण के दौरान पाये गये अनुचित/अनियमित भुगतान की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परिषद निधि से किये गये अनुचित व्यय का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उचित स्रोत से राशि की वसूली कर नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14.7 नगर परिषद के पक्ष में व्यय बिलों के न होने के बावजूद ₹2.23 लाख का अनियमित भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 1971-खण्ड-1 के नियम 2.20 तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 10 में भुगतान सम्बन्धी औपचारिकताएं व वित्तीय उपयुक्तता प्रमाण प्रावधित हैं। उक्त प्रावधानानुसार सभी प्रकार के भुगतान से पूर्व मितव्ययता, निजी धन को व्यय करने समान सावधानी, वर्तमान नितान्त आवश्यकता अनुसार व्यय करना तथा कोई भी भुगतान निजी हित व व्यक्तिगत हित में न करना ईत्यादि तथ्यों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही सार्वजनिक निधि से व्यय किया जाना अपेक्षित है परन्तु व्यय की विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माहों के व्यय बिल/वाउचर के अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा नियमों की अवहेलना करके ऐसे बिलों के भुगतान पर व्यय किया गया था जोकि नगर परिषद के नाम पर नहीं थे जिस कारण निधि से किया गया ₹222754 का भुगतान नियमानुसार प्रतीत नहीं होता, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

S. N.	Name of Suppliers	Vr. No./ Bill No. /Date/ Cash Book Page	Expenditure /Item	Amount (Rs.)	Bill Issued with the Name
1	HPSEBL	Vr. No. 35 Dt. 21-12-2023, CBP-143	Electricity Bill	3251	Hospital Rohru 1411
2	Sub Division Rohru			5380	NAC Nagar Parishad Dashlani Rohru 1411
3				4021	Samala Rohru 1411
4				4207	Vetnery Rohru 1411
5				2168	Gangtoli Rohru 1411
6				2705	Chirgaon Rohru 1411
7				6779	Patwar Khana Rohru 1411
8				1031	HPMC-1 Khana Rohru 1411
9				1031	HPMC-2 Khana Rohru 1411
				30573	
1		36 Dt. 21-12-2023, Bill No. Nil Dt. 14-12-2024, CBP-143	White Cloth	420	The bill was without particular of the addressee.
2		18 Dt. 10-01-2024, Bill No. 3271 DL Nil, CBP-151	White Cloth	700	The bill was without particular of the addressee.
				1120	
1	HPSEBL	Vr. No. 26 Dt. 23-01-2024, CBP-154	Electricity Bill	3358	Hospital Rohru 1411
2	Sub Division Rohru			6268	NAC Nagar Parishad Dashlani Rohru 1411
3				8793	Samala Rohru 1411

4				2475	Vetnery Rohru 1411
5				4093	Gangtoli Rohru 1411
6				2877	Chirgaon Rohru 1411
7				4751	Patwar Khana Rohru 1411
8				1065	HPMC-1 Khana Rohru 1411
9				1065	HPMC-2 Khana Rohru 1411
				34745	
1	HPSEBL	Vr. No. 31 Dt. 22-	Electricity	3141	Hospital Rohru 1411
2	Sub Division	03-2024, CBP-180	Bill	3269	NAC Nagar Parishad Dashlani Rohru
3	Rohru			7191	1411
4				2081	Samala Rohru 1411
5				3031	Vetnery Rohru 1411
6				4448	Gangtoli Rohru 1411
7				6005	Chirgaon Rohru 1411
8				996	Patwar Khana Rohru 1411
9				996	HPMC-1 Khana Rohru 1411
					HPMC-2 Khana Rohru 1411
				31158	
1	HPSEBL	Vr. No. 32 Dt. 19-	Electricity	3358	Hospital Rohru 1411
2	Sub Division	11-2024, CBP-129	Bill	9829	NAC Nagar Parishad Dashlani Rohru
3	Rohru			20300	1411
4				861	Samala Rohru 1411
5				42381	Vetnery Rohru 1411
6				3787	Gangtoli Rohru 1411
7				7897	Chirgaon Rohru 1411
8					Patwar Khana Rohru 1411
				88413	
9	HPSEBL	Vr. No. 22 Dt. 13-	Electricity	1950	Hospital Rohru 1411
1	Sub Division	02-2025, CBP-173	Bill	6019	NAC Nagar Parishad Dashlani Rohru
2	Rohru			5053	1411
3				3250	Samala Rohru 1411
4				12017	Vetnery Rohru 1411
5				2042	Gangtoli Rohru 1411
6				6414	Chirgaon Rohru 1411
7					Patwar Khana Rohru 1411
				36745	
				₹222754	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनोंक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: न० ५०/अंकेक्षण/रोहड़ू/2025-4300 दिनोंक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त राशि की गणना करके सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की प्रतिपूर्ति को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14.8 स्ट्रीट लाईट के रख-रखाव व्यय पर ₹0.90 लाख का दोहरा भुगतान करना

नगर परिषद द्वारा Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) के साथ स्ट्रीट लाईट Maintenance Charges इत्यादि के सम्बन्ध में दिनोंक 21.02.2017 को किये गये अनुबन्ध की क्लॉज संख्या: 1(1.1.2) अनुसार अनुबन्ध सात वर्षों अर्थात् दिनोंक 20.02.2024 तक प्रभावी था परन्तु अनुबन्ध की क्लॉज संख्या: 16 के अनुसार उक्त अवधि को निदेशालय, शहरी विकास विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्या: UD-H(B)-15-2/91-V-12002-12033 दिनोंक 14.07.2023 के अन्तर्गत 01.04.2018 से 31.03.2025 तक निर्धारित किया गया था। अनुबन्ध के पैरा संख्या: 2.3.1 (Project Scope) में स्पष्ट किया गया था कि 'The project shall include financing, supply, installation, commissioning, service and maintenance of LED street light including post installation maintenance, warranty replacement during the project period in accordance with the terms of this agreement to achieve energy savings'. जिस कारण नगर परिषद द्वारा एक ओर EESL को स्ट्रीट लाईट के Maintenance Charges की मासिक आधार पर अदायगी की गई थी तथा दूसरी ओर नगर परिषद द्वारा स्ट्रीट लाईट के मासिक बिजली के बिलों की अदायगी सहायक अभियन्ता, हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड, सब-डिविजन रोहड़ू को भी की गई थी जिसमें निम्नविवरणानुसार प्रतिमाह Line maintenance Charges को जोड़ा गया था जिससे प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा दोहरे रख-रखाव प्रभार की अदायगी की गई थी जोकि हि० प्र० वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 10 के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है जिस कारण नगर परिषद निधि से किया गया ₹89,718.80 का व्यय न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अंकेक्षण के दौरान चयनित प्रकरणों में पाये गये इस प्रकार के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है:-

S. N.	Amount paid to HPSEB			Amount paid to EESL	Double Payment of Maintenance Charges.
	Name of month & Payment made to HPSEB Ltd. Sub Division Rohru	Vr. No./ Date	Amount of Line Maintenance Charges Paid to HPSEB Ltd. Sub Division Rohru Code-1411	Fixed monthly Supply, Installation & Maintenance street light Charges.	
1	Bill of Nov. 2023 Month, paid in	35/21-12-2023,	Con. ID 100006000751= 5918.40 Con. ID 100006000752= 3107.16	As per Vr. No. 39 Dt. 22-12-2023, CBP-143	19333.44

	Decemeber 2023	CBP-143	Con. ID 100006000753= 2466.00 Con. ID 100006000754= 1134.36 Con. ID 100006000755= 690.48 Con. ID 100006000756= 1380.96 Con. ID 100006000757= 2120.76 Con. ID 100006000758= 1627.56 Con. ID 100006000759= 887.76 Con. ID 100006000760= 887.76 Total=19333.44	Invoice for the period 1-10-2023 to 30-11-2023 (Mothly amount was fixed/paid Rs. 65760x2=131520.00)	
2	Bill of December 2023 Month, paid in January 2024	26/23-01-2024, CBP-154	Con. ID 100006000751= 6115.20 Con. ID 100006000752= 3210.48 Con. ID 100006000753= 2548.00 Con. ID 100006000754= 1172.08 Con. ID 100006000755= 713.44 Con. ID 100006000756= 1426.88 Con. ID 100006000757= 2191.28 Con. ID 100006000758= 1681.68 Con. ID 100006000760= 917.28 Con. ID 100006000760= 917.28 Total=20839.60	As per Vr. No. 24 Dt. 16-01-2024, CBP-153 Invoice for the period 1-12-2023 to 31-12-2023 (Mothly amount was fixed/paid Rs. 65760)	20839.60
3	Bill of February 2024 Month, paid in March 2024.	31/22-03-2024, CBP-180	Con. ID 100006000751= 5720.40 Con. ID 100006000752= 3003.21 Con. ID 100006000753= 2383.50 Con. ID 100006000754= 1096.41 Con. ID 100006000755= 667.38 Con. ID 100006000756= 1334.76 Con. ID 100006000757= 2049.81 Con. ID 100006000758= 1573.11 Con. ID 100006000760= 858.06 Con. ID 100006000760= 858.06 Total=19544.70	As per Vr. No. 28 Dt. 16-04-2024, CBP-195 Invoice for the period 1-03-2024 to 31-03-2024 (Mothly amount was fixed/paid Rs. 65760)	19544.70
	Bill of Oct. 2024 Month, paid in Nov. 2024.	32/19-11-2024, CBP-129	Con. ID 100006000751= 6115.20 Con. ID 100006000752= 3210.48 Con. ID 100006000753= 2548.00 Con. ID 100006000754= 1172.08 Con. ID 100006000755= 713.44 Con. ID 100006000756= 1426.88 Con. ID 100006000757= 2191.28 Con. ID 100006000758= 1681.68 Total=19059.04	As per Vr. No. 19 Dt. 13-11-2024, CBP-125 Invoice for the period August-2024 to October 2024 (Mothly amount was fixed/paid Rs. 65760)	19059.04
	Bill of Jan. 2025 Month, paid in Feb. 2025.	22/13-02-2025, CBP-173	Con. ID 100006000751= 3550.80 Con. ID 100006000752= 1864.17 Con. ID 100006000753= 1479.50 Con. ID 100006000754= 680.57	As per Vr. No. 17 Dt. 07-02-2025, CBP-170 Invoice for the period 01-01-2025 to 31-01-2025	10942.02

		Con. ID 100006000755= 414.26 Con. ID 100006000756= 828.52 Con. ID 100006000757= 1201.85 Con. ID 100006000758= 922.35 Total=10942.02	(Monthly amount was fixed/paid Rs. 65760)	
Total				₹89718.80

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमित भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उचित स्रोत से राशि की वसूली कर नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा वर्णित प्रकरण विभागाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ संस्थास्तर पर उचित जाँच/छानबीन उपरान्त वसूली योग्य राशि की गणना एवं तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित करवाने हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके।

14.9 सम्पत्ति सर्वे के लिये प्लान फाउंडेशन को ₹2.08 लाख का दोहरा भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 1971-खण्ड-1 के नियम 2.20 तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 10 में भुगतान सम्बन्धी औपचारिकताएं व वित्तीय उपयुक्तता प्रमाण प्रावधित हैं। उक्त प्रावधानानुसार सभी प्रकार के भुगतान से पूर्व मितव्ययता, धन को व्यय करने में सावधानी, वर्तमान नितान्त आवश्यकता अनुसार व्यय करना तथा कोई भुगतान निजि हित व व्यक्तिगत हित में न करना इत्यादि तथ्यों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही सार्वजनिक निधि से व्यय किया जाना अपेक्षित है परन्तु वॉलचर संख्या: 23 तथा 29 दिनांक 09.09.2024 तथा 20.09.2024 के अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा सम्पत्ति/सर्वे Property Survey के लिये दो अलग-अलग पक्षों Plan Foundation Shimla को Survey and Re-Survey of Property within limit of MC Rohru to Plan Foundation Shimla के लिये ₹2,08,034.00 का भुगतान किया गया था तथा Joint Member Secretary, Aryabhatta Geoinformatics & Space Application Centre, HP Council for Science, Technology & Environment, 34 SDA Complex Kasumpti Shimla-9 को Detailed Property Survey के लिये कुल देय भुगतान ₹22,75,382.00 में से अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹8,64,645.00 का भुगतान किया गया था। यद्यपि Joint Member Secretary, HP Council for Science, Technology & Environment द्वारा उक्त सर्वेक्षण का कार्य निदेशालय, शहरी विकास के निर्देशानुसार व्यापक/विस्तृत स्तर पर किया गया था जबकि Plan Foundation Shimla द्वारा किया गया सर्वेक्षण संक्षिप्त/लघु स्तर पर नगर परिषद द्वारा करवाया गया था परन्तु Plan Foundation Shimla द्वारा किये गये सर्वेक्षण के सन्दर्भ में अपेक्षित बजट प्रावधान व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक

गम्भीर अनियमितता है। उक्त से स्पष्ट है कि नगर परिषद द्वारा एक ही कार्य के लिये दो अलग-अलग पक्षों को भुगतान किया गया था जोकि परिषद निधि से दोहरे भुगतान को दर्शाता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Detail of Payment of 1 st Party for Property Survey			Detail of Payment of 2 nd Party for Property Survey		
Detail of 1 st Surveyer	Purpose	Vr. No./ Cash Book Page and Amount Paid	Detail of 2 nd Surveyer Vr. No./ Cash Book Page and Amount Paid	Purpose	Amount Due Amount for Survey (₹)
Plan Foundation Shimla, Broadway Enclave, Sanjauli Shimla, H.P. (Bill No. Nil, Letter No. PLAN/Pro. Tex/2024 Dated 6-8-2024)	Survey of New Properties:	Vr No. 23 Dt. 09-09-2024, CBP-81	Joint Member Secretary, Aryubhatta Geoinformatics & Space Application Centre, HP Council for Science, Technology & Environment, 34 SDA Complex Kasumpti Shimla-9	1) Drone Survey (Aerial Survey, Orthorectified Mosaic Image)	200000.00
	Survey of Old Properties	Amount Paid		2) GIS Based Mapping Buildings footprints Mapping Road/Street mapping Land Use/Land Cover Mapping	83300.00
	500 @ 75 Plus 18% GST	208034.00	Vr.No. 29 Dt. 20-09-2024, CBP-81 (Bill No. Nil, Letter No. 1559 Dated 18-03-2024)	3) Property Survey (1500 Approx Properties) Door to Door property survey using GIS Maps	750000.00
				4) Database creation/compilation Final map layout Web GIS interface	150000.00
				Data Entry In E-Sampati Portal	150000.00
				5) Printing stationary & Miscellaneous expenses	150000.00
				6) Institutional Charges	444995.00
				7) GST 18%	347092.00
				Total	=2275382
				Amount paid during audit period	=864645.00

अंकेक्षण अध्यायना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमित/दोहरे भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उचित

स्रोत से राशि की वसूली कर नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

- 14.10 अनुबन्ध की शर्त के अनुसार कार्य निष्पादन न करने के कारण EESL से अनुबन्ध की शर्त संख्या: 2.5.3 अनुसार न्यूनतम दण्ड ब्याज 1% ₹0.48 लाख तथा अधिकतम दण्ड ब्याज 5% ₹2.38 लाख की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) के साथ स्ट्रीट लाइट Maintenance Charges इत्यादि के सम्बन्ध में दिनांक 21.02.2017 को किये गये अनुबन्ध की क्लॉज संख्या: 1(1.1.2) अनुसार अनुबन्ध सात वर्षों अर्थात् दिनांक 20.02.2024 तक प्रभावी था परन्तु अनुबन्ध की क्लॉज संख्या: 16 के अनुसार उक्त अवधि को निदेशालय, शहरी विकास विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्या UD-H(B)-15-2/91-V-12002-12033 दिनांक 14.07.2023 के अन्तर्गत 01.04.2018 से 31.03.2025 तक निर्धारित किया गया था। अनुबन्ध की क्लॉज संख्या: 2.5.3 (a) में स्पष्ट किया गया था कि 'In case of default by EESL, maintaining uptime of lights of 95%, a penalty equivalent to monetized value of energy savings from defective/Non burning lamps shall be deducted from EESL monthly payment. The penalty shall be reckoned as follows. (b) Penalty @ 1% of yearly Annual maintenance charge (AMC) charges for every 1% reduction in yearly up time below 95% and in proportion for part thereof. Total amount of penalty shall be limited to 5% of Annual AMC charges', परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि EESL द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य को निष्पादित नहीं किया गया था जिस कारण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहड़ू द्वारा निम्न विवरणानुसार EESL को बारम्बार सूचित किया गया था अर्थात् निरन्तर शिकायतों एवं कार्य के सन्तोषजनक न पाये जाने के उपरान्त भी नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के अन्त तक EESL से अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार न्यूनतम दण्ड ब्याज 1% ₹47504.77 अथवा अधिकतम दण्ड ब्याज 5% ₹237523.85 की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है—

Detail of few letter regarding Non-maintenance of Street lights by EESL				
Sr. No.	Letter No	Adressed By	Adressed to	Purpose/Subject of letter.
1	MC/ROHRU/2022-266 Dt. 28-02-2022	Executive Officer MC Rohru, Distt. Shimla, H.P.	The Regional Head, EESL Regional Office, 1 st Floor Thakur Niwas Khalini Shimla.	Regarding non-maintenance of street lights.
2	MC/ROHRU/2022-324 Dt. 12-04-2022	Executive Officer MC Rohru, Distt. Shimla, H.P.	The Regional Head, EESL Regional Office, 1 st Floor Thakur Niwas Khalini Shimla.	Regarding Un-satisfactory work of aintenance of street lights.
3	MC/ROHRU/2022-384 Dt. 30-04-2022	Executive Officer MC Rohru, Distt.	The Regional Head, EESL Regional Office,	Regarding Un-satisfactory work of aintenance of

		Shimla, H.P.	1 st Floor Thakur Niwas Khalini Shimla.	street lights.
4	MC/ROHRU/2022-420-21 Dt. 04-05-2022	Executive Officer MC Rohru, Distt. Shimla, H.P.	The Regional Head, EESL Regional Office, 1 st Floor Thakur Niwas Khalini Shimla.	Regarding non-maintenance/ repair of street lights.
5	MC/ROHRU/2022-439 Dt. 12-05-2022	Executive Officer MC Rohru, Distt. Shimla, H.P.	The Regional Head, EESL Regional Office, 1 st Floor Thakur Niwas Khalini Shimla.	Regarding non-maintenance/ repair of street lights.
6	MC/ROHRU/2022-550-51 Dt. 10-06-2022	Executive Officer MC Rohru, Distt. Shimla, H.P.	The Regional Head, EESL Regional Office, 1 st Floor Thakur Niwas Khalini Shimla.	Regarding non-maintenance/ repair of street lights since 01-05-2022
7	MC/RHU/Pension/2023-309-10 Dt. 05-06-2023	Executive Officer MC Rohru, Distt. Shimla, H.P.	The State Head, Shimla.	Regarding non-maintenance/ repair of street lights and passed resolution No. 132 dated 16-12-2022 to find a local vender for maintenance of street lights.
8	MC/ROHRU/ 2023-31 Dt. 13-01-2023	Executive Officer MC Rohru, Distt. Shimla, H.P.	The EESL Ltd. Regional Office, 1 st Floor Thakur Niwas Khalini Shimla.	Regarding non-maintenance/ repair of street lights since 30-11-2022.
9	MC/ROHRU/ 2023-106 Dt. 13-02-2023	Executive Officer MC Rohru, Distt. Shimla, H.P.	The EESL Ltd. Regional Office, 1 st Floor Thakur Niwas Khalini Shimla.	Regarding non-maintenance/ repair of street lights since 30-11-2022 to 13-02-2023.
10	MC/RHU/ 2023-724-26 Dt. 04-11-2023	Executive Officer MC Rohru, Distt. Shimla, H.P.	The State Head, EESL 1 st Floor Thakur Niwas Khalini Shimla.	Regarding non-maintenance/ repair of defective street lights.
11	Through e-mail mc.rohroo@gmail.com , Dt. 18-9-2024	Executive Officer MC Rohru, Distt. Shimla, H.P.	Through e-mail to aftab.alam@orientelectric.com and CC to:helpline@eesl.co.in	Regarding non-maintenance/ repair of defective street lights.
12	Through e-mail mc.rohroo@gmail.com, Dt. 1-10-2024	Executive Officer MC Rohru, Distt. Shimla, H.P.	Through e-mail to aftab.alam@orientelectric.com and CC to:helpline@eesl.co.in	Regarding non-maintenance/ repair of defective street lights.

13	Through e-mail mc.rohru@gmail. com, Dt. 14-10- 2024	Executive Officer MC Rohru, Distt. Shimla, H.P.	Through e-mail to aftab. alam@orientelectric.com and CC to:helpline@eesl.co.in	Regarding non- maintenace/ repair of defective street lights.
14	Through e-mail mc.rohru@gmail. com, Dt. 16-10- 2024	Executive Officer MC Rohru, Distt. Shimla, H.P.	Through e-mail to aftab. alam@orientelectric.com and CC to:helpline@eesl.co.in	Regarding non- maintenace/ repair of defective street lights.
15	Through e-mail mc.rohru@gmail. com, Dt. 18-10- 2024	Executive Officer MC Rohru, Distt. Shimla, H.P.	Through e-mail to aftab. alam@orientelectric.com and CC to:helpline@eesl.co.in	Regarding non- maintenace/ repair of defective street lights.
Total amount paid to EESL as per record supplied to audit				₹4750477.00
Minimum Penalty @ 1% of yearly Annual maintenance charges				₹47504.77
Maximum Penalty @ 5% of yearly Annual maintenance charges				₹237523.85

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित दस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः निरन्तर शिकायतों एवं कार्य के सन्तोषजनक न पाये जाने के उपरान्त भी नियमानुसार दण्ड ब्याज की वसूली न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये सम्बन्धित उचित स्रोत से दण्ड शुल्क की वसूली कर नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा वर्णित प्रकरण विभागाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ संस्थास्तर पर उचित जॉच/छानबीन उपरान्त वसूली योग्य दण्ड राशि की गणना एवं तदनुसार नियमानुसार कार्यवाई को सुनिश्चित करवाने हेतु लाया जाता है ताकि परिषद निधि से किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके।

14.11 नियुक्त सफाई कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक गमबूट (Snow Shoes) क्रय करने के कारण ₹2640 का अधिक भुगतान करना

बाउचर संख्या: 23 दिनांक 11.03.2024 के अंकेक्षण में पाया कि नगर परिषद द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में सफाई कर्मचारियों को 14 नं० गमबूट का क्रय ₹6160 में किया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: MCR/Establishment/Daily wages/2024/1036 दिनांक 04.09.2024 के अन्तर्गत निदेशालय, शहरी विकास को प्रस्तुत सूचना के अनुसार नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की संख्या मात्र

8 थी जबकि परिषद द्वारा 14 गमबूट का क्रय किया गया दर्शाया था जोकि सफाई कर्मचारियों की वास्तविक संख्या से 6 अधिक कर्मचारियों को दर्शाता है जिस कारण परिषद द्वारा 6 अतिरिक्त गमबूट पर ₹2640 का अधिक व्यय किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से था।

Vr No. Date	Name of Suppliers	Bill No. Date	Expenditure	Amount Paid (₹)	Remarks
Vr No. 23 Dated 11-03-2024, CBP-175	M/s Devinder Boot House Main Bazar Rohru H.P.	106/ 05-06-2024 Gamboot 14 Nos. @440	14 Nos Gum boot for Sanitation employees. (Whereas there were only 8 filled posts of sanitation employees engaged for sanitation)	6160.00	There were only 8 Sanitation employees. Hence, purchase of 14 Nos Gum Boot was unjustified and payment of extra 6 Nos Gum Boot were not justified =6 Nos x @ 440 =2640.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक व्यय का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14.12 सफाई व्यवस्था हेतु संविदाकार के माध्यम से आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों के वर्षा सूट (Rain Suits) पर ₹3600 का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण में पाया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान परिषद के सामान्य सफाई व्यवस्था हेतु 14 सफाई कर्मचारियों के लिये वर्षा सूट (Rain Suits) पर ₹8400 का व्यय किया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा कुल 8 कर्मचारियों की तुलना में 14 वर्षा सूट (Rain Suits) क्रय किये गये थे जोकि वास्तविक खरीद 8 वर्षा सूट (Rain Suits) से 6 वर्षा सूट (Rain Suits) अधिक थे तथा नगर परिषद द्वारा किये गये ₹3600 के अधिक/अनियमित भुगतान को दर्शाता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Vr No. Date	Name of Party	Bill No. Date	Expenditure	Amount Paid (₹)	Remarks
Vr No. 9 Dated 01-11-2024, CBP-116	M/s S.K. Traders Kaku Complex Rohru.	208 Dt. 19-10-2024 @600x14 = 8400	14 Nos Rain Suits for Sanitation employees. (Whereas there are only 8 Nos regular sanitation employees of MC)	8400.00	There are only 8 Sanitation regular employees of MC. Hence, purchase of 14 Nos Rain suit and payment of extra 6 rain suits =3600.00 was not justified.

अंकेक्षण अध्याचना संख्या एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की बसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

- 15 नियमानुसार वैधानिक कटौतियों को न करना तथा न ही सम्बन्धित विभाग में जमा करना
- 15.1 नगर परिषद द्वारा वैधानिक कटौतियों/सविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से काटे गए वस्तु एवं सेवाकर, बिक्री कर, आयकर, श्रमकर व रॉयल्टी ₹15.58 लाख को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना

नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट-“15” पर प्रस्तुत सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2025 के दौरान सविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से काटे गये वस्तु एवं सेवाकर, आयकर, श्रमकर व रॉयल्टी ₹15,57,826.00 को नियमानुसार सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement showing the detail of closing balance of GST, TDS and Labour cess and Royalty as on 31-03-2025			
Sr. No.	Particular	Outstanding Balance as on 31-03-2023	Remarks
1	GST on Shop Rent	1113940.00	परिशिष्ट-“15”
	GST on Cont. Bils	18845.00	परिशिष्ट-“15”
2	TDS	27768.00	परिशिष्ट-“15”
3	Labour Cess	58468.00	परिशिष्ट-“15”
4	Royalty (electrky deducted)	338805.00	परिशिष्ट-“15”
	Total	₹1557826.00	

अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि संस्थास्तर पर उक्त वैधानिक कटौतियों का नियमानुसार लेखांकन न तो रोकड बही व लैजर/खाताबही में किया गया था और न ही नियमानुसार रजिस्टर का संधारण एवं रखरखाव किया गया था। रोकड बही में केवल वैधानिक कटौतियों के उपरान्त सविदाकार को देय शुद्ध राशि को ही दर्शाया गया था जबकि नियमानुसार सविदाकार को निर्माण कार्य बिल की अदायगी के समय ही (Entry of the Collection of statutory deductions in Cash Book) रोकड बही में वैधानिक

कटौतियों के संग्रहण की प्रविष्टि की जानी अपेक्षित थी, जिस कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त वैधानिक कटौतियों के प्रारम्भिक शेष, वित्तीय वर्ष के दौरान की गई कटौती, जमा की गई राशि तथा अन्त शेष की सत्यापना नहीं की जा सकी जोकि नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में अपेक्षित कटौतियों के यथासमय जमा न होने के कारण किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़ू/2025-4264 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित वैधानिक कटौतियों को सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिया जायेगा व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितताओं का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा संस्थास्तर पर आवश्यक पड़ताल उपरान्त वैधानिक कटौतियों को नियमानुसार सम्बन्धित विभागों में यथासमय जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई की संभावना को नकारा जा सके। इसके अतिरिक्त अपेक्षित चालान व अभिलेख हेतु अलग से नस्ति का संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15.2 सफाई संविदाकारों द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत मासिक सफाई बिलों के साथ सफाई कर्मचारियों के ई.पी.एफ. चालान प्रस्तुत न करने के कारण परिषद निधि से ₹11.62 लाख का अनियमित भुगतान करना

वाउचर संख्या: 22 दिनांक 09.09.2024, रोकड़ बही पृ-81 के अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2025 के दौरान सफाई संविदाकारों द्वारा सफाई व्यवस्था हेतु आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों की मजदूरी पर नियमानुसार देय ई.पी.एफ. (EPF) के भुगतान से सम्बन्धित माह वार एवं कर्मचारी वार चालान को मासिक बिल के साथ नगर परिषद कार्यालय में जमा नहीं करवाया गया था और न ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, जबकि सफाई अनुबन्ध 2023-24 की शर्त संख्या: 6.8 तथा सफाई अनुबन्ध 2024-25 की शर्त संख्या: 6.6 (Other Terms and Conditions) में यह स्पष्ट किया गया था कि The second party must abide all statutory obligations as applicable. The second party shall ensure the payments of all mandatory deductions like GST/TDS/Labor cess and or any other Tax/Cess/Fee imposed by the local/State/Center any time also ensure the payment of minimum wages as per minimum wages act, EPF, ESI and other statutory deductions to the staff deployed/engaged by him under this contract and shall submit monthly compliances report to the MC Rohru.

उक्त के दृष्टिगत परिषद द्वारा न तो नियमानुसार संविदाकार के माध्यम से नियुक्त/तैनात सफाई कर्मचारियों के सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख को नगर परिषद कार्यालय स्तर पर संधारित किया गया था और न ही नियमानुसार जमा किये गये ई.पी.एफ. (EPF) के भुगतान से सम्बन्धित माह वार एवं कर्मचारी वार चालान व सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिस कारण संविदाकार के माध्यम से सफाई

व्यवस्था हेतु आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों की संख्या, नाम, पता, उपस्थिति/अनुपस्थिति एवं निरपवादित कुल कार्य ₹98,86,995.00 पर देय ई.पी.एफ. (EPF) ₹11,62,439.00 की नियमानुसार जॉच नहीं की जा सकी जोकि सहायक आयुक्त, भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कसुम्पटी शिमला के पत्र संख्या: RO/HP/Intelligence/Contract Workers/23337 दिनांक 30.12.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण के दौरान ई.पी.एफ. (EPF) ₹11,62,439.00 की कटौती से सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख को सम्बन्धित सविदाकारों से प्राप्त किये बिना सविदाकारों को किये गये अनियमित भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से था।

Statement showing the detail of Payment made to the various contractors without production the record of deduction of EPF due on labour payment, during the period 04/2023 to 03/2025						
Sr. No.	Name of Work/Name of Contractor	Period of Payment	No of Employee	Monthly Amount	Total Amount of work executed	EPF 12% Share due on labour payment
1	M/S Ved Mata Gaytri Jan Kalyan Samiti, Chirgaon Award letter No. Nil dated Nil (Outsourcing the services of Sanitation, Door to Door Garbage Collection)	01-06-2022 to 31-05-2023 4 months agreement extended upto 30-09-2023 due to tender process).	Total 16 14 Safai Karamchhari 1 No Driver 1 Nos Supervisor	203000 Total = 230000 (-) One Vehicle amount as per estimate (-) 27000	3248000.00 (203000x16)	389760.00
2	M/S Ved Mata Gaytri Jan Kalyan Samiti, Chirgaon. Award Letter No. MC/Rohru/Door to Door/ 2023-617 Dt. 28-09-2023. (Outsourcing the services of Sanitation, Door to Door Garbage Collection)	01-10-2023 to 30-9-2024 One month contract extended upto 31-10-2024 due to tender process.	Total 20 18 Safai Karamchhari 1 No Driver 1 Nos Supervisor	313000 Total = 340000 (-) Vehicle amount as per estimate (-) 27000	4069000.00 (313000x13)	488280.00
3	M/S R.B. World Prop. Jagmohan Bhaik Main Power Outsource Co. EMM Villa Near Secretariat, Chhotta Shima-2. Award Letter No. MC/Works/ 2024/ 1298-1299 Dt. 30-10-2024 (Outsourcing the services of Sanitation, Door to Door Garbage Collection)	01-11-2024 to 31-10-2025	Total =30 26 Safai Karamchhari, 2 Driver and 2 Supervisor 2 Vehicle	473999 Total = 527999 (-) Vehicle amount as per estimate (-) 54000	2369995.00 (473999x5) (Nov. 2024 to March 2025)	284399.00
G/Total 7818995.00					₹9886995.00	₹1162439.00

उक्त से स्पष्ट है कि सविदाकार द्वारा नियमानुसार कर्मचारियों के ई.पी.एफ. (EPF) अंशदान को जमा नहीं किया गया था जबकि सविदाकार द्वारा अनियमित रूप से बिल के माध्यम से वर्णित कर्मचारियों

के ई.पी.एफ. भुगतान को प्राप्त किया गया था जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जबकि इसी प्रकार के प्रकरण में सहायक आयुक्त भविष्य निधि शिमला द्वारा पत्र संख्या: RO/HP/SML/Damages/HPSML1562648000 /1377 दिनांक 18.10.2024 के अन्तर्गत नगर परिषद को अवधि 17.09.2019 से 12.04.2024 के दौरान कुछ अदायगियों का भुगतान निर्धारित तिथि के बाद करने के लिये ब्याज सहित दण्ड स्वरूप ₹74,772 को प्रभारित किया गया था जिसका भुगतान नगर परिषद द्वारा वाउचर संख्या 17 दिनांक 11.11.2024, रोकड बही पृ-123 के अन्तर्गत किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा संविदाकार द्वारा देय ई.पी.एफ. (EPF) ₹11,62,439.00 की संस्था स्तर पर उचित जाँच एवं पुष्टि उपरान्त सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की कटौती कर सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये ताकि किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई की संभावना को नकारा जा सके।

15.3 निविदा/टैन्डर फार्म (Tender form) के विक्रय पर वस्तु एवं सेवाकर ₹0.67 लाख की वसूली न करना

सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवाकर के कार्यालय ज्ञापन संख्या: F.No. A-46020/12/2017-EA Government of India Ministry of Housing and Urban Affairs Economic Division दिनांक 16.08.2017 के पैरा-4 के अन्तर्गत टैन्डर/निविदा फॉर्म (Tender form) के विक्रय पर 18% की दर से वस्तु एवं सेवाकर की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2025 के दौरान निविदा/टैन्डर फार्म की विक्रय राशि ₹374500.00 पर वस्तु एवं सेवाकर ₹67410.00 की वसूली नहीं की गई थी जिस कारण राजकोष को ₹67410.00 की वित्तीय हानि हुई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है तथा संवैधानिक कटौतियों की नियमानुसार वसूली एवं यथासमय जमा न करने के कारण किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

Financial Year	Tender form sale register Page No.	Amount of Sale of Tender Form	GST 18% not collected on sale of tender form
2023-24	Reg.-I, Page - 69 to 91	292500	52650.00
2024-25	Reg.-I, Page - 92 to 94 & Reg.-II, Page - 3 to 13	82000	14760.00
Total		₹374500.00	₹67410.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-138 दिनांक 25.09.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न० ५०/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वस्तु एवं सेवाकर की नियमानुसार वसूली न करने की संस्था स्तर पर उचित जाँच एवं पुष्टि उपरान्त सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की कटौती कर सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये ताकि किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई की संभावना को नकारा जा सके।

- 15.4 नगर परिषद के सफाई सविदा के प्राक्कलन में जीएसटी तथा लेबर सैस (Labour Cess 1% तथा GST 2%) को जोड़ने के कारण उच्च दरों पर निविदा आबंटित होने के कारण परिषद निधि से ₹3.13 लाख का अधिक/अनुचित भुगतान करना।

नगर परिषद रोहडू में अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2025 के दौरान निम्न सफाई सविदाकारों के माध्यम से सफाई व्यवस्था हेतु आउटसोर्स पर कर्मचारियों को तैनात किया गया था परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निविदाओं के आमंत्रण हेतु तैयार प्राक्कलन में Labour Cess 1% तथा GST 2% को भी जमा किया गया था जबकि नियमानुसार सफाई व्यवस्था के प्राक्कलन में Labour Cess तथा GST लागू नहीं है जिस कारण प्राक्कलन (Estimate) में प्राक्कलित मूल्य (Estimated value) के अधिक होने के कारण वास्तविक प्राक्कलन (Actual Estimated value) की तुलना में उच्च मूल्य/अधिक दरों पर निविदा को आबंटित किया गया था परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद निधि से संभावित ₹313138.77 का अधिक/अनुचित व्यय किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Estimate of Outsourcing the services of Sanitation, Door to Door Garbage Collection.				
Year	Name of Contractor/Period of Contract	Detail fo Estimate prepared by MC Rohru.	Elements of Estimate required to be excluded by MC Rohru.	Excess amount added
2023-24	M/S Ved Mata Gaytri Jan Kalyan Samiti, Chirgaon. Award Letter No. MC/Rohru/Door to Door/ 2023-617 Dt. 28-09-2023.	Amount of Estimate Before tax and after 10% Cont. Profit and 12% EPF=323891.80 Add : Labour Cess=3238.908 Add : Income	Amount of Estimate Before tax and after 10% Cont. Profit and 12% EPF =323891.80 Add : Income Tax=3238.91 Amount to be considered for estimate =327130.71 for one Month	126298.77 (9715.29x13) (9715= 336846.00- 327130.71)

	Period 01-10-2023 to 30-9-2024 One month contract extended upto 31-10- 2024 due to tender process.	Tax=3238.908 Add : GST=6477.82 Amount after adding Tax =336846.00 for One Month		
	Tender awarded = 340000.00			
2024-25	M/S R.B. World Prop. Jagmohan Bhaik Main Power Outsource Co. EMM Villa Near Secretariat, Chhotta Shima-2. Award Letter No. MC/Works/ 2024/ 1298-1299 Dt. 30-10- 2024. Period 01-11-2024 to 31- 10-2025.	Amount of Estimate Before tax and after 10% Cont. Profit and 12% EPF=518992.00 Add : Labour Cess=5189.92 Add : Income Tax=5189.92 Add : GST=10379.85 Amount after adding Tax =539752.00 for One Month.	Amount of Estimate Before tax and after 10% Cont. Profit and 12% EPF=518992.00 Add : Income Tax=5189.92 Amount to be considered for estimate =524182.00 for One Month	186840.00 (15570x12) (15570= 539752.00- 524182.00)
	Tender awarded = 527999.00			
Total of excess tendered amount				313138.77
Note:- GST on sanitation work is not applicable as per the clarification under Para 7.3 of Circular No. 177/09/2022-TRU of CBIC-190354/176/2022-TRU Government of India Ministry of Finance Department of Revenue (Tax Research Unit) dated 3 rd August, 2022 'That Services by Central Government, State Government, Union Territory or any local authority by way of any activity in relation to a function entrusted to a Panchayat under article 243G of the constitution or to a municipality under article 243W of the constitution have been declared as 'neither a supply of goods nor a supply of service' vide notification no. 14/2017- Central Tax (Rate) dated 28.06.2017'.				
Note:- Labour Cess on sanitation work is not applicable as per Para (a) of letter No. Shram(E)3-7/2011-Part1 Dated 21-01-2015 'That the (RECS) Act, 1996 applies to every establishment which emolys, or had employed on any day of the preceding twelve months, ten or more building workers in any building or other construction work belonging to, or under the control of, Government, any body corporate or firm, an individual or association or other body of individuals which or who employs building workers in any building or other construction work; and includes an establishment belonging to a contractor'. And also as per the section 3 of Building and other construction workers welfare cess Act' 1996. Section 3 (1) There shall be levied and collected a cess for the				

purposes of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act, 1996, at such rate not exceeding two per cent, but not less than one percent, of the cost of construction incurred by an employer.

(2) The cess levied under sub-section (1) shall be collected from every employer in such manner and at such time, including deduction at source in relation to a building or other construction work of a Government or of a public sector undertaking.

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 के प्रत्युत्तर में परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः प्राक्कलन में Labour Cess 1% तथा GST 2% को जमा करने के कारण नगर परिषद को हुई वित्तीय हानि का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये संस्था को हुई वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति/वसूली को उचित स्रोत से सुनिश्चित करके परिषद निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

- 15.5 पेशेवर संस्थाओं से उनके भुगतान बिलों से 194 J के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौती न करने के कारण विविध संस्थाओं को ₹2.04 लाख का अधिक भुगतान करना।

अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा M/s Plan Foundation Foundation for Participatory Learning & Action Network, को गृह से सम्बन्धित लेखों के संचारण व संरक्षण इत्यादि के लिये (Amount paid during the year 2023-24 and 2024-25 for Account Maintenance of House Tax of MC Rohru) वर्ष 2023-24 व 2024-25 के दौरान ₹9,89,822.52 व ₹2,08,034.00 का भुगतान किया गया था एवं M/S Chandernahan Associates Accountas, Thakur Niwas, Near Goel Motors, Shaktinagar Rohru को वर्ष 2023-24 के दौरान GST Return filing, TDS Return filing, Digital Signature and EPF Return filing etc. के लिये ₹40000/- का भुगतान किया गया था तथा स्वैच्छिक अभियन्ता Sh. Vivek Atreta, Independent Engineer, को नगर परिषद परिक्षेत्र में पीपीपी मोड पर कार पार्किंग के निर्माण कार्य के निष्पादन एवं प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये वर्ष 2023-24 व 2024-25 के दौरान ₹8,00,000.00 का भुगतान किया गया था परन्तु आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 J के अनुसार Fees for professional services: 10% TDS पेशेवर सेवाएँ को सेवाएँ प्रदान करने के बदले वर्ष 2024-25 तक एक बार/एकमुश्त ₹30000/- तथा तत्पश्चात् 2025-26 से ₹50000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 10% की दर से आयकर की कटौती अदायगी के समय नहीं की गई थी जिस कारण नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गये कुल भुगतान

₹20,37,856.52 के समय नियमानुसार 10% की दर से आयकर ₹2,03,785.65 की कटौती नहीं की गई थी, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है-

Purpose of Expenditure	Name of Party	Vr No./ Cash Book Page No.	Amount paid	TDS not deducted under 194J of Income tax act 1961
Submitting the montly progress report of car parking for the period 01-01-2024 to 31-08-2024 i.e. 40000 for 8 Months	Sh. Vivek Atreta, Independent Engineer,	Vr. No. 19/1-6-2023, CBP-52 Vr. No. 31/20-9-2023, CBP-105 Vr. No. 35/28-2-2024, CBP-168 Vr. No. 32/ 24-02-2025, CBP-176 Total	160000.00 120000.00 200000.00 320000.00 800000.00	80000.00
GST Return filing, TDS Return filing, Digital Singnature and EPF Return filing etc.	Chandernahan Associates Accountas, Thakur Niwas, Near Goel Motors, Shaktinagar Rohru	18/ 7-03-2024, CBP-174	40000.00	4000.00
Account Maintenance of House Tax of MC Rohru. (Amount paid during 2023-24 and 2024-25)	Plan Foundation Foundation for Participatory	Eg. Vr No. 16 Dt. 06-03-2024 , Vr. No. 16, Dt. 17-08-2023 CBP-82 and Vr. No. 29 Dt. 22-02-2025 CBP-175	989822.52 Payment during 2023-24 and 2024-25)	98982.25
Survey and Re-Survey of Property within limit of MC Rohru to Plan Foundation Shimla	Learning & Action Network.	Vr No. 23 Dt. 09-09-2024	208034.00	20803.40
Total			₹2037856.52	₹203785.65

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 के प्रत्युत्तर में परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः आयकर (TDS) की नियमानुसार कटौती न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा यथाशीघ्र उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15.6 निर्माण कार्य बिलों से नियमानुसार (Security) प्रतिभूति राशि की कटौती न करने के कारण सविदाकारों को ₹0.58 लाख अनियमित भुगतान करना:-

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों की अदायगियों के समय प्रतिभूति राशि की कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है तथा नगर परिषद द्वारा अपेक्षित कटौतियों को न करके सविदाकारों को ₹57649.20 अनुचित लाभ पहुँचाया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Name of Work	Name of Contractor/ MB No.	Vr No. Date	Gross Amount	10% Security required to be deducted.
C/O of toilet block on hospital road in WNO:-3	Pooja Chaudhan/MB No. 02 P. No. 75	22/09.10.23	317497	31749.70
C/O drain in WNO:-1 from patwar khana towards Harizen basti	Deepak Sharma/MB No. 02 P. No. 78	23/09.10.23	146647	14664.70
Steel work in toilet block on Hospital road.	Jai Devta Sholluna Welding Works/MB No. 02 P. No. 79	23/15.11.23	112348	11234.80
Total			₹576492.00	₹57649.20

अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा (Security) प्रतिभूति रजिस्टर/खाताबही का नियमानुसार अनुदान नहीं किया गया था जिस कारण अंकेक्षण अवधि के अन्त में खातावार/सविदाकार वार प्रारम्भिक शेष, वर्ष के दौरान कटौती की गई राशि, वापिस की गई राशि तथा अन्तशेष की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: न0 40/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा संस्थास्तर अपेक्षित रजिस्टर/खाताबही के संधारण को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

निर्माण कार्य

16 अंकेक्षण अवधि में रद्द निर्माण कार्यों की निविदाओं ₹70.50 लाख में से ₹21.23 लाख के निर्माण कार्यों की निविदाओं का पुनः आबंटन न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 137 दिनांक 31.07.2025 व 15.09.2025 के सन्दर्भ में प्रस्तुत टेंडर/निविदा रजिस्टर एवं सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान यथा परिशिष्ट-'18' अनुसार निर्माण कार्य

₹70,50,936.00 की निविदाओं को एकल निविदा अथवा तीन से कम निविदा प्राप्त होने व संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य को आरम्भ/निष्पादित न करने इत्यादि कारणों से निविदाओं को रद्द किया (Tender Cancelled) गया था, जिसमें से निर्माण कार्य ₹21,22,890.00 की निविदाओं को लगभग 14 माह से 19 माह के उपरान्त भी पुनः आबंटित नहीं किया गया था जोकि संस्था की लचर कार्यप्रणाली को ईंगित करता है जिससे न केवल सहायतानुदान का अनावश्यक अवरोधन हुआ था बल्कि लाभार्थी जनता को भी अपेक्षित लाभ से वंचित होना पड़ा तथा संस्था के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को दर्शाता है। CPWD Manual के पैरा 3.7 में स्पष्ट किया गया है कि If the lowest tenderer backs out, there should be re-tendering in a transparent and fair manner. In such a situation, the NIT approving authority may call tender at short notice if so justified in the interest of work. Tender will not be issued to the contractor who has backed out. उक्त के दृष्टिगत नियमानुसार परिषद द्वारा यथाशीघ्र रद्द निर्माण कार्य की निविदाओं को पुनः आबंटित किया जाना अपेक्षित था ताकि निर्माण कार्य की लागत में वृद्धि होने के कारण परिषद निधि से अतिरिक्त व्यय की संभावना को नकारा जा सके तथा यथासमय सहायतानुदान के सदुपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-141 दिनांक 29.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या न० ५०/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि संस्थास्तर पर उचित जॉब उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा यथाशीघ्र रद्द निर्माण कार्य की निविदाओं को पुनः आबंटित कर सहायतानुदान के सदुपयोग को सुनिश्चित किया जाये व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 **संविदाकार द्वारा आबंटित निर्माण कार्य को आरम्भ/निष्पादित न करने के कारण नगर परिषद द्वारा बयाना राशि (Earnest money) ₹0.64 लाख को जब्त न करना**

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 137 दिनांक 31.07.2025 व 15.09.2025 के सन्दर्भ में प्रस्तुत टैण्डर/निविदा रजिस्टर एवं सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान यथा परिशिष्ट- "19" अनुसार संविदाकारों द्वारा ₹21,17,802.00 के निर्माण कार्य को आरम्भ/निष्पादित न करने के कारण नगर परिषद द्वारा निविदाओं को रद्द तो किया (Tender Cancelled) गया था परन्तु बयाना राशि (Earnest money) ₹63,700.00 को जब्त नहीं किया गया था जबकि CPWD Manual 2019 के पैरा 5.1.7 में प्रावधानित किया गया है कि- (2) If contractor fails to furnish the prescribed performance guarantee within the prescribed period, the earnest money is absolutely forfeited without any notice.

(3) In case of forfeiture of earnest money as prescribed in 1 and 2 above, the tenderer shall not be allowed to participate in the retendering process of the work. उक्त के दृष्टिगत अर्नेस्ट मनी ₹63,700.00

को जब्त करके (Forfeiture of EMD) परिषद निधि में जमा किया जाना अपेक्षित था परन्तु परिषद द्वारा लगभग 14 माह से 19 माह के उपरान्त भी अर्नेस्ट मनी को जब्त नहीं किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा संस्था की लचर कार्यप्रणाली को दर्शाता है। यद्यपि नगर परिषद द्वारा सविदाकारों को अर्नेस्ट मनी ₹63,700.00 को वापिस नहीं किया गया था। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-141 दिनांक 29.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार करिवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः नियमानुसार अर्नेस्ट मनी को जब्त न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा नियमानुसार अर्नेस्ट मनी को जब्त कर नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18 अनुमोदित ड्रॉइंग/डिजाइन तथा अन्य विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹25.52 लाख के निर्माण कार्यों का अनियमित आबंटन व निष्पादन करना

हिमाचल प्रदेश Municipal works Rule 2010 के नियम 7 के तहत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाना अपेक्षित है तथा उप-सचिव, शहरी विकास विभाग, हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: UD-A-(3)5/2007 दिनांक 10.03.2010 के पैरा 4 (3) में भी स्पष्ट किया गया है कि The design and drawings of works shall have to be got approved from the competent authority of the HP PWD, I&PH Department, HIMUDA and NIT. तथा पैरा 7 (1) अनुसार Preliminary surveys, plans, specifications and estimates for works shall be prepared by the Municipal Engineer. उक्त के दृष्टिगत निर्माण कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्य की Approved Drawing/design, Rate of Analysis व समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन का अनुमोदन करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु नगर परिषद द्वारा यथा परिशिष्ट-20 अनुसार ₹25,51,936.00 के निर्माण कार्यों को Approved Drawing/design के बिना आबंटित एवं निष्पादित किया गया था तथा निष्पादित कार्य से प्रतीत होता है कि Approved detail of measurement में औपचारिकता मात्र के लिये निर्माण कार्य की Length, width and height को दर्शाया गया था जबकि वास्तविकता में निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु अनुमोदित Length, width and height के अनुसार निर्माण कार्यों को निष्पादित नहीं किया गया था जिस कारण सम्बन्धित निर्माण कार्यों की नियमानुसार पडताल नहीं की जा सकी जोकि नियमों की सरासर अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों के अंकेक्षण में निम्न अनियमितताएं पाई गई।

1. अंकेक्षण में चयनित प्रकरणों में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा आबंटित व निष्पादित निर्माण कार्य के सन्दर्भ में निर्माण कार्य अग्रीमेन्ट/टैण्डर फॉर्म सविदाकारों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किये गये थे

जबकि निविदा में माग लेने वाले समस्त संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्य अग्रीमेंट/टैण्डर फॉर्म को हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. निविदा फॉर्म व सम्बन्धित अभिलेख में निविदा फॉर्म को जमा व खोलने की तिथि तथा तुलनात्मक विवरणी में भी कहीं पर भी तिथि को वर्णित नहीं किया गया था।
3. निर्माण कार्य हेतु उपयोग किये गये सीमेंट व स्टील के बिल को भी निर्माण कार्य बिल के साथ संलग्न नहीं किया गया था जबकि आबंटन पत्र की शर्त संख्या: 10 के अनुसार ए.सी.सी./समतुल्य सीमेंट एवं आई.एस. 1786-1979 टॉर स्टील का उपयोग किया जाना अपेक्षित था।
4. माप पुस्तिका एवं निर्माण कार्य बिल में कहीं पर पर भी प्रमाण पत्र/प्रमाणन नहीं दिया गया था जोकि आबंटन पत्र की निम्न शर्तों के अनुसार आवश्यक था:-

शर्त संख्या: 03 के अनुसार संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य को HPPWD Specification के आधार पर निष्पादित किये जाने के सम्बन्ध में माप पुस्तिका में कोई भी प्रमाण पत्र/प्रमाणन नहीं दिया गया था।

शर्त संख्या: 05 के अनुसार संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य को निष्पादित किये जाने के सन्दर्भ में जल व बिजली का प्रबन्ध संविदाकार द्वारा स्वतः स्तर पर किया गया था अथवा नगर पंचायत द्वारा वहन किया गया है इस सम्बन्ध में माप पुस्तिका में कोई भी प्रमाण पत्र/प्रमाणन नहीं दिया गया था अन्यथा यदि नगर पंचायत द्वारा वहन किया गया है तो आबंटित कार्य की लागत का @1.5% जल एवं बिजली प्रभार की कटौती की जानी अपेक्षित थी।

शर्त संख्या: 09 के अनुसार संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य को निष्पादित किये जाने के सन्दर्भ में अनुबन्ध को हस्ताक्षरित नहीं किया गया था।

5. इसके अतिरिक्त निष्पादित निर्माण कार्य के सम्बन्ध में माप पुस्तिका में प्रविष्टियों को दर्ज करने की तिथि को वर्णित नहीं किया गया था।
6. शर्त संख्या: 11 के अनुसार संविदाकार द्वारा ई0पी0एफ0 ईत्यादि सवैधानिक कटौतियों को जमा करवाये जाने के सम्बन्ध में माप पुस्तिका में कोई भी प्रमाण पत्र/प्रमाणन नहीं दिया गया था।
7. शर्त संख्या: 15 के अनुसार संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने उपरान्त साईट से अतिरिक्त/वेस्ट सामग्री को नगर परिषद की डंपिंग साईट में निष्पादित/निपटारा किया जाना अपेक्षित है अन्यथा संविदाकार के बिल से आवश्यक कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु माप पुस्तिका में इस सम्बन्ध में कोई भी प्रमाण पत्र/प्रमाणन नहीं दिया गया था।

उक्त से यह स्पष्ट होता है कि नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक नियमों/औपचारिकताओं को दरकिनार करके निर्माण कार्य को निष्पादित किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। अंकेक्षण अध्यायना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके

प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न० ५०/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा तथा आवश्यक किया गया कि भविष्य में नियमानुसार ही निर्माण कार्यों को निष्पादित किया जायेगा। अतः वर्णित अनियमित व्यय के सन्दर्भ में विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाये तथा सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से अनियमित व्यय के नियमितिकरण को सुनिश्चित किया जाये तथा परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही निर्माण कार्यों को निष्पादित किया जाये ताकि सहायता अनुदान से अनियमित व्यय की संभावना को नकारा जा सके।

19 निर्माण कार्यों को विलम्ब से पूर्ण करने के कारण संविदाकारों से दण्ड शुल्क ₹1.70 लाख की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 131 दिनांक 31.07.2025 व 05.09.2025 के सन्दर्भ में प्रस्तुत माप पुस्तिका एवं सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न प्रकरणों में संविदाकारों द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण कार्यों को निष्पादित/पूर्ण नहीं किया गया था जबकि आबंटन पत्र की शर्त संख्या: 4 में स्पष्ट किया गया था कि As per Condition No. 4 of the award letter :- The work should be completed within time specified in tender DNIT, positively in all respect, failing which a penalty shall be taken as per clause-2, of condition of contract of general rules and description for guidance of contractors. तथा अग्रीमेन्ट/अनुबन्ध की क्लॉज 2 में प्रावधान था कि As per clause 2 of the agreement:- In the event of the contractor failing to comply with the condition he shall be liable to pay as compensation as amount equal to one percent (1%) or smaller amount as the Trust/Muni./Corp. Engineer (whose decision in writing shall be final) may decide on the estimate cost of the whole work for every day that due quantity of work remains incomplete provided always that entire amount of compensation to be paid under the provisions of this clause shall not exceed ten percent (10%) on the estimated cost of the works as shown in the tender. परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकारों द्वारा आबंटन पत्र में वर्णित शर्त के अनुसार निर्धारित अवधि के पश्चात् निर्माण कार्यों को पूर्ण किया गया था जिसके लिये संविदाकारों से यथा परिशिष्ट-"21" अनुसार दण्ड शुल्क ₹1,70,113.00 की वसूली नहीं की गई थी जोकि नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न० ५०/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित विलम्ब शुल्क की नियमानुसार वसूली न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से

राशि की वसूली कर नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20 निर्माण कार्य में मदों का नियमों के प्रतिकूल अतिरिक्त व अनियमित निष्पादन करने के कारण संविदाकारों को ₹1.24 लाख का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 131 दिनांक 31.07.2025 व 05.09.2025 के सन्दर्भ में प्रस्तुत माप पुस्तिका एवं सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2025 के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों में मदों का नियमों के प्रतिकूल अतिरिक्त/अनियमित निष्पादन करने एवं गलत गणना के कारण संविदाकारों को निम्न विवरणानुसार ₹1,24,207.50 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया था। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़ू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित/प्रस्तुत किया गया कि वर्णित अनियमितताओं पर नियमानुसार कार्रवाई/राशि की वसूली उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा तथा आश्वस्त किया गया कि भविष्य में नियमानुसार ही निर्माण कार्यों का निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान चयनित प्रकरणों में पाये गये इस प्रकार के निर्माण कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से था।

20.1	Name of Work	C/o Path and providing Chakka tiles from Satya house to Shaloni Temple Ward No6; Job No-11.
	Estimated amount	₹155401
	Awarded amount	₹160875 (3.52% above, NIT Rates on HPSR-2020)
	Award letter No.	No.-UD-RHU-TEN-593-95 Dated: 26-09-2023
	Name of Contractor	Sh. Punit Tegta, Cont. MC Rohru.
	Measurement Books	MB No-03, Page No.9 to 12
	Period of completion	2 Months (Reckoned from the 15 th day of issuing the award letter) Cond. 4
	Running Bill	1 st and Final Bill, Vr No. 28 Dated 19-03-2024.

मद संख्या 3 Chequarred precast cement concrete tiles 22mm thick in footpath & courtyard, joined with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of tiles, i/e ruing and cleaning etc. on 20 mm thick bed of CM 1:4 medium shade pigment using 50% white cement 50% grey cement के अन्तर्गत चौड़ाई का अतिरिक्त कार्य निष्पादित करने के कारण संविदाकार को ₹5,302 का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या: 1 Earth work in excavation by mechanical menas/manual menas over area i/c getting out and disposal of excavated earth etc. all kinds of soil etc. य मद संख्या: 2 P/L in position CC of specified grade excluding the cost of centering and shuttering –all work upto plinth level 1:5:10 etc. का मद संख्या: 3 Chequarred precast cement concrete tiles 22mm thick in footpath & courtyard, joined with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of tiles, i/c ruing and cleaning etc. on 20 mm thick bed of CM 1:4 medium shade pigment using 50% white cement 50% grey cement. के साथ मिलान/अंकेक्षण में पाया गया कि मद संख्या: 1 व 2 के अन्तर्गत निष्पादित की गई चौड़ाई 1.10 मीटर की तुलना में मद संख्या: 3 के अन्तर्गत 1.15 से 4.30 मीटर अतिरिक्त चौड़ाई को निष्पादित किया गया था जबकि नियमानुसार मद संख्या: 1 तथा 2 के अन्तर्गत निष्पादित कार्य प्रमात्रा के अनुसार ही मद संख्या: 3 के अन्तर्गत कार्य को निष्पादित किया जाना अपेक्षित था इस सम्बन्ध में माप पुस्तिका में कोई भी टिप्पणी/अभ्युक्ति नहीं की गई थी जिस कारण संविदाकार को चौड़ाई की अतिरिक्त मात्रा 4.82m² को निष्पादित करने की एवज में निम्न विवरणानुसार किया गया ₹5,302.00 का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

Particular of executed items MB -3-Page-9-12	Qty. executed as per MB	Required Qty. to be executed as per Audit	Qty. excess executed ₹	Rate of Item ₹	Excess Amount Paid ₹
Item: 1) Earth work in excavation by mechanical menas/maual menas etc. MB -3-Page-10	25.00x1.10x0.30=8.25 20.00x(1.10+0.90)/2x0.30 =6.00 18.00x(1.10+0.80)/2x0.30 =5.13 Total=19.38m ³	25.00x1.10x0.30=8.25 20.00x(1.10+0.90)/2x0.30=6.00 18.00x(1.10+0.80)/2x0.30=5.13 Total=19.38m ³	0.00	250.00 m ³	0.00
Item:2) P/L in position CC graded stone aggregate 40mm nominal size etc. MB -3-Page-10	25.00x1.10x0.10=2.75 20.00x(1.10+0.90)/2x0.10 =2.00 18.00x(1.10+0.80)/2x0.10 =1.71 Total=6.46m ³	25.00x1.10x0.10=2.75 20.00x(1.10+0.90)/2x0.10=2.00 18.00x(1.10+0.80)/2x0.10=1.71 Total=6.46m ³	0.00	4000.00 m ³	0.00
Item:3) Chequarred precast cement concrete tiles 22mm thick in footpath etc. MB -3-Page-11	0.77x1.90=1.46 0.77x1.30=1.00 0.75x1.50=1.12 0.75x1.80=1.35 1.30x1.15=1.49 0.95x4.15=3.94	0.77x1.10=0.85 0.77x1.10=0.85 0.75x1.10=0.83 0.75x1.10=0.83 1.30x1.10=1.43 0.95x1.10=1.05	4.82m ²	1100 m ²	5302.00

	0.65x1.15=0.74 1.45x1.30=1.88 Total=12.98m2 (Note: due to numerous entries only erroneous entries have shown)	0.65x1.10=0.72 1.45x1.10=1.60 Total=8.16m2 (Note: due to numerous entries only erroneous entries have shown)			
Total excess Payment					₹5302.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमित/अधिक भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20.1.1 मद संख्या 3 Chequarred precast cement concrete tiles 22mm thick in footpath & courtyard, joined with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of tiles, i/c ruing and cleaning etc. on 20 mm thick bed of CM 1:4 medium shade pigment using 50% white cement 50% grey cement के अन्तर्गत लम्बाई का अतिरिक्त कार्य निष्पादित करने के कारण संविदाकार को ₹13,519.00 का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या: 1 Earth work in excavation by mechanical menas/manual menas over area i/c getting out and disposal of excavated earth etc. all kinds of soil etc. व मद संख्या: 2 P/L in position CC of specified grade excluding the cost of centering and shuttering -all work upto plinth level 1:5:10 etc. तथा मद संख्या: 4 P/L in position CC of specified grade etc. all work up to plinth level 1:3:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size का मद संख्या: 3 Chequarred precast cement concrete tiles 22mm thick in footpath & courtyard, joined with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of tiles, i/c ruing and cleaning etc. on 20 mm thick bed of CM 1:4 medium shade pigment using 50% white cement 50% grey cement. के साथ मिलान/अंकेक्षण में पाया गया कि मद संख्या: 1, 2 व 4 के अन्तर्गत निष्पादित की गई लम्बाई 63.00 मीटर की तुलना में मद संख्या: 3 के अन्तर्गत 72.30 मीटर लम्बाई को निष्पादित किया गया था जबकि नियमानुसार मद संख्या: 1, 2 व 4 के अन्तर्गत निष्पादित कार्य प्रमात्रा के अनुसार ही मद संख्या: 3 के अन्तर्गत कार्य को निष्पादित किया जाना अपेक्षित था इस सम्बन्ध में माप पुस्तिका में कोई भी टिप्पणी/अभ्युक्ति नहीं की गई थी जिस कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार लम्बाई की अतिरिक्त मात्रा 9.30mtrs को निष्पादित किरने की एवज में किया गया ₹13,519.00 का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

Particular of executed items. MB -3-Page-9-12	Qty. executed as per MB	Required Qty. to be executed as per Audit	Qty. excess executed ₹	Rate of Item ₹	Excess Amount Paid ₹
Item: 1) Earth work in excavation by mechanical menas/maual menas etc. MB -3-Page-10	$25.00 \times 1.10 \times 0.30 = 8.25$ $20.00 \times (1.10 + 0.90) / 2 \times 0.30 = 6.00$ $18.00 \times (1.10 + 0.80) / 2 \times 0.30 = 5.13$ Total=19.38m3 Total Length=63.00mtrs	$25.00 \times 1.10 \times 0.30 = 8.25$ $20.00 \times (1.10 + 0.90) / 2 \times 0.30 = 6.00$ $18.00 \times (1.10 + 0.80) / 2 \times 0.30 = 5.13$ Total=19.38m3 Total Length=63.00mtrs	0.00	250.00 m3	0.00
Item:2) P/L in position CC 1:5:10 graded stone aggregate 40mm nominal size etc. MB -3-Page-10	$25.00 \times 1.10 \times 0.10 = 2.75$ $20.00 \times (1.10 + 0.90) / 2 \times 0.10 = 2.00$ $18.00 \times (1.10 + 0.80) / 2 \times 0.10 = 1.71$ Total=6.46m3 Total Length=63.00mtrs	$25.00 \times 1.10 \times 0.10 = 2.75$ $20.00 \times (1.10 + 0.90) / 2 \times 0.10 = 2.00$ $18.00 \times (1.10 + 0.80) / 2 \times 0.10 = 1.71$ Total=6.46m3 Total Length=63.00mtrs	0.00	4000.00 m3	0.00
Item:4) P/L in position CC 1:3:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size etc. MB -3-Page-10	Total length executed =60.09 mtrs	Total length executed =60.09 mtrs	0.00	4500.00 m3	0.00
Item:3) Chequarred precast cement concrete tiles 22mm thick in footpath etc. MB -3-Page-11	Total length executed =72.30 mtrs (Note: due to numerous entries only erroneous entries have shown) $3.68 \times 0.86 = 3.16$ $0.95 \times 4.15 = 3.94$ $1.25 \times 1.00 = 1.25$ $0.65 \times 1.15 = 0.74$ $1.00 \times 1.00 = 1.00$ $1.00 \times 1.00 = 1.00$ $1.45 \times 1.30 = 1.88$ Total=12.97m2 Total length=9.98mtrs (Executed qty 72.30 mtrs (-) 9.98 mtrs (+) 0.68 mtrs = 63 Mtrs)	Required Qty. to be executed as per Audit=63.00m2 Hence, Excess length of work executed=9.30 mtrs $0.68 \times 0.86 = 1.54$ Total=1.54m2 Total Length=0.68 mtrs	12.29m2 (12.97 (-) 0.68 mtrs)	1100 m2	13519.00
Total excess Payment					₹13519.00

अंकेक्षण अध्यायना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: नं० प०/अंकेक्षण/रोहड़ू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20.2	Name of Work	C/O protection wall for road in sidhahan road near house of Sh. Bishan Singh in Ward No. 4
	Estimated amount	₹721815
	Awarded amount	₹613200 (17.71% below, NIT Rates on HPSR-2020)
	Award letter No.	UD-RHU-TEN-2023-661-63 dated 20-10-2023
	Name of Contractor	Sh. Naresh Bhranta, Contractor MC Rohru.
	Measurement Books	MB No-03, Page No.13 to 15
	Period of completion	2 Months (Reckoned from the 15 th day of issuing the award letter) Con. 6
	Running Bill	1 st and Final Bill, Vr No. 20 Dated 13-05-2024.

मद संख्या: 5 i.e. P/L in position CC of specified grade etc. all work up to plinth level 1:3:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size etc. के अन्तर्गत Protection wall की नींव एवं मध्य भाग (Foundation and Middle portion) में निष्पादित की गई लम्बाई की तुलना में Protection wall के उपरी भाग (Top Portion) का 2.10 मीटर अतिरिक्त कार्य निष्पादित करने के कारण संविदाकार को ₹0.21 लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या: 5 i.e. P/L in position CC of specified grade etc. all work up to plinth level 1:3:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size etc. का मद संख्या: 1 i.e. Earth work in excavation by mechanical menas/maual menas over areas i/c getting out and disposal of excavated earth lead upto 50 m and lift upto 1.5 m as directed by engineer-in-charge. All kinds of soil etc. तथा मद संख्या: 3 i.e. P/L in position CC 1:5:10 graded stone aggregate 40mm nominal size etc. के साथ मिलान करने पर पाया गया कि मद संख्या: 5 के अन्तर्गत मद संख्या: 1 तथा 3 की तुलना में नियमों के प्रतिकूल Protection wall के उपरी भाग (Top Portion) के लिये 2.10 mtrs अतिरिक्त लम्बाई को निष्पादित किया गया था जबकि नियमानुसार मद संख्या: 1 तथा 3 के अन्तर्गत निष्पादित लम्बाई की कार्य प्रमात्रा के अनुसार ही मद संख्या: 5 के उपरी भाग (Top Portion) को निष्पादित किया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में माप पुस्तिका में भी कोई टिप्पणी/अभ्युक्ति नहीं की गई थी जिस कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार किया गया ₹21,266.00 का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

Particular of executed items	Qty. executed as per MB MB -3-Page-13 to 15	Required Qty. to be executed as per Audit	Qty. excess executed ₹	Rate of Item ₹	Excess Amount Paid ₹
Item: 1) Earth work in excavation by mechanical menas/maual menas etc. (MB -3-Page-	Cutting (11.65x1.50x1.50)/2=13.10 Foundation 11.65x1.80x0.80+0.60)/2 =14.67 Total=27.77m3	Cutting (11.65x1.50x1.50)/2=13.10 Foundation 11.65x1.80x0.80+0.60)/2 =14.67	0.00 m3	100 m3	0.00

13)		Total=27.77m3			
Item:3) P/L in position CC 1:5:10 graded stone aggregate 40mm nominal size etc. (MB-3-Page-13)	For bottom of wall 11.65x1.80x0.15 =3.14 m3	For bottom of wall 11.65x1.80x0.15 =3.14 m3	0.00 m3	4500 m3	0.00
Item: 5) P/L in position CC 1:3:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size etc. (MB-3-Page-13)	For 1 st Step 11.65x(1.80+1.20)/2x3.65=63.78 8 Middle portion 11.65x1.20x1.15=16.07 Top Portion 13.75x(1.20+0.60)/2x2.30=28.46 Total=108.31 m3	For 1 st Step 11.65x(1.80+1.20)/2x3.65=63.78 Middle portion 11.65x1.20x1.15=16.07 Top Portion 11.65x(1.20+0.60)/2x2.30=24.12 Total=103.97 m3	4.34 m3	4900 m3	21266.00
Total excess Payment					₹21266.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि संस्था स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20.2.2 मद संख्या: 4 i.e 'Providing Centring and shuttering i/c strutting, propping etc. के अन्तर्गत एक साईड फॉर्म वर्क (Single side form work) के बावजूद मद संख्या: 7 i.e 'Back filling behind abutment, wing wall and return wall etc. के लिये संविदाकार को ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या: 4 i.e 'Providing Centring and shuttering i/c strutting, propping etc. and removal of form work for walls i/c attached pilaster buttresses, plinth and strutting courses etc.' का मद संख्या: 7 i.e 'Back filling behind abutment, wing wall and return wall complete as per drawing and technical specification. के साथ तुलना में पाया गया कि मद संख्या: 4 के अन्तर्गत निष्पादित कार्य प्रमात्रा 87.53 M2 के लिये Single side form work हेतु भुगतान किया गया था

तथा मद संख्या: 7 के अन्तर्गत निम्नादित कार्य प्रमात्रा 10.48 M3 के लिये 'Back filling behind abutment, wing wall and return wall' हेतु भुगतान किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था क्योंकि form work केवल एक ही साईड के लिये किया गया था जिससे स्पष्ट है कि दूसरी ओर से Form Work न होने के कारण स्टोन फिलिंग हेतु भुगतान संभव नहीं था क्योंकि दूसरी ओर से फॉर्म वर्क हेतु दीवार का प्रयोग किया गया था। उक्त कारणों से सविदाकार को मद संख्या: 7 के अन्तर्गत ₹10,480/- का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Item: 4 i.e. 'Providing Centring and shuttering i/c strutting, propping etc'. As per MB No. 03, Page-13	Item: 7 i.e. 'Back filling behind abutment, wing wall and return wall etc.' As per MB No. 03, Page-14	Required Qty. to be executed as per Audit	Rate of Item	Total excess Payment (₹)
$11.65 \times 3.65 = 42.52 \text{ m}^2$ $11.65 \times 1.15 = 13.39 \text{ m}^2$ $13.75 \times 2.30 = 31.62 \text{ m}^2$ Total = 87.53 m²	$11.65 \times 0.60 \times 1.50 = 10.48 \text{ m}^3$	As the form work was executed only for single side, hence payment for stone filling behind the P/wall under item No. 7 was not justified.	1000 m ³	10480.00
Total excess Payment				₹10480.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़ू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि माप पुस्तिका अनुसार पाये गये अधिक भुगतान की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20.3

Name of Work	C/O R/Wall on path near the house of Sh. Hardev Sharma W No. 4, Job No. 7
Estimated amount	₹213253/-
Awarded amount	₹223601.10 (4.85% Above, NIT Rates on HPSR-2020)
Award letter No.	UD-RHU-TEN-1237-39 dated 21.10.2024.
Name of Contractor	Sh. Amol Chauhan, Contractor MC Rohru.
Measurement Books	MB No-02, Page No. 97 to 99
Period of completion	3 Months (Reckoned from the 15 th day of issuing the award letter) Condi. 3,5
Running Bill	1 st and Final Bill, Vr. No. 19, Dt. 10.02.2025.

मद संख्या: 3 i.e. 'Providing Centring and shuttering i/c strutting, propping etc. के अन्तर्गत एक साईड फॉर्म वर्क (Single side form work) के बावजूद मद संख्या: 6 i.e. 'Back filling behind abutment, wing wall and return wall complete as per drawing and technical specification. के लिये संविदाकार को ₹3,456 का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या: 3 i.e. 'Providing Centring and shuttering i/c strutting, propping etc. and removal of form work for walls i/c attached pilaster buttresses, plinth and strutting courses etc.' का मद संख्या: 6 i.e. 'Back filling behind abutment, wing wall and return wall complete as per drawing and technical specification. के साथ तुलना में पाया गया कि मद संख्या: 3 के अन्तर्गत निष्पादित कार्य प्रमात्रा 30.60 M2 के लिये Single side form work हेतु भुगतान किया गया था तथा मद संख्या: 6 के अन्तर्गत निष्पादित कार्य प्रमात्रा 2.43 M3 के लिये 'Back filling behind abutment, wing wall and return wall etc.' हेतु भुगतान किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था क्योंकि form work केवल एक ही साईड के लिये (Single side form work) किया गया था जिससे स्पष्ट है कि दूसरी ओर से Form Work न होने के कारण स्टोन फिलिंग हेतु भुगतान संभव नहीं था क्योंकि दूसरी ओर से फॉर्म वर्क हेतु दीवार का प्रयोग किया गया था। उक्त कारणों से संविदाकार को मद संख्या: 6 के अन्तर्गत ₹3,456/- का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Item: 3 i.e. 'Providing Centring and shuttering i/c strutting, propping etc'. As per MB No. 02, Page-98	Item: 6 i.e. 'Back filling behind abutment, wing wall and return wall etc.' As per MB No. 02, Page-98	Required Qty. to be executed as per Audit	Rate of Item	Total excess Payment (₹)
$9.00 \times (3.20 + 3.60) / 2 = 30.60 \text{ m}^2$ Total = 30.60 m²	$1/2 \times (9.00 \times 0.60 \times 0.80) \times 0.50 = 2.16 \text{ m}^3$ Total = 2.16 m³	As the form work was executed only for single side, hence payment for stone filling behind the R/wall under item No. 6 was not justified.	1600 m3	3456.00
Total excess Payment				₹3456.00

अकैक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अकैक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या नं० 90/अकैक्षण/रोहड़ू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि माप पुस्तिका अनुसार पाये गये अधिक भुगतान की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अकैक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः

वर्णित अधिक भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20.4	Name of Work	C/O R/Wall on path near the house of Sh. Bhardwaj House Ward No. 4, Job No. 6
	Estimated amount	₹213253/-
	Awarded amount	₹223601.10 (4.85% Above, NIT Rates on HPSR-2020)
	Award letter No.	UD-RHU-TEN-1240-42 dated 21.10.2024.
	Name of Contractor	Sh. Amol Chauhan, Contractor MC Rohru.
	Measurement Books	MB No-03, Page No. 69 to 71.
	Period of completion	3 Months (Reckoned from the 15 th day of issuing the award letter) Condi. 3,5
	Running Bill	1 st and Final Bill, Vr. No. 20, Dt. 10.02.2025.

मद संख्या: 3 i.e 'Providing Centring and shuttering i/c strutting, propping etc. के अन्तर्गत एक साईड फॉर्म वर्क (Single side form work) के बावजूद मद संख्या: 6 i.e 'Back filling behind abutment, wing wall and return wall complete as per drawing and technical specification. के लिये सविदाकार को ₹5,632 का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या: 3 i.e 'Providing Centring and shuttering i/c strutting, propping etc. and removal of form work for walls i/c attached pilaster buttresses, plinth and strting courses etc.' का मद संख्या: 6 i.e 'Back filling behind abutment, wing wall and return wall complete as per drawing and technical specification. के साथ तुलना में पाया गया कि मद संख्या 3 के अन्तर्गत निष्पादित कार्य प्रमात्रा 29.49 M2 के लिये Single side form work हेतु भुगतान किया गया था तथा मद संख्या: 6 के अन्तर्गत निष्पादित कार्य प्रमात्रा 3.52 M3 के लिये 'Back filling behind abutment, wing wall and return wall etc.' हेतु भुगतान किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था क्योंकि form work केवल एक ही साईड के लिये (Single side form work) किया गया था जिससे स्पष्ट है कि दूसरी ओर से Form Work न होने के कारण स्टोन फिलिंग हेतु भुगतान संभव नहीं था क्योंकि दूसरी ओर से फॉर्म वर्क हेतु दीवार का प्रयोग किया गया था। उक्त कारणों से सविदाकार को मद संख्या: 6 के अन्तर्गत ₹5,632/- का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Item: 3 i.e. 'Providing Centring and shuttering i/c strutting, propping etc'. As per MB No. 03, Page-69	Item: 6 i.e 'Back filling behind abutment, wing wall and return wall etc.' As per MB No. 03, Page-69	Required Qty. to be executed as per Audit	Rate of Item	Total excess Payment (₹)
$9.00 \times (3.05 + 3.00)/2 = 29.49 \text{ m}^2$ Total = 30.60 m2	$1/2 \times (9.80 \times 0.60 \times 1.20) \times 0.50 = 3.52 \text{ m}^3$ Total = 3.52 m3	As the form work was executed only for single side, hence payment for stone filling behind the R/wall under item No. 6 was not justified.	1600 m3	5632.00
Total excess Payment				₹5632.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि माप पुस्तिका अनुसार पाये गये अधिक भुगतान की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20.5	Name of Work	P/L Cement Concrete in Road Near Shikru Devta Temple.
	Estimated amount	₹96319
	Awarded amount	₹98198 (NIT Rates on HPSR-2020)
	Award letter No.	UD-RHU-TEN-893-95-24.07.24
	Name of Contractor	Sh. Armol Chauhan, Contractor MC Rohru.
	Measurement Books	MB No-03, Page No.47 to 48
	Period of completion	2 Months (Reckoned from the 15 th day of issuing the award letter) Con. 6
	Running Bill	1 st and Final Bill, Vr No. 43 Dt. 29.08.2024.

मद संख्या 3 i.e. P/L in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering all work up to plinth level :CC 1:3:6 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य निष्पादित करने के कारण संविदाकार को ₹0.43 लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 3 i.e P/L in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering all work up to plinth level :CC 1:3:6 etc. का मद संख्या 1. i.e. Earth work in excavation by mechanical means/manual means in etc. व मद संख्या 2 i.e P/L in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering all work up to plinth level :CC 1:5:10 etc. से तुलना में पाया गया कि मद संख्या 3 के अन्तर्गत मद संख्या 1 व 2 की तुलना में नियमों के प्रतिकूल अतिरिक्त लम्बाई (Length) 16.40 mtrs को निष्पादित किया गया था जबकि नियमानुसार मद संख्या 1 व 2 के अन्तर्गत निष्पादित की गई कार्य प्रमात्रा के अनुसार ही मद संख्या 3 को निष्पादित किया जाना अपेक्षित था इस सम्बन्ध में माप पुस्तिका में भी कोई टिप्पणी/अभ्युक्ति नहीं की गई थी जिस कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार किया गया ₹43,168 का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

Particular of executed items	Qty. executed as per MB MB -3-Page-47	Required Qty. to be executed as per Audit	Qty. excess executed ₹	Rate of Item ₹	Excess Amount Paid ₹
Item: 1) Earth work in excavation by mechanical menas/maual menas etc. MB -3, Page-47	4x5.00x2.50x0.30=15.00 Total=15.00m3	4x5.00x2.50x0.30=15.00 Total=15.00m3	0.00	0.00	0.00
Item :2) P/L in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering all work up to plinth level :CC 1:5:10 etc., MB page -3, P-47	2x10.00x2.50x0.10=5.00 Total=5.00m3	2x10.00x2.50x0.10=5.00 Total=5.00m3	0.00	0.00	0.00
Item:3) P/L in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering all work up to plinth level :CC 1:3:6 etc., MB page -3, Page-47.	4x3.00x3.00x0.10 = 3.60 4x4.00x4.30x0.10 = 6.88 2x4.20x2.50x0.10 = 2.10 Total=12.58m3	4x3.00x2.50x0.10 = 3.00 4x2.00x2.50x0.10 = 2.00 Total=5.00m3	7.58m3	5695.00	43168.00
Total excess Payment					₹43168.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20.6	Name of Work	C/O Path and wall from Full's Singh house to Hukam Chand house w no-1
	Estimated amount	₹182993
	Awarded amount	₹107147
	Award letter No.	UD-RHU-TEN-426, Dt. 05.08.2023

Name of Contractor	Smt. Pooja Chauhan, Contractor MC Rohru.
Measurement Books	MB No-03, Page No.21 to 22
Period of completion	3 Months (Reckoned from the 15 th day of issuing the award letter) Con. 6
Running Bill	1 st and Final Bill, Vr No. 20 Dt. 13.05.2024.

मद संख्या 1 i.e. Cutting in earth work and disposal of same etc. के अन्तर्गत निष्पादित आर.डी. का पाथ एवं एज वाल (Path and Edge Wall) के लिये दोहरा निष्पादन करने के कारण सविदाकार को ₹0.18 लाख का अधिक भुगतान करना।

अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या: 1 i.e. Cutting in earth work and disposal of same upto a lead 20 mtrs etc. के अन्तर्गत माप पुस्तिका संख्या: 3 पृ०-21 पर अन्य प्रविष्टियों के अतिरिक्त आर.डी. 7.45 मीटर का निष्पादन पाथ (For Path) के लिये किया गया था। उक्त मद संख्या के सन्दर्भ में पाथ (For Path) के लिये ही मद संख्या: 2 P/L stone soling properly hand packed etc. with hard stone of approved quality (For path) तथा मद संख्या: 3 P/L in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering all work up to plinth level :CC 1:2:4 etc. grated stone aggregate 20 mm nominal size etc. के अन्तर्गत कार्य निष्पादित किया गया था परन्तु इसी आर.डी. 7.45 मीटर के लिये एज वाल (Edge Wall) हेतु अतिरिक्त मद संख्या 1 (E1) i.e. P/L in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering all work up to plinth level :CC 1:6:12 etc. grated stone aggregate 40 mm nominal size etc. तथा मद संख्या: 4 i.e. Random rubble masonry with hard stone in superstructure above plinth level in CM 1:6 (For Wall) के अन्तर्गत भी कार्य को निष्पादित किया गया था जोकि तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि एक ही आर.डी. पर पाथ (Path) एवं एज वाल (Edge Wall) के लिये कार्य को निष्पादित किया गया था तथा निष्पादित कार्य नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था क्योंकि एक ही आर.डी. के लिये पाथ (Path) अथवा एज वाल (Edge Wall) में से किसी एक के लिये ही कार्य को निष्पादित किया जाना अपेक्षित था तथा इस सम्बन्ध में माप पुस्तिका में भी कोई टिप्पणी/अभ्युक्ति नहीं की गई थी जिस कारण सविदाकार को निम्न विवरणानुसार किया गया ₹18,106.50 का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

Particular of executed items	Qty. executed as per MB MB -3-Page-21	Required Qty. to be executed as per Audit	Qty. excess executed ₹	Rate of Item ₹	Excess Amount Paid ₹
Item: 1) Cutting in earth work and disposal of same etc. MB -3, Page-21	For Path $\frac{1}{2}\{7.45 \times (1.00+0.95)/2 \times (0.60+0.40)/2\}=1.81\text{m}^3$	For Path $\frac{1}{2}\{7.45 \times (1.00+0.95)/2 \times (0.60+0.40)/2\}=1.81\text{m}^3$	0.00	0.00	0.00
Item :E1) P/L CC 1:6:12 etc., MB -3, P-22	For Edge Wall $7.45 \times 1.00 \times 0.15=1.11$	As per item No.1 the work was executed for path, hence double work was not justified.	1.11 m ³	2350.00 m ³	2608.50
Item: 2) P/L stone soling properly hand packed etc. MB -3, P-22	For Path $7.45 \times (1.00+0.95)/2 \times 0.15=1.08\text{m}^3$	For Path $7.45 \times (1.00+0.95)/2 \times 0.15=1.08\text{m}^3$	0.00	1000.00 m ³	0.00

Item :3) P/L CC 1:2:4 etc., MB -3, P-22	For Path $7.45 \times (1.00 + 0.95) / 2 \times 0.15 = 1.08 \text{ m}^3$	For Path $7.45 \times (1.00 + 0.95) / 2 \times 0.15 = 1.08 \text{ m}^3$	0.00	3500.00 m3	0.00
Item :4) R/R masonry with hard stone etc., MB-3, P-22 and 23. (Note: Due to numerous entries only erroneous entries have shown)	For Edge Wall $7.45 \times 1.00 \times (0.60 \times 0.70) / 2 = 4.84 \text{ m}^3$	As per item No.1 the work was excuted for path, hence double work was not justified.	4.84 m3	2700m3	13068.00
	For Steps $1.20 \times 1.00 \times 0.30 = 0.36 \text{ m}^3$ $0.90 \times 1.00 \times 0.30 = 0.27 \text{ m}^3$ $0.60 \times 1.00 \times 0.30 = 0.18 \text{ m}^3$ $0.30 \times 1.00 \times 0.30 = 0.09 \text{ m}^3$ Total=0.90 m3	No work was executed for these steps under any other items. Hence, the work for these steps was not justified.	0.90 m3	2700m3	2430.00
Total excess Payment				₹	₹18106.50

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्यवाई उपरान्त कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

- 21 **वीप होल्स (Weep Holes) की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को ₹3278 का अधिक भुगतान करना:-**

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अवधि 04/2023 से 03/2025 के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों में निष्पादित मद P/L in position CC 1:3:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size etc. के अन्तर्गत (Weep Holes) वीप होल (Providing weep holes in brick masonry/stone masonry/plain reinforced concrete abutment, wing wall, return wall with 100 dia PVC pipe etc.) के लिये भुगतान किया गया था परन्तु सम्बन्धित मद से नियमानुसार 100mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण संविदाकारों को ₹3,278.00/- का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

C/O protection wall for road in sidhraham road near house of Sh. Bishan Singh in Ward No. 4, Name of Cont. Naresh Bhranta, MB No. 03 Page 13-15, Award Letter No. UD-RHU-TEN-661-63 Dt. 20.10.2023 Vr.No. 20 Dt. 13.05.2024			
Item: 6, Providing weep holes in brick masonry/stone masonry/ plain reinforced concrete abutment, wing wall, return wall with 100 dia PVC pipe etc. (MB No. 03, Page - 14)	Deduction to be given	Item: 5) P/L in position CC 1:3:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size etc. (MB-3, Page-14)	Total Amount (₹)

Weep holes paid = 52 Nos	$52 \times 22/7 \times (0.05 \times 0.05) = 0.41 \text{ m}^3$	4900 m ³	2000.00
C/O R/Wall on path near the house of Sh. Hardev Sharma Ward No. 4, Name of Cont. Amol Chauhan, MB No. 02 Page 97 to 99, Award Letter No. UD-RHU-TEN-1237-39 Dt. 21.10.24., Vr.No. 19 Dt. 10.02.2025			
Item: 5. Providing weep holes in brick masonry/stone masonry/ plain reinforced concrete abutment, wing wall, return wall with 100 dia PVC pipe etc. (MB No. 02, Page - 98)	Deduction to be given	Item: 4) P/L in position CC 1:3:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size etc. (MB -2, Page-98)	Total Amount (₹)
Weep holes paid = 12 Nos	$12 \times 22/7 \times (0.05 \times 0.05) = 0.094 \text{ m}^3$	6800 m ³	639.00
C/O R/Wall on path near Sh. Bhardwaj House, Ward No. 4, Name of Cont. Amol Chauhan, MB No. 03 Page 69 to 71, Award Letter No. UD-RHU-TEN-1240-42 Dt. 21.10.24., Vr.No. 20 Dt. 10.02.2025			
Item: 5. Providing weep holes in brick masonry/stone masonry/ plain reinforced concrete abutment, wing wall, return wall with 100 dia PVC pipe etc. (MB No. 02, Page - 98)	Deduction to be given	Item: 4) P/L in position CC 1:3:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size etc. (MB -2, Page-69)	Total Amount (₹)
Weep holes paid = 12 Nos	$12 \times 22/7 \times (0.05 \times 0.05) = 0.094 \text{ m}^3$	6800 m ³	639.00
G/Total			₹3278.00

- अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अधिक/अनियमित भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित कर नगर परिषद निधि में राशि को जमा करवाया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।
- 22 सविदाकार द्वारा विविध निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त 668.87 MT सामग्री के सम्बन्ध में रॉयल्टी जमा करवाये जाने से सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख ('W' Or 'X' form) प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप संस्था स्तर पर रॉयल्टी ₹0.67 लाख की अनियमित कटौती करना तथा निर्माण कार्य बिलों ₹14.64 लाख का अनियमित भुगतान करना।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, (उद्योग) हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या: Ind-II(F)6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 तथा प्रधान सचिव, (उद्योग) हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या: No. Ind-II(F)6-14/2014, dated 13.03.2015 के अन्तर्गत अधिसूचित Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 के नियम 72, 73, 79

तथा 80 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर, ब्रिक्स इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जबकि माननीय उच्च न्यायालय हि0प्र0 द्वारा दायर सिविल रिट मिटीशन (Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in CWP NO. 868 of 2023 on dated 20-06-2023 has ordered to stay the Cabinet Notification dated 10-02-2022, whereby Rule 81-A has been inserted in the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of illegal Mining Ransportation and Storage) Rule, 2015) में दिये गये निर्णय के दृष्टिगत नियमानुसार डब्ल्यू/एक्स फॉर्म (Valid transit pass on Form-'W' or Supplementary Form-'X') की प्राप्ति के उपरान्त ही निर्माण कार्य बिलों की अदायगी की जानी अपेक्षित थी अन्यथा निर्माण कार्य बिलों की अदायगी को रोका जाना अपेक्षित था परन्तु नगर परिषद द्वारा नियमानुसार निर्माण कार्य बिलों ₹14,64,771.00 की अदायगी को लम्बित न करके डब्ल्यू/एक्स फॉर्म (Valid transit pass on Form-'W' or Supplementary Form-'X') को भुगतान बिलों के साथ प्रस्तुत न करने की एवज में संस्थास्तर पर ही रॉयल्टी ₹66,833.00 की कटौती की गई थी जोकि नियमों/माननीय उच्च न्यायालय हि0प्र0 के आदेशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Name of Work and Name of Contractor	Award Letter No. Date/ Vr No. Date	Item Consumed	Qty.	MB No. and Page No.	Amount of Royalty Deducted	Total Amount of Bill
Construction of path and providing Chakka tiles from Satya house to Shalona Temple Ward. No. 6, (Cont. Sh. Punit Tegta)	UD-RHU-TEN-593-95 Dt. 26.09.23 Vr. No. 28 Dt. 19.03.24	Sand Stone Aggregate	11.20 MT 2.56 MT 18.87 MT	MB- 03/ Page-12	1120.00 256.00 1887.00 Total=3263.00	115259.00
C/O protection wall for road in sidbrahan road near house of Sh. Bishan Singh in Ward. No. 4 (Cont. Sh. Naresh Bhranta)	UD-RHU-TEN-661-63 Dt. 20.10.2023 Vr. No. 20 Dt. 13.05.24	Sand Stone Aggregate	83.82 MT 23.48 MT 202.92 MT	MB- 03/ Page-15	8382.00 2348.00 20292.00 Total=31022.00	586436.00
Providing iron railing in Block near BDO Office Ward No. 6, (Cont. Sh. Punit Tegta)	UD-RHU-TEN-590-92 Dt. 26.09.2023 Vr. No. 28 Dt. 19.03.2024	Sand Aggregate	0.54 MT 1.33 MT	MB- 03/ Page-17	54.00 133.00 Total=187.00	158270.00
Construction of	UD-RHU-TEN-	Sand	23.65 MT	MB 02/	2365.00	235242.00

R/Wall on path near the house of Sh. Hardev Sharma Ward No. 4, (Cont. Amol Chauhan)	1237-39 Dt. 21.10.2024 Vr. No. 19 Dt. 10.02.2025	Stone Aggregate	4.84 MT 57.48 MT	Page- 99	484.00 5748.00 Total=8597.00	
Construction of R/Wall on path near Sh. Bhardwaj House Ward No. 4, (Cont. Amol Chauhan)	UD-RHU-TEN-1240-42 Dt. 21.10.2024 Vr. No. 20 Dt. 10.02.2025	Sand Stone Aggregate	22.96 MT 7.88 MT 55.78 MT	MB 03/ Page-70	2296.00 788.00 5578.00 Total=8662.00	230583.00
C/O Path and wall from Full's Singh house to Hukam Chand house w no-1, (Cont. Pooja Chauhan)	UD-RHU-TEN-426 Dt. 05.08.23 21.10.2024 Vr. No. 20 Dt. 13.05.2024	Sand Stone Aggregate	25.52 MT 94.71 MT 31.33 MT	MB 03/ Page-23	2552.00 9471.00 3133.00 Total=15102.00	138981.00
Total			668.87 MT		₹66833.00	₹1464771.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-139 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़ू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

23 नगर परिषद के वाहन एवं लॉग बुक में पाई गई अनियमितताएँ

23.1 नगर परिषद के डम्पर प्लेसर को 20.12.2021 के उपरान्त अर्थात् क्रय करने के लगभग 4 वर्ष 3 माह पश्चात् से ही नगर परिषद परिक्षेत्र में निष्क्रिय/अनुपयोगी रखने के कारण ₹11.38 लाख की वित्तीय हानि

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-108 व 131 दिनांक 31.07.2025 व 05.09.2025 के प्रत्युत्तर में यथा परिशिष्ट-"5" अनुसार प्रस्तुत सूचना के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार 02 सितम्बर 2015 में तीन वाहनों को क्रय किया गया था जिसमें दो ट्रैक्टर (HP-10A-7904 & HP-10A-7905) को क्रय मूल्य ₹6,25,000.00 व ₹7,25,000.00 तथा एक डम्पर प्लेसर (HP-10A-7903) को ₹11,38,968.00 में क्रय किया गया था। अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दो ट्रैक्टरों को तो अंकेक्षण अवधि तक डोर-दू-डोर गार्बेज क्लैक्शन के लिये उपयोग

किया गया था परन्तु वाहन संख्या: HP-10A-7903 की लॉग बुक के पृष्ठ-121 के अनुसार डम्पर प्लेसर को दिनांक 20.12.2021 के उपरान्त अर्थात् क्रय करने के लगभग 4 वर्ष 3 माह पश्चात् से ही नगर परिषद परिक्षेत्र में निष्क्रिय/अनुपयोगी रखा गया था जिस कारण नगर परिषद की लापरवाही के कारण डम्पर प्लेसर (HP-10A-7903) दिनांक 20.12.2021 के उपरान्त लगभग लगभग 5 वर्ष 9 माह से यथावत नगर परिषद परिक्षेत्र में अनुपयोगी/निष्क्रिय रखने के कारण डम्पर प्लेसर पूर्णतया निष्क्रिय हो चुका था। उक्त डम्पर प्लेसर को नगर परिषद द्वारा 02.09.2015 को ₹11,38,968.00 में क्रय किया गया था जिसका वर्तमान संभावित मूल्य लगभग ₹15,50,000.00 है, परन्तु संस्था द्वारा उसका उपयोग डोर-टू-डोर गार्बेज कलैक्शन के लिये न करके डोर-टू-डोर गार्बेज के प्राक्कलन के अनुसार (As per Estimate) दो अतिरिक्त वाहनों को प्रति माह ₹27000.00 प्रति वाहन की दर से आउटसोर्स किया गया था जिस कारण नगर परिषद द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: No. Fin-F-(A)-(11)-11/2004 दिनांक 07.09.2020 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 15 वर्ष से पूर्व ही डम्पर प्लेसर को लगभग 4 वर्ष 3 माह के उपरान्त से निष्क्रिय रखने के कारण एक ओर परिषद को वित्तीय हानि हुई थी वहीं दूसरी ओर यदि इस डम्पर प्लेसर को डोर-टू-डोर गार्बेज कलैक्शन के लिये उपयोग किया जाता तो डोर-टू-डोर गार्बेज कलैक्शन के एक अतिरिक्त वाहन प्रति माह ₹27000.00 (As per Estimate) प्रति वाहन को आउटसोर्स करने के कारण प्रतिवर्ष लगभग ₹324000.00 की वित्तीय हानि हो रही थी जोकि हि0प्र0 सरकार द्वारा वाहनों के Revised criteria/parameter(s) for condemnation of Government vehicles of all make(s)/kind(s) - Latest instruction thereof दिनांक 07.09.2020 ही उल्लंघना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त के सन्दर्भ में हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 2(28) में प्रावधित है कि 'goods' means all articles, material, commodities, livestock, furniture, fixtures, raw material, spares, instruments, machinery, equipments, industrial plant and I.T. Hardware, Software purchased or otherwise acquired for use of the Government. It also includes expendable or issuable articles in use or accumulated for specific purposes but excludes books, publications and periodicals for a library; तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 145(5) में निर्देशित किया गया है कि In case goods become unserviceable due to negligence, fraud or mischief on the part of the Government servant, responsibility for the same shall be fixed. परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा नियमानुसार कार्रवाई को अमल में नहीं लाया गया था और न ही इससे सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4254 दिनांक 29.09.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः लगभग चार वर्ष तीन माह अर्थात् 20.12.2021 के

उपरान्त डम्पर प्लेसर को अनुपयोगी/निष्क्रिय रखने के कारण एक ओर जहाँ परिषद को ₹11,38,968.00 की वित्तीय हानि हुई थी वहीं दूसरी ओर यदि डम्पर प्लेसर को डोर-टू-डोर गार्बेज क्लैक्शन के लिये उपयोग किया जाता तो डोर-टू-डोर गार्बेज क्लैक्शन के लिये एक अतिरिक्त वाहन प्रति माह ₹27,000.00 (As per Estimate) प्रति वाहन को आउटसोर्स करने के कारण परिषद को प्रतिवर्ष लगभग ₹3,24,000.00 की वित्तीय हानि का नियमानुसार तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये जिसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 145(5) के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उचित स्रोत से ₹11,38,968.00 की वसूली को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अमल में लाया जाये।

- 23.2 नगर परिषद के निष्क्रिय/अनुपयोगी डम्पर प्लेसर को 04.06.2015 से अर्थात् लगभग 10 से 11 वर्षों से यथावत नगर परिषद परिक्षेत्र में रखने तथा नियमानुसार यथासमय नीलाम न करने के कारण परिषद निधि को संभावित ₹1.50 लाख की वित्तीय हानि**

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अध्यायना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-108 दिनांक 31-07-2025 के सन्दर्भ में यथा परिशिष्ट-“5” अनुसार प्रस्तुत सूचना के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा डम्पर प्लेसर (HP-10-1952) को 04.06.2015 से उपयोग में नहीं लाया गया था तथा अंकेक्षण के अन्त तक इसे नगर परिषद परिक्षेत्र में निष्क्रिय/अनुपयोगी रखा गया था अर्थात् लगभग 11 वर्ष से यथावत नगर परिषद परिक्षेत्र में निष्क्रिय/अनुपयोगी रखा गया था। इस सन्दर्भ में अतिरिक्त सचिव (वित्त एवं व्यय), हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: Fin.-I-(C)-14-1/92- II दिनांक 20.08.2002 तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: No. Fin-F-(A)-(11)-11/2004 दिनांक 07.09.2020 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि क्रमशः 8 वर्ष एवं 15 वर्ष उपरान्त हि0प्र0 वित्तीय नियमावली के नियम 145 से 149 के अनुसार ऑक्शन/नीलाम किया जाना अपेक्षित था परन्तु नगर परिषद द्वारा डम्पर प्लेसर को 11 वर्षों से भी अधिक समय से अनुपयोगी/निष्क्रिय था। चुकी परिषद को वर्ष 2014-15 में पुराने ट्रैक्टर HP-10-9322 को नये ट्रैक्टर HP-10A-7904 के क्रय पर रिप्लेसमेंट मूल्य ₹1,50,000.00 प्राप्त हुआ था जिस कारण नगर परिषद को संभावित ₹1,50,000.00 की आय प्राप्त हो सकती थी परन्तु परिषद द्वारा यथासमय उचित पग न उठाये जाने के कारण परिषद निधि को सम्भावित ₹1,50,000.00 की वित्तीय हानि हुई थी जोकि हि0प्र0 सरकार द्वारा वाहनों के Revised criteria/parameter(s) for condemnation of Government vehicles of all make(s)/kind(s) - Latest instruction thereof दिनांक 07.09.2020 ही उल्लंघना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त के सन्दर्भ में हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 145(5) में यह भी निर्देशित किया गया है कि In case goods become unserviceable due to negligence, fraud or mischief on the part of the Government servant, responsibility for the same shall be fixed. परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा नियमानुसार कार्रवाई को अमल में नहीं लाया गया था और न ही इससे सम्बन्धित अभिलेख को

अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No	Name/ Type of vehicle	Make and Model	Amount/ Date of Purchase	Whether in running condition Or Unserviceable	Remarks
1	HP-10-1952	Dumper Placer (EICHER)	Not provided to audit	Unserviceable (Not in use Since 04-06-2015)	Unused since 04-06-2015, and parked in MC Area about from 10-11 years.
Note:- The exchange value of Old Tractor No. HP-10-9322 at the time purchase of new Tractor was Rs. 150000, which were adjusted/deducted from the present value of the tractor purchased on 02-09-2015. (The audit observation was also pointed out vide Para No. 39 of the audit report for the period 04-2012 to 03-2015. Hence the expected value of the tractor was Rs. 1,50,000.00.					

अंकेक्षण अधियाचना संख्या एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या नं 50/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः लगभग 10 वर्ष उपरान्त भी डम्पर प्लेसर को अनुपयोगी/निष्क्रिय रखने व हि0प्र0 वित्तीय नियमावली के नियम 145 से 149 के अनुसार डम्पर प्लेसर को ऑक्शन/नीलाम नहीं करने के कारण नगर परिषद निधि को ₹1,50,000.00 की वित्तीय हानि का नियमानुसार तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये जिसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 145(5) के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उचित स्रोत से ₹1,50,000.00 की वसूली को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

- 23.3 लॉग बुक (Log Book) के अनुसार नगर परिषद के दो ट्रैक्टर (Tractor) में से केवल एक का उपयोग करने के कारण अतिरिक्त वाहन को आउटसोर्स करने एवं नगर परिषद के दो घालकों में से एक के वेतन पर परिषद निधि से ₹16.02 लाख का अनियमित भुगतान करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-134 दिनांक 09-09-2025 के सन्दर्भ में यथा परिशिष्ट-"5" पर प्रस्तुत सूचनानुसार नगर परिषद के पास अपने दो ट्रैक्टर (HP-10A-7904 & HP-10A-7905) थे तथा लॉग बुक (Log Book) के अनुसार केवल एक ही ट्रैक्टर (Tractor) को डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन/सफाई व्यवस्था हेतु उपयोग किया गया था। लॉग बुक में ट्रैक्टर द्वारा तय की दूरी, ट्रैक्टर की रिडिंग, डिजल की खपत इत्यादि को भी नहीं दर्शाया गया था। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि ट्रैक्टर नम्बर HP-10A-7904 की लॉग बुक पृष्ठ-1 से 46 के अनुसार

ट्रेक्टर द्वारा माह अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान दिन में केवल दो ही बार डम्पिंग साईट के लिये यात्रा को दर्शाया गया था इसी प्रकार ट्रेक्टर नम्बर HP-10A-7905 की लॉग बुक पृष्ठ-1 से 48 के अनुसार ट्रेक्टर द्वारा माह जून 2023 से फरवरी 2024 के दौरान दिन में केवल दो ही बार डम्पिंग साईट के लिये यात्रा को दर्शाया गया था जिसकी संभावित दूरी नगर परिषद के कुल क्षेत्रफल 1.24 वर्ग कि०मी० के अनुसार लगभग 5 से 6 कि० मी० (Only two Journey about 6 to 8 Kms was performed in a day) थी तथा प्रत्येक ट्रेक्टर एक माह में मात्र लगभग 150 कि०मी० (Area of MC = 1.24 sq Km x 2, Distance of Single Journey x 2 Distance of 2nd journey x 30 day = 148.80 Kms) की यात्रा कर रहा था जबकि उक्त वाहन द्वारा कम से कम 5 से 6 बार डम्पिंग साईट हेतु कूड़े के निष्पादन के लिये यात्रा को किया जाना अपेक्षित था।

इसके अतिरिक्त ट्रेक्टर नम्बर HP-10A-7904 की माह अप्रैल 2024 से पूर्व की लॉग बुक को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था जिस कारण लॉग बुक (Log Book) की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी तथा ट्रेक्टर नम्बर HP-10A-7905 की लॉग बुक के पृ-1 से 48 के अनुसार ट्रेक्टर को माह फरवरी 2024 के पश्चात् उपयोग में ही नहीं लाया गया था अर्थात् माह मार्च 2024 से माह मार्च 2025 तक ट्रेक्टर को निष्क्रिय रखा गया था।

उक्त से स्पष्ट है कि नगर परिषद द्वारा ट्रेक्टर (HP-10A-7904 & HP-10A-7905) का पूर्ण उपयोग न करके डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन/सफाई व्यवस्था हेतु M/S Ved Mata Gaytri Jan Kalyan Samiti, Chirgaon तथा M/S R.B. World Prop. Jagmohan Bhaik Main Power Outsource Co. के माध्यम से अंकेक्षण अवधि के दौरान दो अतिरिक्त वाहनों की सेवाओं को प्रतिमाह ₹27,000 प्रति वाहन के आधार पर आउटसोर्स किया गया था जबकि नगर परिषद द्वारा लगभग के अपने एक ट्रेक्टर (Tractor) तथा एक चालक से इस सम्बन्ध में कोई काम नहीं लिया गया था जोकि संस्था की सदिग्ध एवं लचर कार्यप्रणाली को दर्शाता है तथा परिषद निधि से किये गये अनुचित व्यय को दर्शाता है जिससे यह स्पष्ट है कि यदि नगर परिषद द्वारा अपने दानों ट्रेक्टर (Tractor) तथा चालकों की सेवाओं का पूर्ण उपयोग किया जाता तो डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन/सफाई व्यवस्था हेतु दो वाहनों को आउटसोर्स की आवश्यकता नहीं होती तथा एक चालक एवं एक अतिरिक्त वाहन पर निम्न विवरणानुसार किये गये व्यय को कम किया जा सकता था तथा परिषद को ₹16,02,288.00 की वित्तीय हानि से बचाया जा सकता था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Financial Year	Approx. Undue Expenditure made on Outsourcing the services of a vehicle due to kept idle of a Tractor	Approx. Undue Expenditure made on Salary of a Regular Driver of MC, due to kept idle of a Tractor.	Total Undue Expenditure	Remarks
I	2023-24	27000x12=324000.00	39198x12=470376.00	794376.00	As the MC has its own two

2	2024-25	27000x12=324000.00	40326x12=483912.0	807912.00	Tractor and two regular driver and during the audit period only a tractor was drive. Hence, the expenditure on a salary of a regular driver and outsourcing the two additional vehicle was not justified.
Total				1602288.00	

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितताओं का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से वर्णित व्यय के नियमितकरण को सुनिश्चित किया जाये अन्यथा सम्बन्धित सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उचित स्रोत से ₹16,02,288.00 की वसूली को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

23.4 वाहन के ईंधन की औसत निर्धारित न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग के पत्र संख्या: फिन-A-सी(14)1/83 दिनांक 08.09.1987 के अनुसार हि0प्र0 के विभिन्न विभागों के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष अपने अधीन वाहनों की जाँच/परीक्षण लेकर ईंधन की औसत खपत/प्रति किलोमीटर का निर्धारण किया जायेगा तथा वाहन के चालक द्वारा निर्धारित औसत खपत/प्रति किलोमीटर को वर्ष के दौरान बनाये रखा जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के लिए परिषद के वाहनों/ट्रेक्टर (HP-10A-7904 & HP-10A-7905) के ईंधन की निर्धारित औसत खपत से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान वाहन के औसत खपत से अधिक व्यय की गणना/जाँच नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त अवधि 01.04.2023 से 31.03.2025 तक लॉग बुक को किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था और नही नियमानुसार लॉग बुकों में प्रविष्टियों को दर्ज किया गया था जिससे प्रतीत होता है कि संस्थास्तर पर लॉग बुक की उचित जाँच की कोई व्यवस्था नहीं थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की अनियमितता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 24 में भी वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में आपत्ति जताई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही को अमल में नहीं लाया गया था। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित

किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित वाहनों की औसत खपत/प्रति किलोमीटर से सम्बन्धित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं लॉग बुक को सत्यापित न करने, कटिंग/ओवर राईटिंग के उपयोग से नगर परिषद को हुई वित्तीय हानि की जाँच को सस्थास्तर पर सुनिश्चित करके किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में राशि की प्रतिपूर्ति कर कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

23.5 आउटसोर्स पर रखे गये वाहनों की लॉग बुक एवं सम्बन्धित अभिलेख का संरक्षण न करना :-

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2023-2024 से 2024-25 के दौरान सफाई व्यवस्था हेतु दो वाहनों को आउटसोर्स किया गया था परन्तु संस्थास्तर पर न तो वाहनों की लॉग बुक तथा न ही वाहनों के उपयोग करने की एवज में किये गये भुगतान के सम्बन्ध में प्रति दिन वाहन द्वारा किये गये कार्य के सम्बन्ध में कोई अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया जिस कारण संविदाकार को किये गये भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण अवधि के प्रयोग किये गये वाहनों का विवरण निम्न प्रकार से था।

Sr. No.	Name of Work/Name of Contractor	Period of Agreement/ Payment	No of Vehicle engaged	Monthly Amount as per Estimate	Approx. Total Amount of work executed
1	M/S Ved Mata Gaytri Jan Kalyan Samiti, Chirgaon Award letter No. Nil dated Nil (Outsourcing the services of Sanitation, Door to Door Garbage Collection)	01-06-2022 to 31-05-2023 (4 months agreement extended upto 30-09-2023 due to tender process). 16Month	1 Vehicle	27000/-	432000.00
2	M/S Ved Mata Gaytri Jan Kalyan Samiti, Chirgaon. Award Letter No. MC/Rohru/Door to Door/ 2023-617 Dt. 28-09-2023. (Outsourcing the services of Sanitation, Door to Door Garbage Collection)	01-10-2023 to 30-9-2024 One month contract extended upto 31-10-2024 due to tender process. 13 Month	1 Vehicle	27000/-	351000.00
3	M/S R.B. World Prop. Jagmohan Bhaik Main Power Outsource Co. EMM Villa Near Secretariat, Chhotta Shima-2. Award Letter No. MC/Works/ 2024/ 1298-1299 Dt. 30-10-2024. (Outsourcing the services of Sanitation, Door to Door Garbage Collection)	01-11-2024 to 31-10-2025 5 Months	2 Vehicle	54000/-	270000.00
G/Total					₹1053000.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहड़/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वाहनों की लॉग बुक व सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा संस्था स्तर पर उचित फ़डलाल उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23.6 ट्रेक्टर (HP-10A-7904 & HP-10A-7905) रिपेयर पर किये गये व्यय ₹0.32 लाख का औचित्य स्पष्ट न करना

नगर परिषद के दो ट्रेक्टरों (HP-10A-7904 & HP-10A-7905) की मुरम्मत से सम्बन्धित बिल/वॉचर (Vr. No. 24/11-03-2024, CBP-175, Bill No. 127 and 128 Dt. 26-02-2024, CBP-175) के अंकेक्षण में पाया गया कि चालक श्री कौशी राम तथा श्री अनूप कुमार द्वारा पत्र संख्या: 21.09.2023 के अन्तर्गत किये गये अनुरोध के दृष्टिगत नगर परिषद द्वारा निम्नविवरणानुसार 2 ट्रेक्टरों की पासिंग का कार्य किया गया था परन्तु अंकेक्षण में उक्त व्यय के सन्दर्भ में निम्न अनियमितताएँ पाई गई:-

1. व्यय वाउचर/बिल में M/S S.A. Motors, Shakti Nagar, Near Maruti Showroom Rohru, Shimla को ₹63,830 का भुगतान किया गया था परन्तु किस ट्रेक्टर की मुरम्मत/पासिंग के लिये कितना व्यय किया गया था इसका कोई भी स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था जबकि नियमानुसार प्रत्येक ट्रेक्टर की मुरम्मत/पासिंग के लिये किये गये व्यय का अलग-अलग विवरण दिया जाना अपेक्षित था।
2. ट्रेक्टर की मुरम्मत/पासिंग के लिये किये गये व्यय ₹63,830 की मुरम्मत/पासिंग रजिस्टर में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई थी।
3. ट्रेक्टर संख्या: HP-10A-7905 की लॉग बुक के पृष्ठ-48 के अनुसार दिनांक 29.02.2024 के उपरान्त 31.03.2025 तक उपयोग में ही नहीं लाया गया था। अतः ट्रेक्टर की मुरम्मत/पासिंग पर Bill No. 127 and 128 Dt. 26-02-2024 के अन्तर्गत किया गया प्रत्याशित व्यय ₹31,915 (₹63830/2=₹31915) परिषद निधि पर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता।

उक्त कारणों से नगर परिषद द्वारा ट्रेक्टर संख्या: HP-10A-7905 पर किया गया व्यय ₹31,915 न्यायोचित प्रतीत नहीं होता तथा संस्था द्वारा किये गये अनुचित व्यय को दर्शाता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से था।

Name of Suppliers	Vr. No./ Date	Bill No. /Date	Expenditure/ Item	Gross Amount (₹)	Expected unjustified Expenditure on Tractor HP- 10A-7905
M/S S.A. Motors, Shakti Nagar, Near Maruti Showroom Rohru, Shimla.	24/11-03- 2024, CBP-175	Bill No. 127 and 128 Dt. 26-02-2024	Passing of Tractor No. HP-10A-7904 and HP-10A-7905	63830	₹51915 (₹63830 Exp. On 2 tractor/2)

अंकेक्षण अध्यायना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या न0 40/अंकेक्षण/रोहर्/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित व्यय का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा परिषद निधि से किये गये अनुचित व्यय की वसूली को सम्बन्धित उचित स्रोत से सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विविध अनियमितताएं

- 24 स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किये बिना ₹1.16 लाख की रथाई व अस्थाई सामग्री का उपयोग करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा क्रय की गई ₹1,15,930.00 की सामग्री को स्टॉक में दर्ज किये बिना ही उपयोग किया गया था जोकि हि0 प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 135 के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

S. N.	Name of Suppliers	Vr. No./ Date	Bill No. /Date	Expenditure/ Item	Gross Amount (₹)	Remarks
1	Chauhan Electronic and electrical store, Near UCO bank, Rohru.	21/ 16- 01-2024	58/ 15-11- 2023 & 67/9- 12-2023	Roll wire 6mm and PVC Pipe ½ inch	5200	Not entered in stock register.
2	Chauhan Electronic and electrical store, Near UCO bank, Rohru.	25/ 11- 06-2024	136/ 18-05- 2024	Roll wire 6mm and 1.5 mm and tape roll.	18600	Not entered in stock register.
3	Chauhan Electronic and electrical store, Near UCO bank, Rohru.	25/ 11- 06-2024	149/ 18-05- 2024	Roll wire 6mm.	19800	Not entered in stock register.
4	Chauhan Electronic and electrical store, Near UCO bank, Rohru.	16/ 03- 03-2025	280/ 4-02- 2025	Roll wire 6mm.	2000	Not entered in stock register.
5	Chauhan Electronic and	16/ 03-	277/ 4-02-	Roll wire 6mm.	2000	Not entered in stock

	electrical store, Near UCO bank, Rohru.	03-2025	2025			register.
6	Chauhan Electronic and electrical store, Near UCO bank, Rohru.	17/03-03-2025	205/19-01-2025	Roll wire 6mm.	2000	Not entered in stock register.
7	Chauhan Electronic and electrical store, Near UCO bank, Rohru.	17/03-03-2025	227/27-01-2025	Roll wire 10mm.	2500	Not entered in stock register.
8	S.A. Motors, Shahti Nagar Near Maruti Showroom Rohru, Dhimilla.	24/11-03-2024	127 and 128 Dt. 26-02-2024	Passing of Tractor No. HP-10A-7904 and HP-10A-7905	63830	Not entered in Vehicle Maintenance/stock register.
Total					₹115930.00	

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न० प०/अंकेक्षण/रोहड़ू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित प्रविष्टियों को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके सक्षम अधिकारी के सत्यापन उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

25 नगर परिषद कर्मचारियों की उपस्थिति (Biometric Attendance /related record) को Biometric Attendance के आधार पर सुनिश्चित न करना

हि० प्र० सरकार कार्यालय निर्देशिका/नियम पुस्तिका (तीसरा संस्करण) 2011 (Government of Himachal Pradesh Office Manual, Third Edition April 2011) के अध्याय 8 में निर्देशित किया गया है कि-8.6.2 Biometric Attendance:- Biometric Attendance Guidelines on account of introduction of attendance of the Officers/officials on the Biometric machines in the H.P. Secretariat have been issued by Department of Personnel Secretariat Administration Services-I, No. Per (SAS-I) A (5)-9/2010 Date 26.05.2010, Marking of attendance in the Biometric machines which have been installed in the H.P. Secretariat is compulsory for all the officers/officials. It is the policy of the State Government to install biometric attendance system in all the Directorates, Collectorates, Regional and Zonal offices and other large office/ organizations in a time bound manner.

इसके अतिरिक्त Secretary (AR) to the Govt. of H.P. के पत्र संख्या No. Per(AR)A(3)-1/2023 दिनांक 07.02.2023 के अन्तर्गत भी माननीय उच्च न्यायालय हि०प्र० द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। (Hon'ble High Court of H.P. in Ex. Pet. No. 41/2022 titled Rajneesh Paul versus State of H.P on 15-11-2022, the operative part of said order is as under):-

'Therefore, the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh is directed to issue necessary directions to all the departments, Boards & Corporations of the State Government that henceforth, attendance of all the officers/ officials, employed therein by way of biometrics is made operational.

परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि संस्थास्तर पर Biometric Attendance के आधार पर नगर परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति को दर्ज नहीं किया गया था जिससे कर्मचारियों को प्रदत्त वेतन की सत्यापना/पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः Biometric Attendance में उपस्थिति (Attendance) दर्ज न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वर्णित अनियमितता के लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये नियमानुसार कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा अनियमितताओं के निराकरण हेतु Biometric Attendance में उपस्थिति को दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि हि0प्र0 सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित हो सके।

26 नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) का संधारण न करना

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-108 व 134 दिनांक 31-07-2025 तथा 09.09.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टर के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) का संधारण नियमानुसार नहीं किया गया था जिस कारण किसी भी मद के प्रारम्भिक शेष, क्रय की गई मात्रा, मूल्य, जारी की गई मात्रा, प्राप्त कर्ता का नाम व जारी की गई मात्रा तथा अन्त शेष की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर को किसी भी अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जोकि हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 135 से 138 की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है, जबकि नियमानुसार निम्न विवरणानुसार स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव/संधारण किया जाना अपेक्षित था:-

1	2	3	4	5
Opening Balance of Article/Item	Date of receipt of Article/Item	Bill No./Vr. No. and Date	No. of Article received.	Amount in Rs.
6	7	8	9	10
Signature of the custodian of Stock	Total of Column No. 1 and 4	No. of Article Issued.	Date of issue of Stock/ Article.	Closing Balace of Stock/Article

11	12			
Signature of the official to whom issued.	Signature of the officer attesting the entry made in the Stock Register			

उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-141 दिनांक 29.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 50/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच उपरान्त समस्त रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में निम्न प्रपत्र अनुसार दर्ज करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाई को सुनिश्चित किया जाये व कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

27 नियमानुसार रसीद बुक्स रजिस्टर (Receipt Book Register) का संधारण न करना

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-108 व 134 दिनांक 31-07-2025 तथा 09.09.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत रसीद स्टॉक रजिस्टर के अंकेक्षण में पाया गया कि रसीद बुक रजिस्टर (Receipt Book Register) का संधारण नियमानुसार नहीं किया गया था जिस कारण रसीद बुक के प्रारम्भिक शेष, क्रय/मुद्रित की गई कुल रसीदों की मात्रा, मूल्य, जारी की गई मात्रा, प्राप्त कर्ता का नाम व जारी की गई मात्रा तथा अन्तशेष की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त रसीद बुक रजिस्टर को किसी भी अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जोकि हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 3(7)(बी) की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में तथा ऐसे में किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है, जबकि नियमानुसार निम्न विवरणानुसार रसीद बुक रजिस्टर का रख-रखाव/संधारण किया जाना अपेक्षित था:-

1	2	3	4	5
Opening Balance of Receipt Book	Date of receipt of Receipt Books	Bill/Vr. No. and Date	Amount in Rs.	No. of Receipt Books received
6	7	8	9	10
Sr.No. of the Receipt Books	Signature of the custodian of Receipt Book	Total of Column No. 1 and 5	No. of Issue of Receipt Books for use and date	Sr. No. of the Receipt Book issued for use.
11	12	13	14	15

Closing Balace of Receipt Book	Signature of the official to whom issued,	Date of return of Receipt Books after use	Period during which the receipt book has been used	Signature of the officer attesting the entry made in the Stock Register
--------------------------------	---	---	--	---

उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में परिषद द्वारा पत्र संख्या: न० ५०/अंकेक्षण/ रोहडू/ 2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः सुझाव दिया जाता है कि संस्थास्तर पर आन्तरिक जाँच उपरान्त समस्त रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में निम्न प्रपत्र अनुसार दर्ज करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

28 नियमानुसार विहित रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख-रखाव न करना

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-108 व 134 दिनांक 31-07-2025 तथा 09.09.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचनाओं/अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा नियमानुसार विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेख का उचित रख-रखाव नहीं किया गया था जबकि हि०प्र० सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं कार्यालय निर्देशिका/नियम पुस्तिका (तीसरा संस्करण) 2011 (Government of Himachal Pradesh Office Manual, Third Edition April 2011) अध्याय 13 के पैरा 13.1 में 13.1.1 से 13.1.20 के प्रावधानानुसार विविध रजिस्ट्रों का अनुसरक्षण/संभारण किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुसरक्षण नहीं किया गया था, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

- अनुदान रख-रखाव रजिस्टर (Grant in aid register)
- प्रतिभूति जमा रजिस्टर
- कॉन्ट्रैक्टर लैजर/निर्माण कार्य रजिस्टर
- सामान्य भविष्य निधि/एन.पी.एस./अंशदाई पेंशन योजना की रोकड़ बही व खाताबहियाँ
- बिजली उपकर मांग व संग्रहण रजिस्टर
- बिजली/पानी/टेलीफोन धैक रजिस्टर
- बजट रजिस्टर
- स्टॉक जिस्टर
- नॉन आफिशियल सदस्यों का वेतन रजिस्टर

X. चल/अचल (Movable/Immovable property register) सम्पत्ति रजिस्टर

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि संस्था स्तर पर अपेक्षित अभिलेखों/रजिस्टर का नियमानुसार संधारण करके कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि अबिलम्ब अपेक्षित अभिलेख/रजिस्टर का नियमानुसार रख-रखाव व अद्यतन सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

29 स्टोर/स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना

हि0प्र0 नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 व 141 प्रावधित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगर पंचायत या अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी स्टोर में पड़ी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन करेंगे तथा इसका सम्बन्धित रजिस्टर/अभिलेख के शेष से करेंगे और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाये जाने अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के अन्त तक ऐसी कोई भी कार्यवाई अमल में नहीं लाई गई थी, जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट-2025-140 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या: न0 प0/अंकेक्षण/रोहडू/2025-4300 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाई उपरान्त कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उक्त अनियमितता का संज्ञान लेते हुए स्टोर/स्टॉक का नियमानुसार प्रति वर्ष भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक में किसी प्रकार की दुर्विनियोजन/Pilferage की सम्भावना को नकारा जा सके।

- 30 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।
- 31 निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

7579-7582- 16 DEC 2025

o/c

(रविन्द्र कवर)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009.
दूरभाष -0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)73/78 खण्ड-6 दिनोंक: शिमला-171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या: 1.2 में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप-सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।
- पंजीकृत : 3 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहडू, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

o/c

(रविन्द्र कवर)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009.



परिशिष्ट- "1", पैरा संख्या-1 (1.3) में सन्दर्भित

अंकेक्षण के दौरान पैरों के सटिप्पण उत्तर पर अपेक्षित कार्रवाई/पैरों के समायोजन उपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी-

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1978 से 3/1981

1	पैरा 2 (बी)	अनिर्णीत	
2	पैरा 11 (ए)	अनिर्णीत	
3	पैरा 11 (बी)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1981 से 3/1982

1	पैरा 3 (डी)	अनिर्णीत	
2	पैरा 6 (ए)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6 (बी)	अनिर्णीत	
4	पैरा 6 (सी)	अनिर्णीत	
5	पैरा 9	अनिर्णीत	
6	पैरा 14	अनिर्णीत	
7	पैरा 15	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1992

1	पैरा 7 (क)	अनिर्णीत	
2	पैरा 8	अनिर्णीत	
3	पैरा 9	अनिर्णीत	
4	पैरा 10 (क से ड)	अनिर्णीत	

5	પૈરા 11 (ક)	અનિર્ણીત	
6	પૈરા 11 (ઘ)	અનિર્ણીત	
7	પૈરા 11 (ઘ)	અનિર્ણીત	
8	પૈરા 12 (ઘ)	અનિર્ણીત	
9	પૈરા 12 (ઙ)	અનિર્ણીત	
10	પૈરા 12 (ઙ) (૧)	અનિર્ણીત	
11	પૈરા 13	અનિર્ણીત	
12	પૈરા 14	અનિર્ણીત	
13	પૈરા 15 (ક)	અનિર્ણીત	
14	પૈરા 15 (ક)	અનિર્ણીત	
15	પૈરા 16	અનિર્ણીત	
16	પૈરા 17 (ક)	અનિર્ણીત	
17	પૈરા 17 (ક)	અનિર્ણીત	
18	પૈરા 21	અનિર્ણીત	
19	પૈરા 22	અનિર્ણીત	
20	પૈરા 23 (ક)	અનિર્ણીત	
21	પૈરા 23 (ક)	અનિર્ણીત	
22	પૈરા 26	અનિર્ણીત	

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1996

1	पैरा 10 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 10 (छ)	अनिर्णीत	
3	पैरा 10 (ठ)	अनिर्णीत	
4	पैरा 10 (ड)	अनिर्णीत	
5	पैरा 10 (त)	अनिर्णीत	
6	पैरा 10 (थ)	अनिर्णीत	
7	पैरा 10 (फ)	अनिर्णीत	
8	पैरा 10 (ब)	अनिर्णीत	
9	पैरा 10 (भ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 13 (ix)	अनिर्णीत	

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2007

1	पैरा 5 (2)	अनिर्णीत	
2	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत	
4	पैरा 6 (4)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6 (5)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6 (7)	अनिर्णीत	
7	पैरा 6 (16)	अनिर्णीत	
8	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत	

9	पैरा 7 (3)	अनिर्णीत	
10	पैरा 7 (5) (1)	अनिर्णीत	
11	पैरा 7 (5) (2)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
12	पैरा 7 (5) (3)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
13	पैरा 7 (5) (4)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
14	पैरा 7 (5) (6)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
15	पैरा 7 (6)	अनिर्णीत	
16	पैरा 7 (9) (1)	अनिर्णीत	
17	पैरा 7 (9) (2)	अनिर्णीत	
18	पैरा 7 (10) (1)	अनिर्णीत	
19	पैरा 7 (10)(2)	अनिर्णीत	
20	पैरा 7 (10) (3)	अनिर्णीत	
21	पैरा 7 (11)	अनिर्णीत	
22	पैरा 7 (12)	अनिर्णीत	
23	पैरा 7 (13)	अनिर्णीत	
24	पैरा 7 (14)	अनिर्णीत	
25	पैरा 7 (15)	अनिर्णीत	
26	पैरा 7 (16)	अनिर्णीत	
27	पैरा 8 (3)	अनिर्णीत	
28	पैरा 9	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा 12	अनिर्णीत	
2	पैरा 14	अनिर्णीत	
3	पैरा 15	अनिर्णीत	
4	पैरा 16	अनिर्णीत	
5	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत	
6	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा 17 (ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा 18 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा 18 (ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा 18 (घ)	अनिर्णीत	
12	पैरा 20	अनिर्णीत	
13	पैरा 22 (ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा 33	अनिर्णीत	
15	पैरा 34	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत	

3	पैरा 16	निर्णीत	मापु पुस्तिका संख्या: 15 पृ०-90 में आवश्यक प्रविष्टियों के दर्ज किये जाने के दृष्टिगत
4	पैरा 17	अनिर्णीत	
5	पैरा 20	अनिर्णीत	

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2015

1	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 8 (ग) (i)	अनिर्णीत	
3	पैरा 8 (ग) (ii)	अनिर्णीत	
4	पैरा 8 (ग) (iii)	अनिर्णीत	
5	पैरा 8 (घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा 13	अनिर्णीत	
7	पैरा 15	अनिर्णीत	
8	पैरा 16	अनिर्णीत	
9	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत	
12	पैरा 19	अनिर्णीत	
13	पैरा 20	अनिर्णीत	
14	पैरा 21	अनिर्णीत	
15	पैरा 22 (क)	अनिर्णीत	

16	પૈરા 22 (ક)	અનિર્ણીત	
17	પૈરા 23	અનિર્ણીત	
18	પૈરા 24	અનિર્ણીત	
19	પૈરા 25	અનિર્ણીત	
20	પૈરા 26	અનિર્ણીત	
21	પૈરા 27	અનિર્ણીત	
22	પૈરા 28	અનિર્ણીત	
23	પૈરા 29	અનિર્ણીત	
24	પૈરા 33	અનિર્ણીત	
25	પૈરા 38 (ક)	અનિર્ણીત	
26	પૈરા 39 (ક)	અનિર્ણીત	
27	પૈરા 39 (ક)	અનિર્ણીત	
28	પૈરા 39 (ગ)	અનિર્ણીત	
29	પૈરા 39 (ઘ)	અનિર્ણીત	
30	પૈરા 39 (ઙ)	અનિર્ણીત	
31	પૈરા 41	અનિર્ણીત	
32	પૈરા 41 (ક)	અનિર્ણીત	
33	પૈરા 41 (ક)	અનિર્ણીત	
34	પૈરા 41 (ગ)	અનિર્ણીત	
35	પૈરા 41 (ઘ)	અનિર્ણીત	

36	पैरा 41 (ड)	अनिर्णीत	
37	पैरा 41 (घ)	अनिर्णीत	
38	पैरा 42	अनिर्णीत	
39	पैरा 43 (ख)	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2017

1	पैरा 5 (1)	अनिर्णीत	
2	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा 10 (1)	अनिर्णीत	
4	पैरा 14 (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा 14 (2)	अनिर्णीत	
6	पैरा 14 (3)	अनिर्णीत	
7	पैरा 14(6)	अनिर्णीत	
8	पैरा 14(7)	अनिर्णीत	
9	पैरा 14(8)	अनिर्णीत	
10	पैरा 14(9)	अनिर्णीत	
11	पैरा 14(10)	अनिर्णीत	
12	पैरा 14(11)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टीकरण के दृष्टिगत
13	पैरा 14 (12)	अनिर्णीत	

(व) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019

1	पैरा 14 (क)(i)	अनिर्णीत	
2	पैरा 14 (क)(ii)	अनिर्णीत	
3	पैरा 14 (क)(iii)	अनिर्णीत	
4	पैरा 14 (क)(iv)	अनिर्णीत	
5	पैरा 14(क)(v)	अनिर्णीत	
6	पैरा 14 (vi)	अनिर्णीत	
7	पैरा 14 (च)	अनिर्णीत	
8	पैरा 14 (छ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 14 (ज)	अनिर्णीत	
10	पैरा 14 (झ)	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021

1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क अवधि 04/2019 से 03/2023 ₹47,400 तथा ₹48,000 को ड्राफ्ट संख्या: 291025 दिनांक 12.06.2024 द्वारा प्रेषित किये जाने के दृष्टिगत
2	पैरा 6.2	अनिर्णीत	
3	पैरा 8.1	अनिर्णीत	
4	पैरा 8.2	अनिर्णीत	
5	पैरा 8.4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
6	पैरा 9.3	अनिर्णीत	

7	पैरा 9.4	अनिर्णीत	
8	पैरा 12.1	अनिर्णीत	
9	पैरा 12.2	निर्णीत	यात्रा भता दाया बिल के अधिक भुगतान ₹16,000 की वसूली रसीद संख्या 189/18889 दिनांक 15.02.2025 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत
10	पैरा 12.3	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण एवं की गई कार्रवाई के दृष्टिगत
11	पैरा 13.1	अनिर्णीत	
12	पैरा 13.2	अनिर्णीत	
13	पैरा 13.5	अनिर्णीत	
14	पैरा 13.8	अनिर्णीत	
15	पैरा 13.9	अनिर्णीत	
16	पैरा 13.10	अनिर्णीत	

(ठ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2023

क्र. सं.	पैरा संख्या:	पैरे की स्थिति	विवरण
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क अवधि 04/2019 से 03/2023 ₹47,400 तथा ₹48,000 को झापट संख्या: 291025 दिनांक 12.06.2024 द्वारा प्रेषित किये जाने के दृष्टिगत
2	पैरा 4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
3	पैरा 5(क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
4	पैरा 5(ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
5	पैरा-8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के

			दृष्टिगत
6	पैरा 7(क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
7	पैरा 7(ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने व प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
8	पैरा 7(ग)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
9	पैरा 8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
10	पैरा 9	अनिर्णीत	
11	पैरा 10	निर्णीत	स्वतः निर्णीत
12	पैरा 11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने व प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
13	पैरा 12(क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
14	पैरा 12(ख)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण एवं की गई कार्रवाई के दृष्टिगत
15	पैरा 12(ग)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
16	पैरा 13(क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
17	पैरा 13(ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
18	पैरा 13(ग)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
19	पैरा 13(घ)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण एवं की गई कार्रवाई के दृष्टिगत
20	पैरा 13(ङ)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
21	पैरा 13 (घ)		
22	पैरा 14(क से घ)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत

23	पैरा 15	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
24	पैरा 16	अनिर्णीत	
25	पैरा 17	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
26	पैरा 18 (क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने व प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
27	पैरा 18 (ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
28	पैरा 19 (क)	अनिर्णीत	
29	पैरा 19 (ख)	अनिर्णीत	
30	पैरा 20 (क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
31	पैरा 20 (ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
32	पैरा 20 (ग)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
33	पैरा 20 (घ)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण एवं की गई कार्रवाई के दृष्टिगत
34	पैरा 21	निर्णीत	आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के दृष्टिगत
35	पैरा 22 (क)	अनिर्णीत	
36	पैरा 22 (ख)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
37	पैरा 22 (ग)	अनिर्णीत	
38	पैरा 22 (घ)	निर्णीत	विकित्या व्यय प्रतिपूर्ति के अधिक भुगतान ₹3,510 की वसूली रसीद संख्या: 189/18805 दिनांक 20.01.2025 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत
39	पैरा 22 (ङ)	निर्णीत	यात्रा भता दावा बिल के अधिक भुगतान ₹2642 की वसूली रसीद संख्या: 189/18806 दिनांक 20.01.2025 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत

40	पैरा 22 (घ)	निर्णीत	बैंक स्टेटमेंट के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी रोहडू को NEFT द्वारा हस्तांतरित ₹1,75,000 की स्वतः पुष्टि के दृष्टिगत
41	पैरा 22 (छ)	निर्णीत	सफाई संविदाकार के बिल से सितम्बर 2024 तक कम कौटी गई आयकर ₹1,66,847 की वसूली बाउचर संख्या: 19, 22, 24 दिनोंक 08.08.2024, 09.09.2024 व 18.10.2024 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत
42	पैरा 22 (ज)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण एवं की गई कार्रवाई के दृष्टिगत
43	पैरा 22 (झ)		
44	पैरा 23.1 से 23.8	अनिर्णीत	
45	पैरा 23.9	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण एवं की गई कार्रवाई के दृष्टिगत
46	पैरा 23.10	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण एवं की गई कार्रवाई के दृष्टिगत
47	पैरा 23.11	निर्णीत	नगर परिषद द्वारा विभागीय स्तर पर कार्य को निष्पादित करने एवं माननीय उच्च न्यायसलय हि0प्र0 द्वारा PW No. 1805 of 2020 दिनोंक 10.08.2020 के अन्तर्गत जनहित में कार्य निष्पादित किये जाने के दृष्टिगत
48	पैरा 23.12	निर्णीत	निर्माण कार्य की अपेक्षित प्रविष्टियों को माप पुस्तिका संख्या 002 पृ-50 में दर्ज कर दिये जाने के दृष्टिगत
49	पैरा 23.13	निर्णीत	मुख्य अभियन्ता, निर्माण विभाग हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: PW/CTR32-20/-Genl.-1. Inst. /2018-20754-853 दिनोंक 01.11.2018 के अन्तर्गत 2.50 लाख तक की निविदाओं पर वस्तु एवं सेवा कर की कटौती देय नहीं होने के दृष्टिगत
50	पैरा 23.14	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण एवं की गई कार्रवाई के दृष्टिगत
51	पैरा 23.15	निर्णीत	कम कटौती की गई आयकर ₹2,963 की वसूली रसीद संख्या 197 / 19634 दिनोंक 30.09.2025 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत
52	पैरा 23.16	निर्णीत	कम कटौती की गई आयकर ₹707 की वसूली रसीद संख्या: 197 / 19635 दिनोंक 30.09.2025 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत
53	पैरा 23.17	निर्णीत	वर्तमान अकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत

54	पैरा 24	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
55	पैरा 25	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
56	पैरा 26	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
57	पैरा 27	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
58	पैरा 28 (1 से 3)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत

दिनांक 31.03.2025 को अनिर्णीत पैरों का सार

दिनांक 01.04.2023 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	222
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	26
कुल पैरे	248
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किये गये पैरे	58
दिनांक 31.3.2025 को अनिर्णीत पैरों का अन्त शेष	190

परिशिष्ट : २, पैरा संख्या: ५, ५.१ में संश्लिष्ट

Municipal Council, Rohru
Balance Sheet of Municipal Council as on 31st March 2025

Description of Items	Schedule No.	2024-25 Amount (Rs.)	2023-24 Amount (Rs.)
LIABILITIES			
Reserve & Surplus	B-1	85,760,319.01	71,845,040.01
Municipal (General) Fund	B-2	7,751,940.00	7,753,614.00
earmarked Funds	B-3		
Reserves		84,502,319.01	79,598,654.01
Total Reserves & Surplus	B-4		
Grants, Contributions for specific purposes			
Loans			
Secured Loans	B-5		
Unsecured Loans	B-6		
Total Loans			
Current Liabilities and Provisions		673,674.00	619,000.00
Deposits Received	B-7		
Deposit works	B-8		
Other Liabilities (Sundry Creditors)	B-9	189,117.00	170,308.00
Provisions	B-10		
Total Current Liabilities and Provisions		693,657.00	619,000.00
TOTAL LIABILITIES		95,365,110.01	80,297,962.01
ASSETS			
Fixed Assets	B-11	272,882.00	272,882.00
Capital Work-in Progress		594,397.00	
Total Fixed Assets		867,279.00	272,882.00
Investments			
Investment - General Fund	B-12	31,102,908.00	29,675,593.00
Investments - Other Funds	B-13		
Total Investments		31,102,908.00	29,675,593.00
Current Assets, Loans and Advances			
Stock in hand (Inventories)	B-14		
Sundry Debtors (Receivables)			
Unsum amount outstanding	B-15		
Less: Accumulated provision against net and doubtful Receivables			
Net amount outstanding			
Prepaid Expenses	B-16		
Cash and Bank balances	B-17	63,661,808.01	30,349,487.01
Loans, advances and deposits	B-18		
Less: Accumulated provision against loans			
Net Amount outstanding		63,661,808.01	30,349,487.01
Total Current Assets, Loans & Advances			
Other Assets	B-19		
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)	B-20		
TOTAL ASSETS		95,365,110.01	80,297,962.01

Subject to our audit of even date:

For Ashish Ghatla & Associates
Chartered Accountants

CA Ashish Ghatla
(Proprietor)
Membership No.: 554769
Firm Regd. No.: 036450N
Place: Theog
Date: 26/08/2025
UDIN: 255547693MXPZR7295

For Executive Officer

Municipal Council, Rohru

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Municipal Council, Rohru
Income & Expenditure Account for the year ended 31.03.2025

No. Item/ Head of Account	Schedule No.	2024-25	2023-24
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
INCOME			
Tax Revenue	I-1	3,058,658.00	3,931,614.00
Assigned Revenues & Compensation	I-2		
Rental Income from Municipal Properties	I-3	4,454,675.00	2,935,413.00
Fees & other Charges	I-4	2,009,893.00	1,741,513.00
Sale & Hire Charges	I-5		
Revenue Grants, Contributions & Subsidies	I-6	25,751,086.00	29,269,898.00
Income from Investments	I-7	1,024,343.00	746,840.00
Interest Earned	I-8	2,542,167.00	2,152,842.00
Other Income	I-9	213,078.00	180,421.00
Total - INCOME		39,053,910.00	40,958,541.00
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	I-10	12,886,225.00	11,373,187.00
Administrative Expenses	I-11	2,875,352.00	1,595,356.00
Operations & Maintenance	I-12	9,515,561.00	8,097,020.00
Interest & Finance Expenses	I-13		
Programme Expenses	I-14		
Revenue Grants, Contributions & subsidies	I-15		
Provisions & Write off	I-16	140,176.00	180,885.00
Miscellaneous Expenses	I-17	57,793.00	81,131.00
Depreciation		25,475,127.00	21,267,577.00
Total - EXPENDITURE		13,578,783.00	19,690,964.00
Gross surplus/ (deficit) of income over expenditure before Prior Period items			
Add: Prior period items (Net)	I-18	13,578,783.00	19,690,964.00
Gross surplus/ (deficit) of income over expenditure after Prior Period items			
Less: Transfer to Reserve Funds		13,578,783.00	19,690,964.00
Net balance being surplus/ deficit carried over to Municipal Fund			

Subject to our audit of even date

For Ashish Ghalta & Associates
Chartered Accountants

CA Ashish Ghalta
(Proprietor)
Membership No. - 554769
Firm Regd. No. 036450N
Place: Thana
Date: 26/08/2025
UDIN: 25554765BM KP2R7295

For Executive Officer

Municipal Council, Rohru


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Municipal Council, Rohru
Cash Flow Statement as on 31st March 2025

Particulars	Fig. in Rs. 31.03.2025	Fig. in Rs. 31.03.2025	Fig. in Rs. 31.03.2024	Fig. in Rs. 31.03.2024
Cash flow from Operating Activities				
Surplus As Per Income & Expenditure A/c	13,578,783.00		19,690,964.00	
Add: Non- Cash Expenses				
Depreciation	57,793.00		81,131.00	
	13,636,576.00		19,772,095.00	
Less: Non-Operative Income				
Interest Received	3,566,510.00		2,899,682.00	
Revenue Grants Received	25,751,096.00		29,269,898.00	
Cash Flow before Working Capital Changes	(15,681,030.00)		(12,397,485.00)	
Working Capital Adjustments				
Add: Net Increase in Current Liabilities	163,483.00		679,308.00	
Less: Net Decrease in Earmarked Funds	(1,674.00)		833,593.00	
NET WORKING CAPITAL CHANGES	161,809.00		1,512,901.00	
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES(A)		(15,519,221.00)		(10,884,584.00)
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES(B)		3,187,202.00		2,809,992.00
Purchase of Fixed Assets	(379,308.00)		-89,690.00	
Interest Received	3,566,510.00		2,899,682.00	
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)		25,751,096.00		29,269,898.00
Grants Received	25,751,096.00		29,269,898.00	
NET SURPLUS/(DEFICIT): D=A+B+C		13,419,077.00		21,195,306.00
Opening cash & Cash Equivalent 1st April - E		80,025,080.01		58,829,774.01
Closing Cash & Cash Equivalent - D+E		94,770,713.01		80,025,080.01

Subject to our audit of even date

For Ashish Ghalla & Associates
Chartered Accountant

For Executive Officer

CA Ashish Ghalla
(Proprietor)
Membership No. 554769
Firm Regd. No. 036430N
UDIN:25534769BMKPZR7295
Date: 26/08/2025
Place: Theog

Municipal Council, Rohru

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

The various schedules to the Balance Sheet have been provided below:

Schedule B-1: Municipal (General) Fund

Particulars	Opening balance as per the last account (Rs.)	Additions during the year (Rs.)	Total (Rs.)	Deductions during the year	Balance at the end of the current year (Rs.)
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Municipal Fund	71,843,340.01	1,326,556.00	73,170,896.01		73,170,896.01
Excess of income & expenditure	13,578,783.00		13,578,783.00		13,578,783.00
Total Municipal Fund	85,422,123.01	1,326,556.00	86,750,379.01	-	86,750,379.01

Schedule B-2: Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund

Particulars	Gratuity Fund	Pension Fund	Provident fund	Water supply fund
(a) Opening Balance	3,245,280.00	4,308,534.00		-
(b) Additions to the Special fund				
(i) Transfer from Municipal Fund				-
(ii) Interest/Dividend earned on Special fund investments	389,850.00	297,165.00		-
(iii) Profit on disposal of Special fund investments				-
(iv) Appreciation in Value of Special fund investments				-
(v) Contribution to fund	345,448.00	829,116.00		-
(vi) Other addition				-
Total (b)	735,298.00	1,126,281.00		-
Total (a+b)	3,980,578.00	5,434,815.00		-
(c) Payments out of funds				
(i) Capital expenditure on fixed Assets				-
(ii) Others				-
Sub-total				-
(d) Revenue Expenditure on				
Payments made out of the fund		280,887.00		-
Other				-
Other administrative charges		390,607.00		-
Sub-total		671,494.00		-
(e) Other				-
Disposal of Special fund investments				-
Reduction in Value of Special fund investments				-
Transferred to Municipal Fund	856,440.00	470,116.00		-
Sub-total	856,440.00	470,116.00		-
Total of (c)+(d)+(e)	856,440.00	756,808.00		-
Net balance at the year end = (a+b)-(c)	3,124,138.00	4,677,807.00		-

Note: Pension amount of Rs. 4,70,116 and Gratuity amount of Rs. 8,56,440 were payable paid through the Municipal fund in the F.Y. 2015-20. Therefore, respective amounts have been transferred from Gratuity Fund & Pension Fund to the Municipal Fund.

Schedule B-3: Reserves

Particulars	Opening balance	Additions during the year	Total (Rs.)	Deductions during the year	Balance at the end of the year
General Reserve					
Contingency Reserve					
Gratuity Reserve					
Pension Reserve					
Provident Reserve					
Water supply Reserve					
Total Reserve funds					


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)



Schedule B-11: Fixed Assets

Municipal Council, Rohru

Depreciation Chart

Fixed Assets as at March 31, 2025

Particulars	WDV as on 1.04.2024	Additions		Total	Rate of Dep. %	Depreciation	WDV as on 31.03.2025
		<180 days	>=180 days				
Furniture	177,371.00	63,000.00	-	237,371.00	10%	20,737.00	216,634.00
Electric Weighing Machine	4,593.00	-	-	4,593.00	15%	689.00	3,904.00
Tally Software	2,753.00	-	-	2,753.00	40%	1,101.00	1,652.00
Computers & Printers	88,165.00	-	-	88,165.00	40%	35,266.00	52,899.00
Land	-	-	319,308.00	319,308.00	0%	-	319,308.00
Total (Rs.)	272,882.00	63,000.00	319,308.00	652,190.00		57,793.00	594,397.00



Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

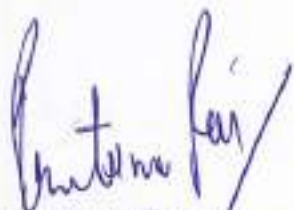


Security Cont.
Ledger Account

1-Apr-24 to 31-Mar-25

					Page 1
Date	Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
10-Apr-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	9		17,611.00
	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	10		9,740.00
23-Apr-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	11		20,834.00
26-Apr-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	30		11,969.00
13-May-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	14		13,896.00
14-May-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	13		58,644.00
3-Jun-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	31		15,390.00
5-Jun-24	To PNB A/C 79	Payment	42	15,033.00	
20-Jun-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	15		26,106.00
25-Jun-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	16		14,738.00
12-Aug-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	17		9,472.00
	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	18		17,438.00
	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	19		9,139.00
29-Aug-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	20		9,820.00
2-Sep-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	28		36,386.00
	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	32		11,178.00
3-Sep-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	33		9,833.00
13-Nov-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	34		7,946.00
	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	35		20,100.00
27-Nov-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	52		34,363.00
18-Dec-24	By MC Dev Works (Contractore)	Journal	8		19,907.00
				15,033.00	3,74,512.00
To Closing Balance				3,59,479.00	
				3,74,512.00	3,74,512.00


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)


Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt, Shimla (H.P.)

4.1.00, 5.1, 5.3, 5.4, 6 अंश

Financial Position of Municipal Council Rohru for the period 04-2023 to 03-2025

Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During the year	Interest Received (Saving)	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	Own Sources	2197390.30	12981726.00	1741831.00	16920947.30	8205833.00	8715114.30
	Grant In Aid	49751074.71	74063629.00	0.00	123814703.71	58893084.00	64921619.71
	Total	51948465.01	87045355.00	1741831.00	140735651.01	67098917.00	73636734.01
2024-25	Own Sources	8715114.30	12255137.00	1928519.00	22898770.30	11127276.00	11771494.30
	Grant In Aid	64921619.71	28130831.00	0.00	93052450.71	17766460.00	75285990.71
	Total	73636734.01	40385968.00	1928519.00	115951221.01	28893736.00	87057485.01
Total as per General Cash Book as on 31.03.2025							
Total as per Bank account as on 31.03.2025							
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2025							
Bank Reconciliation statements as on 31.03.2025							
Total as per General Cash Book as on 31.03.2025							
1) Less: Embezzlement prior to 31.03.2021 (During the year 1980-1985 the income less deposited at bank)							
							-38712.00
2) HDFC Bank Ch. No. 000267 Dt. 03.02.2025 issued for Rs. 1120/- and cleared on 07-04-2025.							
							1120.00
3) HDFC Bank Ch. No. 000278 Dt. 13.03.2025 issued for Rs. 1120/- and cleared on 07-04-2025							
							1120.00
4) HDFC Bank Ch. No. 000268 Dt. 15.02.2025 issued for Rs. 400/- and cleared on 21-04-2025							
							400.00
5) HP State Co-op Bank Ch. No. 584856 Dt. 20.03.2025 issued for Rs. 3058/- but debited by the bank on dated 24-03-2025 for Rs. 3050/- which was rectified/debited by bank on dated 07-04-2025.							
							8.00
Total							
							-36064.00
Balance as per bank pass book as on 31-03-2025							
							87021421.01
Difference after addition and subtraction							
							0.00

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

- 132 -

Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt Shimla (H.P.)

परीक्षा: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 में संदर्भित

Detail of Bank Accounts As on 31.03.2025

HP state co-op bank a/c no 43210165987		5664773.57
Punjab national bank a/c no. 4536000100010253		7406001.29
Punjab national bank a/c no. 4536000100139479		2087348.00
ICICI Bank A/c No. 373301000782		2480414.00
HDFC bank A/c 50100051618454		33985780.00
HDFC bank A/c 50100051659590		255680.15
HDFC bank A/c 50100525796405		2230.00
Axis bank A/c No.919010041623996		9965991.00
FDR HP state Co-Op. bank		1948914.00
FDR HP state Co-Op. bank		9843217.00
FDR HP state Co-Op. bank		3281072.00
FDR HP state Co-Op. bank		10100000.00
Total		87021421.01

Financial Position (Gratuity Fund) Of Municipal Council Rohru for the period 04-2023 to 03-2025

Financial Year	Opening Balance	Receipt during the year	Total	Payment	Closing Balance
2023-24	2855498.00	395354.00	3250852.00	856440.00	2394412.00
2024-25	2394412.00	487486.00	2881898.00	0.00	2881898.00

Total as per Cash Book as on 31.03.2025

2881898.00

Total as per Bank Accounts as on 31.03.2025 (Detail Given Below)

2881898.00

Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2025

0.00

Detail of Bank Accounts As on 31.03.2025

FDR in HP Co-Op. Bank Rohru A/c 2315738	1200997
FDR in HP Co-Op. Bank Rohru A/c 2315737	1008524
Total	672377.00
	2881898.00

Assistant Controller

H.P. State Audit Deptt.

Shimla - 9 (H.P.)

-133-

Inspector General (H.P.)
Shimla - 9 (H.P.)

परिष्कार: 4.8, 4.8 से 7.7.2 में संशोधित

Financial Position (Pension Fund) Of Municipal Council Rohru for the period 04-2023 to 03-2025						
Financial Year	Opening Balance	Receipt during the year	Total	Payment	Closing Balance	
2023-24	4064523	912111	4976634	938416	4038218	
2024-25	4038218	1126281	5164499	286692	4877807	
Total as per Cash Book as on 31.03.2025					4877807.00	
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)					629006.00	
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2025					4248801.00	
Detail of Bank Accounts As on 31.03.2025						
HP Co-Op. Bank A/c 43210121195					629006.00	
FDR in HP Co-Op. Bank Rohru					3069851.00	
FDR in HP Co-Op. Bank Rohru					1178950.00	
Balance as per Bank account as on 31-03-2025					4877807.00	
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2025					0.00	
Office of the Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)						
Financial Position of CPS/NPS(Employee and Employer Share) as per ledger, as on 31-03-2025						
Financial Year	Opening Balance	Contribution during the period		Total	Payment	Closing Balance
		CPS/NPS	Interest			
2023-24	4282968.00	0.00	121512.00	4404480.00	0.00	4404480.00
2024-25	4404480.00	0.00	125016.96	4529496.96	0.00	4529496.96
Closing Balance of CPS/NPS(Employee and Employer Share) as per ledger, as on 31-03-2025						
Sr No	Particular					Amount
1	Balance as per CPF(NPS) Ledger Account as on 31-03-2025					4529496.96
2	HP State Co-Op Bank Rohru, Distt. Shimla					4529496.96
3	Difference					0.00

—134—
Municipal Council ROHRU Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Distt. Shimla (H.P.) Shimla - 9 (H.P.)

परिभाषा: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 8.00, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 1

Detail of closing balance of CPS (NPS) employee and Employer share in respect of employees of the Municipal Council Rohru, Distt. Shimla H.P., as on 31-03-2025

S.N.	Name	Designation	Bank Name	Account No	Balance as on 31-03-2025	Remarks
1	Sh. Sanjeev Kumar	Jr. Asstt.	HP State Co-Op	43210132377	1311339.00	Ledger Page-83
2	Sh. Sunil Mehta	Jr. Engineer	...do...	43210132382	328439.00	Ledger Page-83
3	Sh. Raju Ram	Asst. Draft Man	...do...	43210132378	210419.00	Ledger Page-84
4	Sh. Karshi Ram	Driver	...do...	43210132380	604990.00	Ledger Page-84
5	Sh. Anoop Kumar	Driver	...do...	43210132379	518934.00	Ledger Page-85
6	Sh. Shiv Charan	Safai Karamchhari	...do...	43210132374	492165.00	Ledger Page-85
7	Sh. Mahender	Safai Karamchhari	...do...	43210132376	411925.96	Ledger Page-86
8	Sh. Pradeep Kumar	Belhar	...do...	43210136922	172098.00	Ledger Page-86
9	Smt. Rani Kali	Safai Karamchhari	...do...	43210133603	293026.00	Ledger Page-87
10	Sh. Videsh Kumar	Chowkidar	...do...	43210136923	186161.00	Ledger Page-87

Office of the Municipal Council Rohru, Dist. Shimla (H.P.)

Financial Position of PPF/CPP as per ledger, as on 31-03-2025

Financia l Year	Opening Balance	Contribution during the period		Total	Payment	Closing Balance
		PPF/GPF Contribution	Interest			
2023-24	6219799.00	984000.00	420049.00	7623848.00	1362500.00	6261348.00
2024-25	6261348.00	869000.00	412095.00	7542443.00	1182920.00	6359523.00

Closing Balance of CPS/NPS(Employee and Employer Share) as per ledger, as on 31-03-2025

Sr No	Particular	Amount
1	Balance as per PPF Ledger Account as on 31-03-2025.	6359523.00
2	Balance as per Post Office Accounts	6359523.00
3	Difference	0.00

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Page No. : 44, प्र. संख्या: 7.4 के संदर्भ

Office of the Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)

Detail of PF in respect of employees of the Municipal Council Rohru, Distt. Shimla H.P., as on 31-03-2025

Financial Year	Name	Designation	Opening Balance	Contribution	Interest	Total	Withdrawal	Closing Balance
2023-24	Sh. Sanjeev Kumar	Jr. Asstt.	761886.00	150000.00	59641.00	971527.00	0.00	971527.00
2024-25			971527.00	150000.00	74525.00	1196052.00	0.00	1196052.00
2023-24	Sh. Sunil Mehta	Jr. Engineer	971202.00	150000.00	74354.00	1195556.00	0.00	1195556.00
2024-25			1195556.00	150000.00	90431.00	1435987.00	0.00	1435987.00
2023-24	Sh. Kushal Chaud	Peon	859353.00	60000.00	60381.00	979734.00	482000	497734.00
2024-25			497734.00	60000.00	37558.00	595292.00	0.00	595292.00
2023-24	Sh. Shiv Charan	Safai Karamchhari	141701.00	20000.00	5055.00	166756.00	80000.00	86756.00
2024-25			86756.00	20000.00	0.00	88756.00	88756.00	0.00
2023-24	Sh. Mahender -I	Safai Karamchhari	1071267.00	144000.00	81314.00	1296581.00	0.00	1296581.00
2024-25			1296581.00	144000.00	76082.00	1516663.00	400000.00	1116663.00
2023-24	Sh. Pradeep Kumar	Beldar	101649.00	36000.00	7838.00	145487.00	15000.00	130487.00
2024-25			130487.00	36000.00	10596.00	177083.00	0.00	177083.00
2023-24	Smt. Ravi Kali	Safai Karamchhari	105212.00	58000.00	9547.00	172759.00	0.00	172759.00
2024-25			172759.00	60000.00	14485.00	247244.00	0.00	247244.00
2023-24	Sh. Videsh Kumar	Chowkidar	145991.00	42000.00	11762.00	199753.00	0.00	199753.00
2024-25			199753.00	49000.00	15963.00	264716.00	0.00	264716.00
2023-24	Sh. Yogeshwar Lal	Peon	698063.00	60000.00	29002.00	787065.00	350000	437065.00
2024-25			437065.00	60000.00	33250.00	530315.00		530315.00
2023-24	Sh. Yoginder Singh	Safai Karamchhari	127318.00	18000.00	9696.00	155014.00	0	155014.00
2024-25			155014.00	18000.00	9784.00	182798.00	29000	153798.00
2023-24	Sh. Bablu	Safai Karamchhari	491486.00	120000.00	19678.00	631164.00	276000	355164.00
2024-25			355164.00	14000.00	47.00	369211.00	365164	4047.00
2023-24	Sh. Mahender -II	Safai Karamchhari	264218.00	24000.00	17763.00	305981.00	105500.00	200481.00
2024-25			200481.00	24000.00	12767.00	237248.00	100000.00	137248.00
2023-24	Sh. Rakesh	Safai Karamchhari	384151.00	66000.00	29683.00	479834.00	0.00	479834.00
2024-25			479834.00	66000.00	29409.00	575243.00	200000.00	375243.00
2023-24	Sh. Vijay	Safai Karamchhari	96302.00	36000.00	4335.00	136637.00	54000.00	82637.00
2024-25			82637.00	36000.00	7198.00	125835.00	0.00	125835.00
	Total	2023-24	6219799.00	984000.00	420049.00	7623848.00	1362500.00	6261348.00
	Total	2024-25	6261348.00	889000.00	412095.00	7542443.00	1182920.00	6359523.00

-136- Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 6 (H.P.)
Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)



परीक्षण : 5, पैदा खेता: 4.1, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 में से देखें

Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.), Audit Period 04-2023 to 03-2025.							
Sr. No	Name/ Type of vehicle	Make and Model	Date of Purchase	Whether in running condition Or Unserviceable	If unserviceable/ Reason and date of unserviceable.	Amount of Purchase	Remarks
1	HP-10A-7903	Dumper Placer (TATA)	02-09-2015	Unserviceable (Not in use since 25-12-2019)	Unused Since 25-12-2019	1138968	Used only about 4 years and 3 months, and now parked in MC Area about 6 years.
2	HP-10A-7904	Tractor (New Holland)	02-09-2015	In use (Door to Door garbage collection)		625000	Rs. 4.75 lac + exchanged value Rs. 1,50,000/- of Tractor No. HP-10-9122 = 6.25 Lacs
3	HP-10A-7903	Tractor (New Holland)	02-09-2015	In use (Door to Door garbage collection)		725000	Rs. 6.25 lac + Tractor Trail Rs. 1 lac = 7.25 Lacs
4	HP-10-9322	Tractor (HMT)		Exchanged			Exchanged with new tractor on dated 24-11-2014 with the value of Rs. 1,50,000/-
5	HP-10-1952	Dumper Placer (EICHER)		Unserviceable	(Not in use Since 04-06-2015)		Unused since 04-06-2015, and parked in MC Area about from 10-11 years,

[Signature]

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

[Signature]
Executive Officer,
Municipal Council ROHRU,
Distt Shimla (H.P.)

1890-1891. The first year of the new century.

1890-1891. The first year of the new century.

1890-1891. The first year of the new century.

Statement of Grant in Aid received and expenditure made during the year 2023-24

Sr No	Sanctioning Authority	Head	Letter No. & Date	Purpose	Opening Balance	Receipt during	Total	Expenditure during the year	Closing Balance as on	EC sent or Not
1	Director Urban Development Shimla	(15th CFC)	United Grant 15th CFC Letter No. UD-H/C/109-1/2020-1 CFC Release-2491-2561 Dated 10-05-2023 Tied Grant 15th CFC Letter No. UD-H/C/109-1/2020-1-2420-2400 Dated 10-05-2023 Tied Grant 15th CFC Letter No. UD-H/C/109-1/2020-1-4896-4966 Dated 13-03-2024 (3822076) United Grant 15th CFC Letter No. UD-H/C/109-1/2020-1-4957-5018 Dated 13-03-2024 Interest and transfer of Funds due change of a/c	United Grant Tied Grant United Grant	15891070	2546220.00	73601006.00	902033.00	24318973.00	Not sent
2	Director Urban Development Shimla (6th SFC)	(6th SFC)	Letter No. UD-H/C/109-1/2023 SFC-Joosse-1393-1-13993 Dated 31-07-23/935324-31495103 Interest income	Developments work	28613570.71	12503034.00	41444574.71	12624938.00	24819636.71	Due of 12624938 the U/C for 12503034 was sent vide letter No. M.C./R/H/7 U/C/2025-1036 Dt. 09-06-2025
3	Deputy Commissioner Shimla	NDF	Shimla/Vojna/NDF-106 Dt. 30-11-23 Interest income	NDF/2023 1970 R/O ambulance road from Akshamath to Dashedin	0.00	600000.00	759989.00	657163.00	1147837.00	Not sent
4	Director Urban Development Shimla		Letter No. UD-H/D-Rain Damage-Egg Cell 2013-6498-6519dt. 30-03-2024 R.G.U.R.F	Release of funds SDRF/NDRF during the financial year 2023-24 R.G.U.R.F (for car parking)	0.00	528730.00	528730.00	0.00	528730.00	
5	Dist. TDO Shimla		Vide Letter No. UD-H/F/Misc-MMSAGY-HR-21833-852 Dt. 06-11-23	Parking	1759484.00	0.00	1759484.00	0.00	1759484.00	
6	MMSAGY		Letter No. 7934 Dt. 23-03-2023 (2 lac for C/o Rain Shelter at Chirgaon by pass road and 3 lac for C/o Children park Rain this ground Rohru)	Chaska Bheksia at near Shiv Meen Market Rohru Ward No. 4	0.00	350000.00	350000.00	250000.00	100000.00	Not sent
7	BDO Rohru				500000.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00	
8	MLA Grant		Direct deposit at Account		0.00	350000.00	350000.00	250000.00	100000.00	Not sent
Total					49751074.71	74003679.00	123464703.71	58893084.00	64921619.71	

G/Totol Exp.

GIA for Utilization certificate sent (Including Fund transfer)

GIA transfer inter Grant

Total expenditure from GIA for Utilization certificate not sent during 01-04-2023 to 31-03-2024

Total amount received without sacation letter (GIA received online)

Assistant Controller

350000.00

Municipal Council ROHRU Dist. Shimla (H.P.)

परीक्षक: ७, मेय सेरन्या: ८.१, ८.२, ८.३, ८.४ में संदर्भित

Municipal Council Rohru, Dist. Shimla (H.P.)

Statement of Grant in Aid received and expenditure made during the year 2024-25

Sr No	Sanctioning Authority	Head	Letter No. & Date	Purpose	Opening Balance	Receipt during	Total	Expenditure during the year	Closing Balance as on	Remarks (If C sent or Not)
1	Director Urban Development Shimla	(15th CFC)	United Grant 15th CFC Letter No. UD-H(CX)10/-3/2020-1/-4906-4972 Dated 04-06-2024 Tied Grant 15th CFC Letter No. UD-H(CX)10/-3/2020-4/-4973-5040 Dated 04-06-2024 Interest Income	United Grant Tied Grant	28318975.00 4081127.00	2720751.00 1317116.00	36437967.00 	2452187.00 	33985780.00 	Not sent
2	Director Urban Development Shimla (6th SFC)	(6th SFC)	Vide Letter No.UD-H(CX)10/-1/2024 SFC Award-8553-94 Dated 20-07-24 (2467148+822383)	Development Works	28819616.71	3289531.00	46179349.71	14316503.00	31862846.71	Out of Exp. 14316503 the D/C for 13138124 was sent vide letter No. M.C. JREHU/UC/ 2025-1036 Dt. 09-06-2025
			Letter No.UD-H(CX)10/-1/2024 SFC Award-8553-94 Dated 20-07-24 (2467148+822383)	Development Works		3289531.00				
			Letter No.UD-H(CX)10/-1/2024 SFC Award-10286-347 Dated 19-03-25 (2467148+822383)	Development Works		3289531.00				
			Letter No.UD-H(CX)10/-1/2024 SFC Award-11506-566 Dated 27-03-25 (2467148+822383)	Development Works		3289531.00				
3	Deputy Commissioner Shimla	(ULB Roads)	Dated 16-03-24 Engg-cell ULB's Road-3809-26 Interest Income	C/O ULB Road		4000000.00 201589.00				
			Shimla/Vygnan/SDH/2024-25-563389 Dt. 04-02-25	Repair and Restoration of Shikar Bridge towards old gas point in Ward No 7(400000)	759989.00	400000.00	1159989.00	0.00	1159989.00	
			Shimla/vygnan/DCE/2023-24-1751 Dt. 04-11-23 (GIA For 1. DCE/2023/347 C/O Renovation and expansion of stige area at Ram Leela Ground Ward. No.3 (1000000) 2 DCE/2023/343 C/O Development of Ground area at Ram Leela Ground Ward No.3 (300000)		1147837.00		1302191.00	0.00	1302191.00	
7	Director Urban Development Shimla	Interest Income				154354.00		0.00		
		SDRE/ NDRF	Letter No. UD-H(F-P)Rau (Damage-Engg. Cell)2013-6-498-6519dt. 30-03-2024	Release of funds SDRF/NDRF during the financial year 2023-24	528750.00		528750.00	0	528750.00	
		GIS	Direct deposit at Account dt. 24-06-2024	Reg. Release of funds to the U/LBs for drone based GIS property mapping and survey of properties	0	861645.00	861645.00	861645.00	0.00	Not sent
		Parking		RCIURE (For car parking)	2986950.00		2986950.00	0.00	2986950.00	
8	Distt. TDO Shimla	C/O (Parking)	Vide Letter No. -H(FX)1-Rohru Engg cell 13500-504 Dated 29-08-24	Construction of parking		500000.00	500000.00	0	500000.00	
		MMSAGY	Direct Deposit on Account.	Parking		131125.00	1759484.00	0.00	1759484.00	Not sent

Executive Engineer,
Municipal Council ROHRU R.P. State Audit Deptt.,
Distt. Shimla (H.P.) -135 Shimla - 9 (H.P.)

Assistant Controller

BDO Rohru		Letter No. 7034 Dt. 23-03-2023	2 Inc for C/o Rain Shelter at Chiragon by pass road and 3 Inc for C/o Children park Rain lila ground Rohru	500000.00		500000.00	0.00	500000.00	
MLA Grant	VR VNY	Shimla/Vojna/VR.V/2024-25-572979 Dated 20-02-25 under Head VR.VNY(MLA/AD) VR.V/2024/665	1. Maintenance of Toilet Govt Sr Sec. School Boys, Rohru (100000) 2. C/O Stage at Ramlesh Grouned Rohru (500000)	100000.00	600000.00	700000.00	0.00	700000.00	
Total				64921619.71	28130831.00	93052450.71	17766460.00	75285990.71	
Total Exp.							17766460.00		
Utilization certificate sent							13138124.00		
Total amount received without sention letter (GIA received online)							864645.00		
Total expenditure from GIA for Utilization certificate not sent during 01-04-2024 to 31-03-2025							4628336.00		
G/T total of amount received without sention letter (GIA received online)							1214645.00		
G/T total of expenditure from GIA for Utilization certificate not sent during 01-04-2023 to 31-03-2025							6638386.00		


 Assistant Controller
 H.P. State Audit Deptt.
 Shimla - 9 (H.P.)


 Executive Officer
 Municipal Council ROHRU
 Distt. Shimla (H.P.)

परिशिष्ट: 8, पैरा संख्या: 12, 4.1 (ii) में संदर्भित
पैरा संख्या: 12, 7.2.1 में संदर्भित

Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)					
Statement of Shop Rent for the period 01-04-2023 to 31-03-2025					
Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Out. Balance as on 31-03-2025
2023-24	1477497.00	2125183.00	3602680.00	2112384.00	1490296.00
2024-25	1490296.00	2497488.00	3987784.00	2267988.00	1719796.00

Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)					
Statement of House tax for the period 01-04-2023 to 31-03-2025					
Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Out. Balance as on 31-03-2025
2023-24	19908234.00	4073713.00	2,39,81,947.00	3931164.00	20050783.00
2024-25	20050783.00	4073713.00	2,41,24,496.00	3058658.00	21065838.00

Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)					
Statement of Door to Door Garbage Collection for the period 01-04-23 to 31-03-2025					
Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Out. Balance as on 31-03-2025
2023-24	4726700.00	3328400.00	8055100.00	1199700.00	6855400.00
2024-25	6855400.00	3473400.00	10328800.00	719300.00	9609500.00

Statement of Sanitation Tax for the period 01-04-2023 to 31-03-2025					
Year	Opening	Demand	Total	Collection	Out. Balance as
2023-24	3639990.00	0.00	3639990.00	0.00	3639990.00
2024-25	3639990.00	0.00	3639990.00	0.00	3639990.00

Statement of Mobile Tower Renewal Fees for the period 01-04-2023 to 31-03-2025					
Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Out. Balance as on 31-03-2025
2023-24	177501.00	0.00	177501.00	0.00	177501.00
2024-25	177501.00	0.00	177501.00	0.00	177501.00

Statement of Electricity Cess for the period 01-04-2023 to 31-03-2025						
Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Out. Balance as on 31-03-2025	Remarks
2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No amount received during the period under Audit
2024-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt Shimla (H.P.)

परीक्षक: श्री. रमेश सोन्या: १२ वें संवत्सर

Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)

Door to Door Garbage Collection Statement for the period 01-04-2023 to 31-03-2025

Year	Opening Balance	Demand (As the rate of door to door garbage collection was notified on 17-01-2024 and implemented from 01-02-2024)	Total	Collection	Out. Balance as on 31-03-2025
		Type of Instl. Nos of Int. Rate Amount for a month Amount			
2023-24	47,26,700.00	Family 3505 50.00 1,75,250.00 17,52,500.00	74,76,200.00	10,43,200.00	64,33,000.00
		Shops etc. 997 100.00 99,700.00 9,97,000.00			
Total amount for demand for 10 months, due to rate was notified on 17-01-2024 and implemented from 01-02-2024.					
	64,33,000.00	Family 3505 50.00 1,75,250.00 3,50,500.00	70,11,900.00	156500.00	6855400.00
		Shops 972 100.00 97,200.00 1,94,400.00			
		Shops/Malls 4.00 200.00 800.00 1,600.00			
2023-24		Hotels 11.00 1,000.00 11,000.00 22,000.00			
		Colleges 1.00 700.00 700.00 1,400.00			
		Restaurent/Bar 5.00 500.00 2,500.00 5,000.00			
		Hospitals 4.00 500.00 2,000.00 4,000.00			
Total amount for demand for 2 months, due to rate was notified on 17-01-2024 and implemented from 01-02-2024.					
			5,78,900.00		
	68,55,400.00	Family 3505 50.00 1,75,250.00 21,03,000.00	1,03,28,800.00	719300.00	9609500.00
		Shops 972 100.00 97,200.00 11,66,400.00			
		Shops/Malls 4.00 200.00 800.00 9,600.00			
2024-25		Hotels 11.00 1,000.00 11,000.00 1,32,000.00			
		Colleges 1.00 700.00 700.00 8,400.00			
		Restaurent/Bar 5.00 500.00 2,500.00 30,000.00			
		Hospitals 4.00 500.00 2,000.00 24,000.00			
	Total		34,73,400.00		

Assistant Controller
F.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Shimla
Municipal Council ROHRU
Distt Shimla

परिशिष्ट : 9, पैरा संख्या: 12 में संदर्भित

Municipal Council Rohru Audit period 04-2023 to 03-2025							
Parking Fee for the period 2024-2025							
Year	Opening Balance	Demand	Due penal amount for late payment	Total	Collection	Out. Balance as on 31-03-2025	Slot No.
2024-25	0.00	2,41,000.00	48800	2,89,800.00	1,20,500.00	1,69,300.00	1
2024-25	0.00	2,95,500.00	48800	3,44,300.00	147750	1,96,550.00	2
2024-25	0.00	2,70,000.00	7300	2,77,300.00	135000	1,42,300.00	3
2024-25	0.00	1,68,000.00	15200	1,83,200.00	42025	1,41,175.00	3
2024-25	0.00	1,06,250.00	5000	1,11,250.00	106375	4,875.00	4
2024-25	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	6
2024-25	0.00	14,06,000.00	88100	14,94,100.00	468667	10,25,433.00	5
2024-25	0.00	9,07,500.00	26800	9,34,300.00	680625	2,53,675.00	7
2024-25	0.00	357000.00	7900	3,64,900.00	359900	5,000.00	6
2024-25	0.00	1125000.00	4380	11,29,380.00	1129380.00	0.00	PPP
Total						19,50,808.00	

Statement of outstanding income from Slaughter House for the period 01-04-2023 to 31-03-2025						
Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Out. Balance as on 31-03-2025	Remarks
2023-24	79000.00	100460.00	179460.00	0.00	179460.00	No collection of slaughter fee were made during 4-23 to 3-25
2024-25	179460.00	96810.00	276270.00	0.00	276270.00	


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)


Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

परीक्षण : 9.1, फेरा संरक्षा : 12.10 से संक्षेप

Statement of Parking Fee in respect of MC Rohru for the period 01-04-2023 to 31-03-2025.

The parking slots were auctioned during the year 2024-25, prior to this, there were no auctioned parking slots and nor any amount were realised as parking fee.

As per Condition No. 6 of Auction Rules and Condition:- The successful contractor, have to deposit the amount of bid in 4 equal installments before the 10 of 1st month of the quarter concerned, and thereafter Rs. 100 per day will charge for delayed payments.

Year	Name of Parking/ Date of Allotment	Tendered Amount	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Date	Penal Provision Rs. 100 per day	Amount recoverable	Remarks
2024-25	Near ACC Park Dc, 01-02-2024 to 31-01- 2025	241000.00	0.00	2,41,000.00	2,41,000.00	60,250.00	04-03-2024	2,100.00	1,82,850.00	1st quarter
						60,250.00	12-08-2024	9,300.00	1,31,900.00	2nd quarter
								23,300.00	1,55,200.00	3rd quarter
								14,100.00	1,69,300.00	4th quarter
Quarterly installment = 60250										
Allotted to Sh. Mohit, R/o Baati Nala, Rohru.										
Security 10% 24100 has been forfeited as per security register Page-7						Total penal amount		48,800.00		
The penal amount has been worked out up to 31-03-2025										

As per Condition No. 6 of Auction Rules and Condition:- The successful contractor, have to deposit the amount of bid in 4 equal installments before the 10 of 1st month of the quarter concerned, and thereafter Rs. 100 per day will charge for delayed payments.

Year	Name of Parking/ Date of Allotment	Tendered Amount	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Date	Penal Provision Rs. 100 per day	Amount recoverable	Remarks
2024-25	Near Mahestra Show Room Dc. 01- 02-2024	295500.00	0.00	295500.00	2,95,500.00	73,875.00	04-03-2024	2,100.00	2,23,725.00	1st quarter
						73,875.00	12-08-2024	9,300.00	1,59,150.00	2nd quarter
								23,300.00	1,82,450.00	3rd quarter
								14,100.00	1,96,550.00	4th quarter
Quarterly installment = 73875										
Security 10% 29550 has been forfeited as per security register Page-7										
Allotted to Sh. Mohit, R/o Baati Nala, Rohru.										
The penal amount has been worked out up to 31-03-2025						Total penal amount		48,800.00		

As per Condition No. 6 of Auction Rules and Condition:- The successful contractor, have to deposit the amount of bid in 4 equal installments before the 10 of 1st month of the quarter concerned, and thereafter Rs. 100 per day will charge for delayed payments.

Year	Name of Parking/ Date of Allotment	Tendered Amount	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Date	Penal Provision Rs. 100 per day	Amount recoverable	Remarks
2024-25	Near Anupam Hotel Dc. 01-02- 2024 to 31-01-2025	270000.00	0.00	270000.00	2,70,000.00	67,500.00	04-03-2024	2,100.00	2,04,600.00	1st quarter
						67,500.00	12-08-2024	5,200.00	1,42,300.00	2nd quarter
								7,300.00		
Security 10% 27000 has been forfeited as per security register Page-7										
Allotted to Sh. Mohit, R/o Baati Nala, Rohru., Quarterly installment = 67500										
The penal amount has been worked out up to 31-08-2025, as the parking slots has been reallocated from 01-09-2024.						Total penal amount		7,300.00		

As per Condition No. 6 of Auction Rules and Condition:- The successful contractor, have to deposit the amount of bid in 4 equal installments before the 10 of 1st month of the quarter concerned, and thereafter Rs. 100 per day will charge for delayed payments.

Year	Name of Parking/ Date of Allotment	Tendered Amount	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Date	Penal Provision Rs. 100 per day	Amount recoverable	Remarks
2024-25	Near Anupam Hotel Dt. 01-09- 2024 to 31-08-2025	168000.00	0.00	168000.00	1,68,000.00	42,025.00	30-09-2024	2,000.00	1,27,975.00	1st quarter
Slot No. 3	Quarterly installment = 42000							11,100.00	1,39,075.00	2nd quarter
Allotted to Sh. Vikrant Nepia, R/O Samala Bist Dhar Ward No-4.						Total penal amount		2,100.00	1,41,175.00	3rd quarter
The penal amount has been worked out up to 31-08-2025, as the parking slots has been reallocated from 01-09-2024.										

As per Condition No. 6 of Auction Rules and Condition:- The successful contractor, have to deposit the amount of bid in 4 equal installments before the 10 of 1st month of the quarter concerned, and thereafter Rs. 100 per day will charge for delayed payments.

Year	Name of Parking/ Date of Allotment	Tendered Amount	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Date	Penal Provision Rs. 100 per day	Amount recoverable	Remarks
2024-25	Near Delhi Store Dt. 01-02-2024	425000.00	0.00	106250.00	1,06,250.00	1,06,375.00	04-03-2024	5,000.00	4,875.00	1st quarter
	Quarterly installment – 106250				The penal amount has been worked out up to 02-04-2024 upto the request of applicant.					
Slot No. 4	Allotted to Sh. President LTV Union Rohru				In view of the request of Applicant/President LTV Rohru dated 02-04-2024, for quitting the parking. The joint inspection Committee of MC Rohru has submitted on his inspection report dated 30-06-2025 that " the effective availability of parking space for general public use substantially not available. Hence, the parking slot was cancelled/rejected.					
Surrendered on 01-04-2024										


Assistant Controller

H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

-145


Joint Sharma (H.P.)

पारितोषिक: ३.१५२ रु. के अंतर्गत से अंतिम

As per Condition No. 6 of Auction Rules and Condition:- The successful contractor, have to deposit the amount of bid in 4 equal installments before the 10 of 1st month of the quarter concerned, and thereafter Rs. 100 per day will charge for delayed payments.

Year	Name of Parking/ Date of Allotment	Tendered Amount	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Date	Penal Provision forfeiture of security	Amount recoverable	Remarks
2024-25	Near Fire Station Dt. 01-02-2024	125000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	Security not forfeited.
Slot No. 6	Quarterly installment = 31250									
Allotted to Sh. Chetan Chauhan										
Security 10% 12500 was not forfeited, but released as per rent parking register page No. 7 Cheque No. 565981 Dt. 8-8-2024.										
					As per the joint inspection Committee of MTC Rohru, it was submitted on the inspection report dated 30-06-2025 that " the effective availability of parking space for general public use substantially not available. Hence, the parking slot was cancelled/rejected.					

As per Condition No. 6 of Auction Rules and Condition:- The successful contractor, have to deposit the amount of bid in 4 equal installments before the 10 of 1st month of the quarter concerned, and thereafter Rs. 100 per day will charge for delayed payments.

Year	Name of Parking/ Date of Allotment	Tendered Amount	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Date	Penal Provision Rs. 100 per day	Amount recoverable	Remarks
2024-25	Opposite New Bus Stand Rohru Dt. 01-02-2024	1406000.00	0.00	1406000.00	14,06,000.00	1,75,750.00	18-03-2024	18,200.00	12,48,450.00	1st quarter
Slot No. 5	Quarterly installment – 351500									
Allotted to Sh. Mohit, R/o Baati Nala, Rohru.										
Security 10% 140600 not forfeited.										
						2,92,917.00	12-08-2024	32,500.00	9,88,033.00	2nd quarter
							14-08-2024	23,300.00	10,11,333.00	3rd quarter
						Total penal amount		88,100.00	10,25,433.00	4th quarter

As per Condition No. 6 of Auction Rules and Condition:- The successful contractor, have to deposit the amount of bid in 4 equal installments before the 10 of 1st month of the quarter concerned, and thereafter Rs. 100 per day will charge for delayed payments.

Year	Name of Parking/ Date of Allotment	Tendered Amount	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Date	Penal Provision Rs. 100 per day	Amount recoverable	Remarks
2024-25	Old Gas Point/ Dunga Dt. 01-02- 2024	907500.00	0.00	907500.00	9,07,500.00	2,26,875.00	04-03-2024	2,100.00	6,82,725.00	1st quarter
Slot No. 7	Allotted to Sh. Mohit, R/o Baati Nala, Rohru.									
						2,26,875.00	12-08-2024	9,300.00	4,65,150.00	2nd quarter
						2,26,875.00	23-08-2024	1,300.00	2,39,575.00	3rd quarter
						Total penal amount		14,100.00	2,53,675.00	4th quarter

Conf. ---

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

146-

Executive Officer,
Municipal Council ROHRU

As per Condition No. 6 of Auction Rules and Condition:- The successful contractor, have to deposit the amount of bid in 4 equal installments before the 10 of 1st month of the quarter concerned, and thereafter Rs. 100 per day will charge for delayed payments.

Year	Name of Parking/ Date of Allotment	Tendered Amount	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Date	Penal Provision Rs. 100 per day	Amount recoverable	Remarks
2024-25	Old Bus Stand/ Dunga Di. 01-09- 2024 to 31-08-2025	357000.00	0.00	357000.00	3,57,000.00	89,250.00	30-09-2024	2,000.00	2,69,750.00	1st quarter
Slot No. 6						90,050.00	18-12-2024	800.00	1,80,500.00	2nd quarter
						91,350.00	01-04-2025	2,100.00	91,250.00	3rd quarter
						89,250.00	10-07-2025	3,000.00	5,000.00	4th quarter
						Total penal amount		7,900.00		
						G/Total		2,47,900.00	19,50,808.00	

Allotted to Sh. Deepak Sharma Vill. Nundla PO Jangla, The. Chirgaon.

As per Clause 5.1 (d) in the event of delay after interest @ SBI lending rate + 4 % Or BLR 6% which ever is higher will be charge. For delayed payments.
(The first Quarterly payment shall be paid within 7 days from the construction completion date)

Year	Name of Parking/ Date of Allotment	Amount fixed on PPP Basis	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Date	Penal Provision Rs. 100 per day	Amount recoverable	Remarks
2024-25	Near Meat Market Rohru, Ward No.- 4 Di. 1-1-2024	900000.00	0.00	225000.00	2,25,000.00	227325.00	06-02-2024	2,325.00	0.00	1st quarter
PPP Mode				225000.00	2,25,000.00	225000.00	08-04-2024		0.00	2nd quarter
				225000.00	2,25,000.00	225000.00	04-07-2024		0.00	3rd quarter
				225000.00	2,25,000.00	227055.00	29-10-2024	2,055.00	0.00	4th quarter
	PPP Mode Rs. 225000 in every Quarter			225000.00	2,25,000.00	225000.00	06-01-2025		0.00	1st quarter

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Shimla
Municipal Council ROHIL-
Shimla (H.P.)

-147-

परिशिष्ट: 10, पैरा संख्या: 12.2 में संदर्भित

Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)				
Statement showing the detail having major amount recoverable as on 31-03-2025, out of 2190 Households.				
Sr. No	Name	UID No.	Ward no	Amount
1	Ranveer Degta	211705601000059	1	₹ 1,37,782.41
2	Sanjeev Sood S/o Roshan Sood	211705601000475	1	₹ 1,19,142.24
3	Ravinder Machhan	211705602000633	2	₹ 1,43,829.06
4	Sumant Kuthyala	211705603000551	3	₹ 1,30,687.83
5	Krishana Sood W/o Roshan Lal	211705603000476	3	₹ 1,70,809.05
6	Swal pati W/o Late Sh. Badhri Parsad	211705604000451	4	₹ 2,00,232.00
7	Ram Singh	211705605000974	5	₹ 2,00,412.04
8	Adhar Chauhan	211705607001209	7	₹ 79,185.08
9	Hari Om Prakesh	211705607001204	7	₹ 92,338.74
10	B.S.N.I Office	211705606001249	7	₹ 3,06,788.06
11	Sunny Kumar S/o Dalip Kumar	211705606001228	6	₹ 1,40,936.94
12	joginder Raitka	211705606001405	6	₹ 69,818.26
13	Surender Chuahan	211705606000722	6	₹ 1,60,085.97
14	Sudesh Thakur	211705604000122	4	₹ 1,31,828.64
15	Ruju Negi	211705603000966	4	₹ 77,632.47
16	Shyam Lal Sood	211705604000951	4	₹ 57,850.11
17	H.P.S.E.B Rohru	211705604000774	4	₹ 54,032.36
18	S.k Jasta S/o J.R Jasta	211705604000255	4	₹ 80,095.68
19	Anil Sharma	211705604000927	4	₹ 67,697.79
20	Bhagat Chand	211705604000753	4	₹ 56,859.37
21	Raman Kumari W/o SH. Yashpal Bhardwaj	211705603000488	3	₹ 50,973.30
22	Pardeep Kanwar	211705603000843	3	₹ 76,049.82
23	SH. Satan Dass	211705603000504	3	₹ 94,597.95
24	SH.Uday Singh Thakur	211705603000530	3	₹ 51,274.00
25	Surjan Chauhan	211705603000531	3	₹ 70,916.12
26	Bhima Kali Trust	211705602000593	3	₹ 82,923.71
27	Joint Office Complex SDM Rohru	211705601000469	1	₹ 85,928.70
28	SH.Tej Singh S/o Bihari Lal	211705601000146	1	₹ 86,002.41
29	S.S Thakur	211705601000036	1	₹ 60,570.99
30	H.R.T.C Rohru	211705601000908	1	₹ 89,030.94
31	Shamsher Singh S/O Sukh chain	211705601000464	1	₹ 79,205.85
32	P.C Verma LT.SH.NATHU RAM	211705601001526	1	₹ 66,744.00
33	LATE Surjan Singh	211705601000627	1	₹ 81,584.50
34	Ram lal Sharma	211705603000668	1	₹ 1,16,870.16
TOTAL				₹ 35,70,716.85

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

परीक्षाएट: 11, पैरा संख्या/ 12.3 में संदर्भित

Municipal Council Rohru, Audit Period 04-2023 to 03-2025

Detail of Shops having major amounts for recoverable.									
Sr. No.	Name	Shop No	Rent P.M	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Outstanding Balance Upto March 24	Amount Out. Since
1	Sagar	1	5000	60,000.00	60,000.00	1,20,000.00	0.00	1,20,000.00	24
2	Jognath	7	5000	1,75,000.00	60,000.00	2,35,000.00	0.00	2,35,000.00	47
3	Mahmod Shan	8	660	7,920.00	7,920.00	15,840.00	8,580.00	7,260.00	11
4	Luxmi Chand	10	660	21,000.00	7,920.00	28,920.00	0.00	28,920.00	44
5	Babu Ram	12	660	2,640.00	7,920.00	10,560.00	3,960.00	6,600.00	10
7	Sia Ram	17	660	19,800.00	7,920.00	27,720.00	19,800.00	7,920.00	12
8	Yashwant Singh	18	660	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	7,920.00	12
9	Dhirju Ram	19	660	19,800.00	7,920.00	27,720.00	19,800.00	7,920.00	12
10	Rakesh Kumar	27	5500	1,65,000.00	66,000.00	2,31,000.00	0.00	2,31,000.00	42
11	Prem Lal	42	660	72,885.00	7,920.00	80,805.00	0.00	80,805.00	122
12	Karam Duss	45	660	23,400.00	7,920.00	31,320.00	0.00	31,320.00	47
13	Roshan Lal	47	660	25,200.00	7,920.00	33,120.00	0.00	33,120.00	50
14	Sita Ram	54	660	23,400.00	7,920.00	31,320.00	0.00	31,320.00	47
15	Kurpu Ram	55	660	52,200.00	7,920.00	60,120.00	36,360.00	23,760.00	36
16	Dhani Ram	56	3000	50,600.00	36,000.00	86,600.00	30,000.00	56,600.00	19
17	Narender Singh	57	660	31,800.00	7,920.00	39,720.00	0.00	39,720.00	60
18	Jagdish Singh	61	1293	91,665.00	15,516.00	1,07,181.00	0.00	1,07,181.00	83
19	Subedar Singh	70	660	97,400.00	7,920.00	1,05,320.00	0.00	1,05,320.00	160
20	Abiyas Abdul	79	1100	13,200.00	13,200.00	26,400.00	14,300.00	12,100.00	11
21	Kashmari Lal	89	660	54,000.00	7,920.00	61,920.00	0.00	61,920.00	94
22	Ghansu Ram	91	1331	34,606.00	15,972.00	50,578.00	0.00	50,578.00	38
23	The B.E.E.O. Rohru	94	660	23,400.00	7,920.00	31,320.00	0.00	31,320.00	47
24	Subhash Chand	100	1815	56,100.00	21,780.00	77,880.00	0.00	77,880.00	43
25	The Teh Co-pp Union	103	1500	43,500.00	18,000.00	61,500.00	0.00	61,500.00	41
	Total			11,64,516.00	4,25,268.00	15,89,784.00	1,32,800.00	14,56,984.00	


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)


Executive Officer
Municipal Council ROHRU
Distt Shimla (H.P.)

परिशिष्ट : 12, पैरा संख्या: 12.4 में संदर्भित

Municipal Council Rohru, Audit Period 04-2023 to 03-2025

Statement showing the detail of shops having the rent not enhanced as per the condition of agreement.

As per condition No. 5 Or 6. "That the monthly rent will be enhanced @3% per annum on first day of April every following year".

Sr. No.	Name	Shop No	Date of Agreement	Rent Reg. Page	Date of Allotment	Rent P.M as per Rent Register as on 31-03-2025	Rent due on the 1st of every year	Difference	Nos of Month	Less demand and Collection
1	Sagar	1	25-03-2021	52	01-04-2021	5000	5,000.00	0.00		0.00
					01-04-2022	5000	5,150.00	150.00	12.00	1,800.00
					01-04-2023	5000	5,305.00	305.00	12.00	3,660.00
					01-04-2024	5000	5,464.00	464.00	12.00	5,568.00
2	Sanjeev Singh	2	25-03-2021	52	01-04-2021	5000	5,000.00	0.00		0.00
					01-04-2022	5000	5,150.00	150.00	12.00	1,800.00
					01-04-2023	5000	5,305.00	305.00	12.00	3,660.00
					01-04-2024	5000	5,464.00	464.00	12.00	5,568.00
3	Ravi Kumar	3	25-03-2021	52	01-04-2021	5000	5,000.00	0.00		0.00
					01-04-2022	5000	5,150.00	150.00	12.00	1,800.00
					01-04-2023	5000	5,305.00	305.00	12.00	3,660.00
					01-04-2024	5000	5,464.00	464.00	12.00	5,568.00
4	Banti Devi	4	25-03-2021	52	01-04-2021	5000	5,000.00	0.00		0.00
					01-04-2022	5000	5,150.00	150.00	12.00	1,800.00
					01-04-2023	5000	5,305.00	305.00	12.00	3,660.00
					01-04-2024	5000	5,464.00	464.00	12.00	5,568.00
5	Sunder Singh	5	25-03-2021	52	01-04-2021	5000	5,000.00	0.00		0.00
					01-04-2022	5000	5,150.00	150.00	12.00	1,800.00
					01-04-2023	5000	5,305.00	305.00	12.00	3,660.00
					01-04-2024	5000	5,464.00	464.00	12.00	5,568.00
6	Vanita	6	25-03-2021	52	01-04-2021	5000	5,000.00	0.00		0.00
					01-04-2022	5000	5,150.00	150.00	12.00	1,800.00
					01-04-2023	5000	5,305.00	305.00	12.00	3,660.00
					01-04-2024	5000	5,464.00	464.00	12.00	5,568.00
7	Jognath	7	25-03-2021	52	01-04-2021	5000	5,000.00	0.00		0.00
					01-04-2022	5000	5,150.00	150.00	12.00	1,800.00
					01-04-2023	5000	5,305.00	305.00	12.00	3,660.00
					01-04-2024	5000	5,464.00	464.00	12.00	5,568.00
8	Uma Sharma	25	04-03-2023	54	01-04-2023	3900	3,900.00	0.00		0.00
					01-03-2024	3900	4,017.00	117.00	12.00	1,404.00
					01-03-2025	3900	4,138.00	238.00	1.00	238.00
9	Chhodar Mal	40	01-05-2023	56	01-05-2023	960	960.00	0.00		0.00
					01-05-2024	960	989.00	29.00	11.00	319.00
10	Dhani Ram	56	03-04-2023	57	03-04-2023	3000	3,000.00	0.00		0.00
					01-04-2024	3000	3,090.00	90.00	12.00	1,080.00
11	Amrita Verma	66	26-10-2022	58	01-11-2022	5760	5,760.00	0.00	12.00	0.00
					01-11-2023	5760	5,933.00	173.00	12.00	2,076.00
					01-11-2024	5760	6,111.00	351.00	12.00	4,212.00
12	Naruttam Lal	73	08-05-2023	59	08-05-2023	840	840.00	0.00		0.00
					01-05-2024	840	865.00	25.00	11.00	275.00

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 0

Executive Officer
Municipal Council ROHRU
-150- Distt Shimla (H.P.)

13	Daya Ram	74	24-03-2022	59	01-04-2022	1700	1,700.00	0.00		0.00
					01-04-2023	1700	1,751.00	51.00	12.00	612.00
					01-04-2024	1700	1,804.00	104.00	12.00	1,248.00
14	Saradara Singh	88	01-04-2022	61	01-04-2022	1500	1,500.00	0.00		0.00
					01-04-2023	1500	1,545.00	45.00	12.00	540.00
					01-04-2024	1500	1,591.00	91.00	12.00	1,092.00
15	Vinod Kumar	93	15-03-2022	61	01-04-2022	2030	2,030.00	0.00		0.00
					01-04-2023	2030	2,091.00	61.00	12.00	732.00
					01-04-2024	2030	2,154.00	124.00	12.00	1,488.00
16	Naresh	95	15-02-2022	62	01-03-2022	2500	2,500.00	0.00		0.00
					01-03-2023	2500	2,575.00	75.00	12.00	900.00
					01-03-2024	2500	2,652.00	152.00	12.00	1,824.00
					01-03-2025	2500	2,732.00	232.00	1.00	232.00
17	Bhakti Chauhan	96	15-02-2022	62	01-03-2022	2500	2,500.00	0.00		0.00
					01-03-2023	2500	2,575.00	75.00	12.00	900.00
					01-03-2024	2500	2,652.00	152.00	12.00	1,824.00
					01-03-2025	2500	2,732.00	232.00	1.00	232.00
18	Basant Lal	99	05-02-2022	62	05-02-2022	3630	3,630.00	0.00		0.00
					01-02-2023	3630	3,739.00	109.00	12.00	1,308.00
					01-02-2024	3630	3,851.00	221.00	12.00	2,652.00
					01-02-2025	3630	3,967.00	337.00	2.00	674.00
Total										1,03,058.00


 Assistant Controller
 H.P. State Audit Deptt.
 Shimla - 9 (H.P.)


 Executive Officer,
 Municipal Council ROHRU
 Distt. Shimla (H.P.)

परीक्षा: 13, पैरा संख्या: 12.5 में संदर्भित

Municipal Council Rohru, Audit Period 04-2023 to 03-2025

Statement showing the detail of shops having penal interest not recovered/imposed due to delay in payments.

As per condition No. 3, 11, 14, "If the tenant fails to deposit the said rent by prescribed date mentioned above he shall have to pay interest @ 12% p.a. on the amount of rent which is due that date".

Sr. No.	Name	Shop No	Rent P.M	Financial Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Penal Interest 12%	Outstanding Balance Upto March 25
1	Luxmi Chand	10	660	2023-24	13080.00	7920.00	21000.00	0.00	2520.00	23520.00
	Luxmi Chand		660	2024-25	23520.00	7920.00	31440.00	0.00	3773.00	35213.00
										0.00
2	The Tehsil Rohru Co-op Union Rohru	13-16	2640	2023-24	47520.00	31680.00	79200.00	0.00	9504.00	88704.00
			2640	2024-25	88704.00	31680.00	120384.00	0.00	14446.00	134830.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
3	Rakesh Kumar	27	5500	2023-24	99000.00	66000.00	165000.00	0.00	19800.00	184800.00
			5500	2024-25	184800.00	66000.00	250800.00	0.00	30096.00	280896.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
4	Prem Lal	42	660	2023-24	64965.00	7920.00	72885.00	0.00	8746.00	81631.00
			660	2024-25	81631.00	7920.00	89551.00	0.00	10746.00	100297.00
5	Karam Dass	45	660	2023-24	15480.00	7920.00	23400.00	0.00	2808.00	26208.00
			660	2024-25	26208.00	7920.00	34128.00	0.00	4095.00	38223.00
6	Roshan Lal	47	660	2023-24	17280.00	7920.00	25200.00	0.00	3024.00	28224.00
			660	2024-25	28224.00	7920.00	36144.00	0.00	4337.00	40481.00
7	Sita Ram	54	660	2023-24	15480.00	7920.00	23400.00	0.00	2808.00	26208.00
			660	2024-25	26208.00	7920.00	34128.00	0.00	4095.00	38223.00
8	Narender Singh	57	660	2023-24	23880.00	7920.00	31800.00	0.00	3816.00	35616.00
			660	2024-25	35616.00	7920.00	43536.00	0.00	5224.00	48760.00
9	Jagdish Singh	61	1293	2023-24	76149.00	15516.00	91665.00	0.00	11000.00	102665.00
			1293	2024-25	102665.00	15516.00	118181.00	0.00	14182.00	132363.00
10	Kashmari Lal	89	660	2023-24	46080.00	7920.00	54000.00	0.00	6480.00	60480.00
			660	2024-25	60480.00	7920.00	68400.00	0.00	8208.00	76608.00
11	Ghansu Ram	91	1331	2023-24	18634.00	15972.00	34606.00	0.00	4153.00	38759.00
			1331	2024-25	38759.00	15972.00	54731.00	0.00	6568.00	61299.00
12	The B.E.E.O. Rohru	94	660	2023-24	15480.00	7920.00	23400.00	0.00	2808.00	26208.00
			660	2024-25	26208.00	7920.00	34128.00	0.00	4095.00	38223.00
13	Subhash Chand	100	1815	2023-24	34320.00	21780.00	56100.00	0.00	6732.00	62832.00
			1815	2024-25	62832.00	21780.00	84612.00	0.00	10153.00	94765.00
14	The Teh Co-op Union	103	1500	2023-24	25500.00	18000.00	43500.00	0.00	5220.00	48720.00
			1500	2024-25	48720.00	18000.00	66720.00	0.00	8006.00	74726.00
Total					1347423.00	464616.00	1812039.00	0.00	217443.00	2029482.00

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

-152-

Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

परिशिष्ट: 14, पैरा संख्या: 12.6 में संदर्भित

Municipal Council Rohru, Audit Period 04-2023 to 03-2025

Statement showing the detail of shops having the shop agreement not renewed since 2016

Sr. No.	Name	Shop No	Rent P.M	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Outstanding Balance Upto March 24	Agreement renewed upto	Rent recoverable for (Period in month)
1	Luxmi Chand	10	660	13080.00	7920.00	21000.00	0.00	21,000.00	Court Case	32
2	Parkash Chand	11	660	0.00	7920.00	7920.00	0.00	7,920.00	2016	12
3	Sia Ram	17	660	11880.00	7920.00	19800.00	0.00	19,800.00	2016	30
4	Yashwant Singh	18	660	11880.00	7920.00	19800.00	19800.00	0.00	2016	0
5	Dhirju Ram	19	660	11880.00	7920.00	19800.00	0.00	19,800.00	2016	30
6	Prakash Sood	22	660	8280.00	7920.00	16200.00	0.00	16,200.00	2016	25
7	Rakesh Kumar	27	5500	99000.00	66000.00	165000.00	0.00	1,65,000.00	Court Case	30
8	Geeta Ram	28	660	11880.00	7920.00	19800.00	19800.00	0.00	2016	0
9	Mohinder Singh	31	660	0.00	7920.00	7920.00	7920.00	0.00	2016	0
10	Prem Lal	42	660	64965.00	7920.00	72885.00	0.00	72,885.00	2016	110
11	Dhani Ram	43	660	13080.00	7920.00	21000.00	21000.00	0.00	2016	0
12	Karam Dass	45	660	15480.00	7920.00	23400.00	0.00	23,400.00	2016	35
13	Roshan Lal	47	660	17280.00	7920.00	25200.00	0.00	25,200.00	2016	38
14	Sarwan Singh	48	660	11880.00	7920.00	19800.00	0.00	19,800.00	2016	30
15	Sita Ram	54	660	15480.00	7920.00	23400.00	0.00	23,400.00	Court Case	35
16	Kurpu Ram	55	660	44280.00	7920.00	52200.00	0.00	52,200.00	Court Case	79
17	Narender Singh	57	660	23880.00	7920.00	31800.00	0.00	31,800.00	2016	48
18	Sita Ram	60	1100	19800.00	13200.00	33000.00	30800.00	2,200.00	2016	2
19	Jagdish Singh	61	1293	76149.00	15516.00	91665.00	0.00	91,665.00	Court Case	71
20	Subedar Singh	70	660	89480.00	7920.00	97400.00	0.00	97,400.00	Court Case	148
21	Gulam Mohamed	82	1320	23760.00	15840.00	39600.00	39600.00	0.00	2016	0
22	Jiwa Ram	86	880	23040.00	10560.00	33600.00	0.00	33,600.00	2016	38
23	Kashmari Lal	89	660	46080.00	7920.00	54000.00	0.00	54,000.00	Court Case	82
24	Rulda Ram	90	660	11880.00	7920.00	19800.00	19800.00	0.00	2016	0
25	The B.E.E.O, Rohru	94	660	15480.00	7920.00	23400.00	0.00	23,400.00	2016	35
26	Subhash Chand	100	1815	34320.00	21780.00	56100.00	0.00	56,100.00	Court Case	31
Total								8,56,770.00		



Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)


Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

परिशिष्ट: 15, पैरा संख्या: 12.14, 12.15, 15.1 में संदर्भित

Statement of Liquor Cess for the period 01-04-2023 to 31-03-2025						
Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Out. Balance as on 31-03-2025	Remarks
2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No amount received during the period under Audit
2024-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)					
Statement of GST on Shop Rent for the period 01-04-2023 to 31-03-2025					
Year	Opening Balance	Demand	Total	Deposited	Balance as on 31-03-2025
2023-24	688889.00	384276.00	1073165.00	51850.00	1021315.00
2024-25	1021315.00	450123.00	1471438.00	357498.00	1113940.00

Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)					
Statement of GST on Contractor Bill for the period 01-04-2023 to 31-03-2025					
Year	Opening Balance	Collection	Total	Deposited	Balance as on 31-03-2025
2023-24	1734.00	17111.00	18845.00	0.00	18845.00
2024-25	18845.00	32929.00	51774.00	32929.00	18845.00

Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)						
Statement of TDS Collected and deposited during the period 04-2023 to 03-2024						
Year	Opening Balance	Demand during the	Total	Deposit	Balance as on 31-03-2025	Remarks
2023-24	1246.00	18348.00	19594.00	0.00	19594.00	
2024-25	19594.00	38493.00	58087.00	30319.00	27768.00	

Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)						
Statement showing the detail of Labour Cess Collected and deposited during the period 04-2023 to 03-2024						
Year	Opening Balance	Collection during the	Total	Deposit	Balance as on 31-03-2025	Remarks
2023-24	1627.00	18348.00	19975.00	0.00	19975.00	
2024-25	19975.00	38493.00	58468.00	0.00	58468.00	

Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)						
Statement showing the detail of Royalty Collected and deposited during the period 04-2023 to 03-2024						
Year	Opening Balance	Collection during the	Total	Deposit	Balance as on 31-03-2025	Remarks
2023-24	206599.00	30317.00	236916.00	0.00	236916.00	
2024-25	236916.00	101889.00	338805.00	0.00	338805.00	

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Executive Officer,
Municipal Council ROHRU,
Distt. Shimla (H.P.)

-154-

परीक्षा: 16, पेरा संख्या: 14.1, 14.2, 14.3 में संदर्भित

Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)					
House tax Statement for the Year 2015-16 to 2024-25					
Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Balance
2015-16	3410387	3200049.00	66,10,436.00	186879.00	64,23,557.00
2016-17	64,23,557.00	3200049.00	96,23,606.00	308656.00	93,14,950.00
2017-18	93,14,950.00	3195120.00	1,25,10,070.00	2416366.00	1,00,93,704.00
2018-19	1,00,93,704.00	3187030.00	1,32,80,734.00	1907136.00	1,13,73,598.00
2019-20	1,13,73,598.00	3204088.00	1,45,77,686.00	1518190.00	1,30,59,496.00
2020-21	1,30,59,496.00	3204088.00	1,62,63,584.00	1422582.00	1,48,41,002.00
2021-22	1,48,41,002.00	3477169.00	1,83,18,171.00	1434600.00	1,68,83,571.00
2022-23	1,68,83,571.00	3308976.00	2,01,92,547.00	284313.00	1,99,08,234.00
2023-24	1,99,08,234.00	4073713.00	2,39,81,947.00	3931614.00	2,00,50,333.00
2024-25	2,00,50,333.00	4073713.00	2,41,24,046.00	3058658.00	2,10,65,388.00

Statement of payment made to Plan foundation for maintain the online record of House/Property tax on			Payment made during audit period including GST 18%	
Year	Collection	Amount paid to Plan foundation	Add 18% GST	Total Amount Paid
2015-16	186879.00	22,425.48	Information not found.	22,425.48
2016-17	308656.00	37,038.72		37,038.72
2017-18	2416366.00	2,89,963.92		2,89,963.92
2018-19	1907136.00	2,28,856.32		2,28,856.32
2019-20	1518190.00	1,82,182.80		1,82,182.80
2020-21	1422582.00	1,70,709.84		1,70,709.84
2021-22	1434600.00	1,72,152.00		1,72,152.00
2022-23	284313.00	34,117.56		34,117.56
2023-24	3931614.00	4,71,793.68	84922.862	556716.54
2024-25	3058658.00	3,67,038.96	66067.013	433105.97
Total	16468994.00	19,76,279.28	150989.875	21,27,269.16
Add:- Annual Maintenance of House Tax software Vr.No. 18, dated 3-7-2023, CBP-65				89,690.00
Add:- Renewal of House Tax Portal Vr.No.34, dated 23-4-2024, CBP-196				88,382.00
Add:- New Survey and Re-Survey of Property, Vr.No.23, dated 09-09-2024, CBP-196				2,08,034.00
Total Payments made to Plan Fondation				25,13,375.16

Year	Collection	Amount paid to Plan foundation (12% of Collection)	Add 18% GST	Total Amount Paid
2023-24	3931614.00	471793.68	84922.86	556716.54
2024-25	3058658.00	367038.96	66067.01	433105.97
Total	6990272.00	838832.64	150989.88	989822.52
Total Excess Payment made to Plan foundation during 4-2023 to 3-2024			150989.88	989822.52

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

-155-

Executive
Municipal Council Rohru
Distt. Shimla (H.P.)

परिशिष्ट: 17, पैरा संख्या: 14.5 में संदर्भित

Municipal Council Rohru, Audit Period 04-2023 to 03-2025				
Sr. No.	Name of Person	Vr. No./Date	Work Done	Amount paid
	Smt./Miss/Sh.			
1	Samila	24/10-06-2024	Sanitation Work as mention in payment voucher, because the pupose/work done was not mentioned in the computerized print of work report.	43875.00
2	Chhavi Lal			
3	Usha Devi			
4	Monu			
5	Muskan	Vr. No. 14 Dt. 04-02-2025	Cleaning of Drains	9200.00
6	Aman	Vr. No. 21 Dt. 10-02-2025	Construction and Maintenance of Material recovery facility.	12000.00
7	Aman	Vr. No. 19 Dt. 13-03-2025	Construction and Maintenance of Material recovery facility.	9200.00
8	Sahika		Creation of secondary storage spaces	9600.00
9	Ritu	Vr. No. 09 Dt. 05-04-2024	Cleaning of Drains	9375.00
10	Ritu	Vr. No. 16 Dt. 05-01-2024	Cleaning of Drains	10500.00
11	Ritu	Vr. No. 26 Dt. 18-12-2023	Cleaning of Drains	9750.00
12	Brijesh Kumar	Vr. No. 24 Dt. 10-09-2024	Transportation of waste to processing unit	6000.00
13	Monu		Cleaning of Drains	7600.00
14	Smila		Sanitation Work as mention in payment voucher, because the pupose/work done was not mentioned in the computerized print of work report.	4800.00
15	Usha Devi			12000.00
16	Ritu	Vr. No. 25 Dt. 21-10-2024	Cleaning of Drains	10000.00
17	Muskan		Cleaning of Drains	10000.00
18	Usha Devi	Vr. No. 37 Dt. 30-10-2024	Sanitation Work	12000.00
19	Muskan		Cleaning of Drains	10000.00
20	Ritu		Cleaning of Drains	10000.00
Total				195900.00


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)


Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

परिशिष्ट: 18, पैरा संख्या: 16 में संदर्भित

Detail of Tender cancelled and Re-invited till 31.03.2025

Sr. No.	Year	Name of work	Date of Tender	Estimated Cost.	Reason of Cancellation	Date of Re-Invitation of Tender	Awarded Amount
1	2023-2024	C/O road approaching towards temporary SWM site Rohru (sh. C/O R/ wall)	06.11.23	272796.00	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	12.08.25	Not yet awarded
2	2023-2024	C/O steps and providing kota stones on path of upper bazaar Rohru	06.11.23	317731.00	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	12.08.25	Not yet awarded
3	2023-2024	C/O path & steps and pdg iron railing and chequered tiles from Kushal Thakur house to Roohan Lal house in W NO. 7	05.02.24	299248.00	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	21.08.24	349472
4	2023-2024	Providing and fixing CGI fencing at temporary dumping site Rohru	05.02.24	241178.00	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	12.08.25	Not yet awarded
5	2023-2024	C/O drain from Govt. Model Girls Sr. Sec. School to Makhi Nallah road W No.4	05.02.24	430833.00	Two bid was received	16.02.24	389963
6	2023-2024	Preparation of DPR pf MC Office-cum-Library, and shopping-cum-parking complex on RCD Road.	05.02.24	499999.00	Tender cancelled by TOC	22.10.24	1.8% of the amount of
7	2023-2024	Providing and Fixing High Mast Light (Solar Light) at Old Bus Stand Chowk	05.02.24	480000.00	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	31.08.24	465905
8	2023-2024	Construction of shops above M.C. Meat Market Complex at Rohru tehsil Rohru Distt. Shimla H.P.	16.02.24	805577.00	Single bid was received	21.08.24	990532
9	2023-2024	Providing Chakka tiles and iron railing in path from Shiv saran house towards Satish Shop in ward no. 6	16.02.24	717314.00	Single bid was received	21.08.24	849237
10	2023-2024	Construction of toilets at old gas point on Shimla Road Ward no.7	16.02.24	706190.00	Two bid was received	21.08.24	806455
11	2023-2024	Construction of toilet and rain shelter at staring point of bye pass road in ward no 3	16.02.24	814972.00	No bid was received	21.08.24	941856
12	2023-2024	R/M of Ambulance Road from Makhhinala to Dashedni Village, Ward no. 1	16.02.24	691686.00	Cancelled due to online issue as the contractors could not quote the rates	21.08.24	818100
13	2023-2024	Providing Iron Stairs from Bye pass road behind new bus stand Rohru to Rohru Chirgaon Road.	16.02.24	461923.00	Single bid was received	21.08.24	525848
14	2023-2024	Construction of drain from Rughta house to Nirala House W NO. 4	21.08.24	86875.00	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	26.06.25	Not yet awarded
15	2023-2024	C/O drain & steps and Pdg. chequered tiles near Dhaanda Building and Gudru Moholla W. No. 1&3.	21.08.24	224614.00	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	12.08.25	Not yet awarded
Total				7050936.00			

Detail of Tenders cancelled but not Re-invited till 31-03-2025

Sr. No.	Year	Name of work	Date of Tender	Estimated Cost.	Reason of Cancellation	Remarks
1	2023-2024	C/O shop near meat market Rohru W.no.4	11.08.23	219422	Site Dispute issue	Not Re-invited
2	2023-2024	Cleaning of hot spots within MC limits and disposal of garbage.	06.11.23	148000	Contractor did not executed the work	Not Re-invited
3	2023-2024	Construction of Path from Bhim thakur house to Nagta house and providing Chequered tiles in ward no 2.	05.02.24	453820	Site Dispute issue	Not Re-invited
4	2023-2024	Construction of B/Wall, laying of paver blocks and providing Iron railings in path from Gulat Ram House to Didi Nallah W No. 4	05.02.24	452504	Site Dispute issue	Not Re-invited
5	2023-2024	Cleaning of Hot Sopts within MC Limits and disposal of garbage.	21.08.24	195360	Contractor did not executed the work	Not Re-invited
6	2023-2024	Construction of children park at Ramleela ground Rohru in Ward no. 3	16.02.24	653784	Site Dispute issue	Not Re-invited
Total				2122890		

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

-157-

Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

17



परिशिष्ट : 19, फ़ॉर सेख्या: 17 में संदर्भित

Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.) (Audit period 04-2023 to 03-2025)							
Detail of Tender cancelled due to work not executed by contractor but the EMD not forfeited upto 31.03.2025							
Sr. No.	Year	Name of work	Date of Tender	Estimated Cost.	Reason of Cancellation	Name of Contractor	Amount of EMD
1	2023-2024	C/O road approaching towards temproray SWM site Rohru.(sh. C/O R/ wall)	06.11.23	272796.00	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	Sh. Amol Chauhan	8200.00
2	2023-2024	C/O steps and providing kota stones on path of upper bazzar Rohru	06.11.23	317731.00	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	Sh. Amol Chauhan	9500.00
3	2023-2024	C/O path & steps and pdg iron railing and chequered tiles from Kushal Thakur house to Roahan Lal house in W NO. 7	05.02.24	299248.00	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	Sh. Punir Tegra	9000.00
4	2023-2024	Providing and fixing CGI fencing at temporary dumping site Rohru	05.02.24	241178.00	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	Sh. Punir Tegra	7250.00
7	2023-2024	Providing and Fixing High Mast Light (Solar Light) at Old Bus Stand Chowk	05.02.24	480000.00	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	Sh. Punir Tegra	14500
	2023-2024	Cleaning of Hot Sopts within MC Limits and disposal of garbage.	21.08.24	195360	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	Sh. Akshay Sharma	5900.00
14	2023-2024	Construction of drain from Rughta house to Nirala House W NO. 4	21.08.24	86875.00	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	Sh. Naresh Branta	2600.00
15	2023-2024	C/O drain & steps and Pdg. chequered tiles near Dhanda Building and Gudru Moholla W. No. 1&3.	21.08.24	224614.00	(EMD withheld) Contractor did not executed the work	Sh. Naresh Branta	6750.00
Total				2117802.00			63700.00

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

परिशिष्ट : 20, पैरा संख्या: 18 में संदर्भित

Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)

Detail of works executed/awarded without Drawing and design during 01-04-2023 to 31-03-2025

Sr No	Name of work	Agr.No.& date	Vr. No. & Date	Name of cont.	Awarded Amount	Time Period	Amount of bill	Running Bill No.	MB No. & page
1	Hiring of hydraulic excavator and tipper to MC Rohru for disaster and SWM Site	UD-RHU-TEN-510-04.09.23	20/04.12.23	Amol Chauhan	100200	Two- Months	103776	Final Bill	MB No. 03 P. No. 02
2	C/O B/Wall on path approaching towards Dasshailni village W.NO-1	UD-RHU-TEN-574-76-26.09.23	19/04.12.23	Dharmender	186234	Two- Months	121179	Final Bill	MB No. 03 P. No. 01
3	Pdg iron railing in block road upto DFO Residence gate W .no-6	UD-RHU-TEN-587-89-26.09.23	21/04.12.23	Punit Tegta	362663	Two- Months	218003	1st Running Bill	MB No. 03 P. No. 03
4	C/O of B/wall on path near tara chand house W No. 1	UD-RHU-TEN-508-4.09.23	33/18.10.23	Amol Chauhan	136606	Two- Months	107742	Final Bill	MB No. 02 P. No. 80
5	Providing iron railing in Block near BDO Office W No. 6	UD-RHU-TEN-590-92-26.09.23	28/19.03.24	Punit Tegta	158270	Two- Months	91556	Final Bill	MB No. 03 P. No. 15
6	Construction of path and providing Chakka tiles from Satya house to Shalona Temple W. no. 6	UD-RHU-TEN-593-95-26.09.23	28/19.03.24	Punit Tegta	160875	Two- Months	98164	Final Bill	MB No. 03 P. No. 09
7	C/O Path and wall from Ful's Singh house to Hukam Chand house w no-1	UD-RHU-TEN-426-05.08.23	20/13.05.24	Pooja Chauhan	182993	Three-Months	107147	Final Bill	MB No. 03 P. No. 21
8	C/O protection wall for road in sidhran road near house of Sh. Bishan Singh in W No. 4	UD-RHU-TEN-661-63-20.10.23	20/13.05.24	Naresh Bhaurata	613200	Two- Months	473313	Final Bill	MB No. 03 P. No. 13
9	Construction of R/Wall on Barara road near Jannat Cottage W No. 7	UD-RHU-TEN-441-43-02.03.24	35/26.04.24	Rajnish Thakur	107374	Three-Months	91603	Final Bill	MB No. 03 P. No. 24
10	Providing and Laying Cement Concrete in Road Near Shikru Devta Temple.	UD-RHU-TEN-893-95-24.07.24	43/29.08.24	Amol Chauhan	96319	Two- Months	81934	Final Bill	MB No. 03 P. No. 47
11	Construction of R/Wall on path near the house of Bhardwaj House W No. 4	UD-RHU-TEN-1240-42-21.10.24	20/10.02.25	Amol Chauhan	223601	Three-Months	194251	Final Bill	MB No. 03 P. No. 69
12	Construction of R/Wall on path near the house of Sh. Hardev Sharma W No. 4	UD-RHU-TEN-1237-39-21.10.24	19/10.02.25	Amol Chauhan	223601	Three-Months	198417	Final Bill	MB No. 02 P. No. 97
Total					2551936				

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Executive Officer
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

परीक्षा: २१, फरवरी २०२४, १९ अक्टूबर

Municipal Council Rohru, Dist. Shimla (Audit Period 01-04-2023 to 31-03-2025)

Statement showing the detail work executed after the prescribed time period as mentioned in the award letter.

As per Condition No. 4 of the award letter :- The work should be completed within time specified in tender DNT, positively in all respect, failing which a penalty shall be taken as per clause-2, of condition of contract of general rules and description for guidance of contractors.

As per clause 2 of the agreement:- In the event of the contractor failing to comply with the condition he shall be liable to pay as compensation as amount equal to one percent (1%) or smaller amount as the Trust/Muni./Corp. Engineer (whose decision in writing shall be final) may decide on the estimate cost of the whole work for very day that due quantity of work remains incomplete provided always that entire amount of compensation to be paid under the provisions of this clause shall not exceed ten percent (10%) on the estimated cost of the works as shown in the tender.

Sr. No.	Name of work	Aggr. No. & date	Data of Allotment	Vr. No. & Date	Name of cont.	Awarded Amount	Time Period Given	Running Bill No.	MIB No. & page	Actual Date of Completion	Delay in days	Penal Provision 10%
6	1 C/O of toilet block on hospital road in W/NO-3	MC/W/orks/2021/1894 06.12.21	06.12.21	22/09.10.23	Pooja Chauhan	429799.00	SIX-Month	Final Bill	MB No. 02 P. No. 72	31.12.22	194	42980.00
7	2 C/O drain in W/NO-1 from pairwar khana towards Harizen basti	MC/W/orks/ 05.05.22	05.05.22	23/09.10.23	Deepak Sharma	146647.00	Two-Months	Final Bill	MB No. 02 P. No. 76	31.12.22	165	14665.00
8	3 Steel work in toilet block on Hospital road.	MC/RHU/ 20.01.23/	20.01.23	23/15.11.23	Jai Devta Shollamu Welding Works	112348.00	Two-Months	Final Bill	MB No. 02 P. No. 78	18.06.23	76	11235.00
9	4 C/O rain shelter on hospital road W/NO-3	MC/RHU/2023-52/ 19.01.23/	09.01.23	21/06.05.23	Ishwar Dass	109500.00	Two-Months	Final Bill	MB No. 02 P. No. 69	06.04.23	14	10950.00
15	5 Pdg MS railing from KC Azad house to Khangra house w.no-2	UD-RHU/-TEN-580-83-26.09.23	26.03.23	36/26.04.24	Purni Tegta	214920.00	Two-Months	Final Bill	MB No. 02 P. No. 89	15.11.23	159	21492.00
23	6 Repair and maintenance of drains within MC limit Rohru	UD-RHU/-TEN-905-07-15.12.23	15.12.23	25/13.11.24	Arnel Chauhan	238741.00	Two-Months	Final Bill	MB No. 03 P. No. 51	12.03.24	12	23874.00
29	7 C/O of path/ Railing in W No-5 from meat market towards steps.	MC/W/orks/2020-614-15-05-05.22	05.05.22	20/12.08.24	Pooja Chauhan	193632.00	Three-Months	1st Running Bill	MB No. 03 P. No. 34	16-05-2024	636	19363.00
31	8 C/O drain from old BDO office to Prem Raj house	MC/W/orks/2022-612-13-20.07.22	20.07.22	22/12.08.24	Pooja Chauhan	255338.00	Three-Months	Final Bill	MB No. 03 P. No. 39	01.08.23	271	25534.00
Total penal amount as per clause-2 of the agreement.						1701125.00						170113.00

[Signature]

Assistant Controller

H.P. State Audit Deptt.

Shimla - 9 (H.P.)

- 160 -

[Signature]

Executive Officer

Municipal Council ROHRU

Date

